

Gandhi Minocha & Co.
Chartered Accountants,
B-6, Shakti Nagar Extension,
New Delhi – 110052
Ph: 011 - 27303078, 42273690
E-mail: gandhica@yahoo.com

Dass Gupta & Associates
Chartered Accountants,
B-4, Gulmohar Park,
New Delhi – 110049
Ph: 011-4611 1000
E-mail: admin@dassgupta.com

Independent Auditor's Review Report on the Quarterly and Year to Date Unaudited Standalone Financial Results of the Company Pursuant to the Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure requirement) Regulations, 2015, as amended

To the Board of Directors of
Power Finance Corporation Limited

1. We have reviewed the accompanying statement of unaudited standalone financial results of Power Finance Corporation Limited (the "Company") for the quarter and half year ended 30.09.2019 (the "Statement"), being submitted by the Company pursuant to the requirements of Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended (the "Listing Regulations").
 2. This Statement, which is the responsibility of the Company's management and approved by the Board of Directors of the Company, in its meeting held on 14.11.2019, has been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standard 34 "Interim Financial Reporting" ('Ind AS 34'), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 as amended read with relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India. Our responsibility is to issue a report on the statement based on our review.
 3. We conducted our review of the Statement in accordance with the Standard on Review Engagements (SRE) 2410, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity", issued by the Institute of Chartered Accountants of India. This Standard requires that we plan and perform the review to obtain moderate assurance as to whether the Statement is free of material misstatement. A review is limited primarily to inquiries of company personnel and analytical procedures applied to financial data and thus provides less assurance than an audit. We have not performed an audit and accordingly, we do not express an audit opinion.
 4. Based on our review conducted as above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying Statement of unaudited financial results, prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in the aforesaid Indian Accounting Standard and other recognised accounting practices and policies has not disclosed the information required to be disclosed in terms of the Listing Regulations, including the manner in which it is to be disclosed, or that it contains any material misstatements.
- Other Matter
5. The company has provided expected credit loss in respect of loan assets and undisbursed letter of comfort as required under Ind AS 109, on the basis of document provided by an independent expert appointed by the company. Since the calculation parameters require certain technical and professional expertise we have relied upon the expected credit loss calculation so provided by the said independent expert.

Our opinion on the statement is not modified in respect of above matter.

FOR GANDHI MINOCHA & CO.

Chartered Accountants
Firm's Registration No.: 000458N
by the hand of


CA BHUPINDER SINGH
Partner

Membership No. 092867
UDIN: 19092867 AAAAEL7429

FOR DASS GUPTA & ASSOCIATES

Chartered Accountants
Firm's Registration No.: 000112N
by the hand of


CA NARESH KUMAR
Partner

Membership No. 082069
UDIN: 1982069 AAAAA K5442

Date: 14.11.2019
Place: New Delhi

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड							
ऊर्जानिधि, 1, बाराखंबा लेन, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली, वेबसाइट: http://www.pfcindia.com							
सीआईएन L65910DL1986GOI024862							
30.09.2019 को समाप्त छमाही वर्ष को एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय परिणामों का अनंकेक्षित विवरण							
(₹ करोड़ में)							
क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त छमाही वर्ष		समाप्त वर्ष
		30.09.2019 (अनंकेक्षित)	30.06.2019 (अनंकेक्षित)	30.09.2018 (अनंकेक्षित)	30.09.2019 (अनंकेक्षित)	30.09.2018 (अनंकेक्षित)	31.03.2019 (अनंकेक्षित)
	प्रचालनों से राजस्व						
(i)	ब्याजगत आय	7989.83	7531.87	6922.41	15521.7	13550.04	28440.97
(ii)	लाभांश आय	0.77	0.47	18.95	1.24	23.01	167.03
(iii)	शुल्क एवं कमीशन आय	31.94	45.55	90.95	77.49	102.1	149.02
I.	कुल प्रचालनों से राजस्व	8022.54	7577.89	7032.31	15600.43	13675.15	28757.02
II.	अन्य आय	1.75	4.68	5.59	6.43	6.67	9.29
III.	कुल आय (I+II)	8024.29	7582.57	7037.9	15606.86	13681.82	28766.31
	व्यय						
(i)	वित्तीय लागतें	5439.13	5366.49	4671.77	10805.62	9211.76	18981.76
(ii)	निवल परिवर्तन/लेन-देन विनिमय हानि(+) /अभिलाभ(-)	560.96	24.02	648.39	536.94	966.01	520.23
(iii)	शुल्क एवं कमीशन व्यय	1.67	2.41	2.95	4.08	4.27	10.09
(iv)	उचित मूल्य में परिवर्तन पर निवल हानि [हानि(+) /अभिलाभ(-)]	204.65	2.73	388.82	207.38	729.66	84.98
(v)	वित्तीय लिखतों पर क्षतिग्रस्तता (इंपेयरमेंट)	390.48	221.39	76.24	611.87	72	871.48
(vi)	कार्मिक हितलाभ व्यय	59.12	49.98	43.72	109.1	88.51	173.57
(vii)	मूल्यहास और परिशोधन	2.02	1.72	1.34	3.74	2.55	6.14

(viii)	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	25.84	10.44	27.91	36.28	32.27	100.5
(ix)	अन्य व्यय	21.07	16.26	34.63	37.33	51.14	114.69
IV.	कुल व्यय	6295.64	5641.94	4965.65	11937.58	9554.85	18950.52
V.	अपवादिक मर्दों एवं कर पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)	1728.65	1940.63	2072.25	3669.28	4126.97	9815.79
VI.	अपवादिक मर्दें	0	0	0	0	0	0
VII.	कर पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI+VII)	1728.65	1940.63	2072.25	3669.28	4126.97	9815.79
	कर व्यय:						
	(1) वर्तमान कर:						
	वर्तमान वर्ष	97.4	571.87	369.38	669.27	795.6	2346.5
	पिछले वर्ष	0	0	0	0	0	1.22
	(2) आस्थगित कर	473.99	14	335.9	459.99	580.38	515.15
VIII.	कुल कर व्यय	571.39	557.87	705.28	1129.26	1375.98	2862.87
IX.	सतत प्रचालन से वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (VII-VIII)	1157.26	1382.76	1366.97	2540.02	2750.99	6952.92
X.	बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि) (कर पश्चात)	0	0	0	0	0	0
XI.	वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (सतत एवं बंद प्रचालनों के लिए) (IX+X)	1157.26	1382.76	1366.97	2540.02	2750.99	6952.92
XII.	अन्य व्यापक आय						
(क)	(i) मर्दें जिनको लाभ या हानि के रूप में पुनःवर्गीकृत						

	नहीं किया जाएगा						
	परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनःमापन	1.36	0.91	1.46	0.45	2.89	3.63
	इक्विटी लिखतों के उचित मूल्य पर निवल अभिलाभ/(हानि)	149.28	18.14	30.37	131.14	181.98	154.88
	(ii) ऐसी मदों में संबंधित आयकर जिनको लाभ या हानि के रूप में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा						
	परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनःमापन	0.74	0.42	0.44	0.32	0.88	1.69
	उप-जोड़ (क)	148.66	17.65	28.47	131.01	178.21	156.82
(ख)	(i) मदें जिनको लाभ या हानि के रूप में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा						
	नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग लिखतों पर अभिलाभ एवं (हानि) का प्रभावी अंश	24.02	11.07	1.93	12.95	1.93	77.08
	(ii) ऐसी मदों में संबंधित आयकर जिनको लाभ या हानि के रूप में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा						
	नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग लिखतों पर अभिलाभ एवं	0.40	3.87	0	4.27	0	26.93

	(हानि) का प्रभावी अंश						
	उप-जोड़ (ख)	24.42	7.20	1.93	17.22	1.93	50.15
		173.08	24.85	30.4	148.23	180.14	206.97
XIII.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XI+XII)	984.18	1407.61	1336.57	2391.79	2570.85	6745.95
XIV.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य ₹ 10/-प्रति)	2640.08	2640.08	2640.08	2640.08	2640.08	2640.08
XV.	अन्य इक्विटी (31 मार्च को लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	40647.91
XVI.	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (अंकित मूल्य ` 10/- प्रत्येक) (सतत प्रचालनों के लिए):*						
	(1) बुनियादी ईपीएस (`)	4.38	5.24	5.18	9.62	10.42	26.34
	(2) तनुकृत ईपीएस (₹)	4.38	5.24	5.18	9.62	10.42	26.34
XVII.	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (अंकित मूल्य ` 10/- प्रत्येक) (बंद प्रचालनों के लिए):*						
	(1) बुनियादी ईपीएस (`)						
	(2) तनुकृत ईपीएस (₹)						
XVIII	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (अंकित मूल्य ` 10/- प्रत्येक)						

	(सतत एवं बंद प्रचालनों के लिए):*						
	(1) बुनियादी ईपीएस (₹)	4.38	5.24	5.18	9.62	10.42	26.34
	(2) तनुकृत ईपीएस (₹)	4.38	5.24	5.18	9.62	10.42	26.34
* छमाही वर्ष के लिए ईपीएस वार्षिक नहीं हैं							
एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय परिणामों के लिए अनुषंगी टिप्पणियां							

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय परिणामों के लिए टिप्पणियां :

1. परिसंपत्तियां और देयताओं पर एकल (स्टैंडअलोन) विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	30.09.2019 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
		(अनंकेक्षित)	अंकेक्षित
	परिसंपत्तियां		
1	वित्तीय परिसंपत्तियां		
(क)	नकदी और नकदी समतुल्य	10.57	308.48
(ख)	नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल से भिन्न बैंक अधिशेष	12.61	13846.53
(ग)	व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) वित्तीय लिखत	882.23	567.98
(घ)	ऋण	314884.26	303210.36
(ङ)	निवेश	16504.57	16586.2
(च)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	5354.45	5376.4
	कुल वित्तीय परिसंपत्तियां (1)	337648.69	339895.95
2	गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां		
(क)	वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	814.46	497.89
(ख)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	3596.15	4060.73
(ग)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	29.3	27.74
(घ)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	0.47	0.59
(ङ)	उपयुक्त उपयोगी परिसंपत्तियां	35.98	0
(च)	अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	154.75	242.09
	कुल गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (2)	4631.11	4829.04
	कुल परिसंपत्तियां (1+2)	342279.8	344724.99
	देयताएं और इक्विटी देयताएं		
	देयताएं		
1	वित्तीय देयताएं		
(क)	व्युत्पन्न वित्तीय लिखत	527.39	505.59
(ख)	ऋण प्रतिभूतियां	212525.33	205584.49
(ग)	ऋण (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	68325.57	80344.53
(घ)	गौण (सबॉर्डिनेटिड) देयताएं	9670	9309.7
(ङ)	अन्य वित्तीय देयताएं	5427.78	5327.84
	कुल वित्तीय देयताएं (1)	296476.07	301072.15
2	गैर-वित्तीय देयताएं		
(क)	प्रावधान	249.06	264
(ख)	अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	109.52	100.85
	कुल गैर-वित्तीय देयताएं (2)	358.58	364.85
	कुल देयताएं (1+2)	296834.65	301437
3	इक्विटी		
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	2640.08	2640.08
(ख)	अन्य इक्विटी	42805.07	40647.91
	कुल इक्विटी (3)	45445.15	43287.99
	कुल देयताएं एवं इक्विटी (1+2+3)	342279.80	344724.99

30 सितंबर, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का एकल (स्टैंडअलोन) विवरण

(` करोड में)

क्रम सं;	विवरण	30.09.2019 को समाप्त छमाही	को समाप्त छमाही 30.09.2018
1.	गतिविधियों के प्रचालन से नकदी प्रवाह :-		
	कर पूर्व लाभ	3,669.28	4,126.97
	जोड़ें/ घटाएं): निम्नलिखित के लिए समायोजन		
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की विमान्यता पर हानि (नेट)	0.28	0.19
	मूल्यहास और परिशोधन	3.74	2.55
	जीरो कूपन बॉण्डों पर डिस्काउंट तथा वाणिज्यिक पत्र पर वित्तीय प्रभारों का परिशोधन	212.37	44.96
	अप्राप्त विदेशी मुद्रा परिवर्तन हानि/(अभिलाभ)	524.66	965.91
	उचित मूल्य में निवल परिवर्तन	-	(729.66)
	ऋणों पर प्रभावी ब्याज दर	4.54	1.19
	वित्तीय लिखतों पर क्षतिग्रस्तता	611.87	(72.00)
	निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज	(106.49)	(73.97)
	ब्याजगत सब्सिडी निधि	0.69	2.89
	सेवानिवृत्त हितलाभों आदि के लिए प्रावधान	27.40	30.02
	लाभांश आय	(1.24)	(23.01)
	ऋणों/ऋण प्रतिभूतियों/सबॉर्डिनेटिड देयताओं पर प्रभावी ब्याज दर	(70.45)	(9.18)
	आयकर रिफंड पर ब्याज	(0.57)	-
	लीज देयता पर ब्याजगत व्यय	0.39	-
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ:	4,876.47	4,266.86
	वृद्धि/कमी :		
	ऋण (निवल)	(12,306.74)	(14,245.10)

	अन्य परिसंपत्तियां (वित्तीय एवं गैर-वित्तीय)				13,816.92		(1,550.04)	
	डेरिवेटिव				(292.45)		(151.13)	
	देयताएं एवं प्रावधान				1,570.40		553.64	
	आपवादिक मदों से पूर्व नकदी प्रवाह				7,664.60		(11,125.77)	
	आपवादिक मदें				-		-	
	प्रचालनों से कर पूर्व नकदी प्रवाह				7,664.60		(11,125.77)	
	अदा किया गया आयकर				(987.33)		(891.98)	
	आयकर रिफंड				56.84		14.20	
	गतिविधियों के प्रचालन से निवल नकदी प्रवाह					6,734.11		(12,003.55)
II.	निवेश की गतिविधियों से नकदी प्रवाह :							
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निस्तारण से प्राप्त राशि				0.07		0.02	
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का क्रय				(5.31)		(1.95)	
	निवेश पर ब्याज				108.13		28.92	
	निवेश पर लाभांश				1.24		23.01	
	अन्य निवेश में वृद्धि/कमी				3.03		(99.08)	
	गतिविधियों को प्रचालन से निवल नकदी प्रवाह					107.16		(49.08)
III.	निवेश की गतिविधियों से प्रयुक्त निवल नकदी :							
	बॉण्डों के निर्गम (प्रीमियम सहित) (मोचनों का निवल)				80.80		(12,919.68)	
	दीर्घावधि ऋण जुटाना (चुकोतियों का निवल)				495.43		16,779.00	
	विदेशी मुद्रा ऋण जुटाना (चुकोतियों का निवल)				11,738.29		5,911.21	
	सबॉर्डिनेटिड देयताएं जुटाना (मोचनों का निवल)				0.00		(0.00)	
	वाणिज्यिक पत्र जुटाना (चुकोतियों का निवल)				(7,000.00)		(630.00)	
	कार्यशील पूंजी मांग ऋण/ओडी/सीसी/लाइन ऑफ क्रेडिट जुटाना (चुकोतियों का निवल)				(12,452.68)		2,680.42	

अदावी बाँण्ड (निवल)				(0.62)		(3.50)	
अदावी लाभांश (निवल)				(0.01)		0.86	
लीज देयता का भुगतान				(0.39)		-	
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी अंतर्वाह					(7,139.18)		11,818.31
नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल कमी/वृद्धि					(297.91)		(234.32)
जोड़ें : वित्तीय वर्ष के शुरु में नकदी एवं नकदी समतुल्य					308.48		537.71
समाप्त छमाही वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य					10.57		303.39
<u>समाप्त छमाही वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य का ब्यौरा:</u>							
i) बैंकों में अधिशेष (नकदी एवं नकदी समतुल्य की प्रकृति का)							
चालू खातों में				10.57		3.39	
मांग जमा खातों में				-	10.57	300.00	303.39
ii) डाक व्यय एवं पेशगी सहित हाथ में चेक, ड्राफ्ट					-		
समाप्त छमाही वर्ष के अंत में कुल नकदी एवं नकदी समतुल्य					10.57		303.39

3	उपर्युक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा और सिफारिश लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है और दिनांक 14.11.2019 को आयोजित संगत बैठकों में निदेशक मंडल द्वारा इन्हें अनुमोदित किया गया है। ये संयुक्त सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 और 52 के अनुसार सांविधिक लेखापरीक्षक एम.के.अग्रवाल एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट और गांधी मिनोचा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन हैं।																
4	वित्तीय परिणाम कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक ('इंड एस')- 34 'अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग' में निर्धारित मान्यता और माप सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं।																
5	<p>इंड एस 109 के अनुसार कंपनी द्वारा पोषित क्रेडिट हासित ऋण परिसंपत्तियों एवं हासित हानि छूट का ब्योरा निम्नानुसार है:</p> <p style="text-align: right;">(₹ in crore)</p> <table border="1" data-bbox="193 607 1528 835"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th> <th>विवरण</th> <th>30.09.2019 तक</th> <th>31.03.2019 तक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>क)</td> <td>क्रेडिट हासित ऋण परिसंपत्तियां</td> <td>29,465.75</td> <td>29,540.31</td> </tr> <tr> <td>ख)</td> <td>पोषित हासित हानि छूट</td> <td>15,368.64</td> <td>15,021.01</td> </tr> <tr> <td>ग)</td> <td>हासित हानि छूट कवरेज (%) (बी/ए)</td> <td>52.16%</td> <td>50.85%</td> </tr> </tbody> </table>	क्र. सं.	विवरण	30.09.2019 तक	31.03.2019 तक	क)	क्रेडिट हासित ऋण परिसंपत्तियां	29,465.75	29,540.31	ख)	पोषित हासित हानि छूट	15,368.64	15,021.01	ग)	हासित हानि छूट कवरेज (%) (बी/ए)	52.16%	50.85%
क्र. सं.	विवरण	30.09.2019 तक	31.03.2019 तक														
क)	क्रेडिट हासित ऋण परिसंपत्तियां	29,465.75	29,540.31														
ख)	पोषित हासित हानि छूट	15,368.64	15,021.01														
ग)	हासित हानि छूट कवरेज (%) (बी/ए)	52.16%	50.85%														
6	विवेकपूर्ण तौर पर, हासित साख वाली ऋण परिसंपत्तियों पर आय केवल तभी मान्य है जब प्रत्याशित वसूली बकाया ऋण राशि से अधिक हो।																
7	कंपनी ने दिनांक 30.3.2019 के कंपनी (भारत लेखा मानक) दूसरा संशोधन नियम के माध्यम से कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण का उपयोग करके इंड एस 116-‘लीज’ अपनाया है। 01.04.2019 के रूप में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) दूसरा संशोधन नियम, 2019 दिनांक 30.03.2019 द्वारा अधिसूचित। इसके परिणामस्वरूप 36.20 करोड़ रुपए का ‘राइट टू यूज़ एसेट’ और 8.82 करोड़ का लीज देयता’ को मान्यता मिली है। तिमाही के लिए लाभ पर प्रभाव भौतिक नहीं है।																
8	कंपनी ने कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीए के अंतर्गत अनुमति दिए गए विकल्प का प्रयोग किया है। तिमाही और छमाही के लिए आयकर प्रावधान (वर्तमान कर) दिनांक 30.09.2019 को समाप्त हो गया है और वार्षिक आधार पर मान्यता दी गई है। इसके अलावा, वार्षिक प्रभावी आयकर दर को संशोधित करके और वित्तीय वर्ष में परिवर्तन के प्रभाव को पहचानने के द्वारा धारा 115बीए के अंतर्गत निर्धारित दर के आधार पर आस्थगित कर आस्तियों / देयता को हटा दिया गया है।																
9	दिनांक 30.09.2019 तक कंपनी द्वारा जारी किए गए और बकाया सभी सुरक्षित बॉण्ड के लिए, निर्दिष्ट अचल संपत्तियों और / या कंपनी के प्राप्तियों पर प्रभार पर गिरवी (मोर्टगेज) के रूप में 100% सुरक्षा कवर बनाए रखा गया है।																
10	<p>सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के विनियमन 52 (4) के अंतर्गत अपेक्षित ब्योरे इस प्रकार हैं:</p> <table border="1" data-bbox="193 1693 1485 1921"> <thead> <tr> <th>ब्योरे</th> <th>30.09.2019 तक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(i) ऋण इक्विटी अनुपात</td> <td>6.21</td> </tr> <tr> <td>(ii) बकाया प्रतिदेय अधिमानी शेयर</td> <td>शून्य</td> </tr> <tr> <td>(iii) निवल वर्थ (करोड़ रुपए में)</td> <td>45,445.15</td> </tr> </tbody> </table> <p>iv) कंपनी को कंपनी (शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर) नियम, 2014 कंपनियों (शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर) संशोधन नियमों, 2019 के संदर्भ में डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व (डीआरआर) बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के संशोधन के लिए,</p>	ब्योरे	30.09.2019 तक	(i) ऋण इक्विटी अनुपात	6.21	(ii) बकाया प्रतिदेय अधिमानी शेयर	शून्य	(iii) निवल वर्थ (करोड़ रुपए में)	45,445.15								
ब्योरे	30.09.2019 तक																
(i) ऋण इक्विटी अनुपात	6.21																
(ii) बकाया प्रतिदेय अधिमानी शेयर	शून्य																
(iii) निवल वर्थ (करोड़ रुपए में)	45,445.15																

	<p>डीआरआर का पूरा संतुलन 30.06.2019 को कंपनी के खातों की किताबों में मौजूद 2,086.49 करोड़ रुपए 30.09.2019 को समाप्त तिमाही के दौरान जनरल रिजर्व में स्थानांतरित कर दिए गए हैं।</p> <p>(v) कंपनी के दीर्घावधि घरेलू ऋण कार्यक्रम (बैंक ऋण सहित) के लिए घरेलू रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग क्रिसिल, आईसीआरए और सीएआरई द्वारा क्रमशः क्रिसिल एएए, आईसीआरए एएए और सीएआरई एएए की सर्वोच्च रेटिंग बनी रहेगी। कंपनी के अल्पावधि घरेलू ऋण कार्यक्रम (बैंक ऋण सहित) में क्रिसिल, आईसीआरए और सीएआरई द्वारा क्रमशः क्रिसिल ए1+, आईसीआरए ए1+ और सीएआरई ए1+ की सर्वोच्च रेटिंग बनी रहेगी।</p> <p>अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों मूडीज, फिच और स्टैंडर्ड एंड पूअर द्वारा कंपनी को दी गई विदेशी मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग क्रमशः बीएए3, बीबीबी- और बीबीबी- बनी रहेगी।</p> <p>(vi) कंपनी गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड निर्गमों (इश्यू) सहित विभिन्न लिखतों के माध्यम से निधियां जुटाती रही है। 30.09.2019 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड की सर्विसिंग में चूक नहीं की है। गैर-परिवर्तनीय रुपए मूल्यवर्ग बॉण्ड के संबंध में मूलधन और ब्याज का भुगतान करने की निर्धारित तारीख क्रमशः 17.09.2019 और 30.09.2019 थी।</p>
11	<p>मौजूदा तिमाही के दौरान, भारत सरकार ने फॉलो-ऑन फंड ऑफर के संबंध में क्रमशः भारत 22 ईटीएफ और सीपीएसई ईटीएफ की परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (एएमसी) को कंपनी में धारित 7,63,13,829 इक्विटी शेयर हस्तांतरित किए हैं। तदनुसार, कंपनी की प्रदत्त इक्विटी पूंजी में भारत सरकार की हिस्सेदारी दिनांक 30.6.2019 को 59.05% से घटकर दिनांक 30.09.2019 तक 56.16% हो गई है।</p>
12	<p>इंड एस 108 "ऑपरेटिंग सेगमेंट्स" के आवश्यकतानुसार बिजनेस / भौगोलिक सेगमेंट के रिपोर्टिंग के संदर्भ में, कंपनी के ऑपरेशंस में केवल एक ही बिजनेस सेगमेंट शामिल है - विद्युत क्षेत्र संस्थाओं को ऋण प्रदान करना। इसलिए, इंड एस 108 के अनुसार कोई रिपोर्ट योग्य सेगमेंट नहीं है।</p>
13	<p>दिनांक 07.02.2019 के एमसीए आदेश (समामेलन के आदेश के अनुसार नियत तारीख) द्वारा दिनांक 01.04.2017 से कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के कंपनी से समामेलन के अनुसरण में, इस समामेलन को प्रभाव देने के लिए तुलनात्मक अवधि के वित्तीय परिणामों को समायोजित किया गया है।</p>
14	<p>पिछली अवधि के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, क्रमबद्ध किया गया है ताकि उनकी तुलना की जा सके।</p>
<p>स्थान: नई दिल्ली तारीख: 14.11.2019</p> <p style="text-align: right;">राजीव शर्मा अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक डीआईएन - 00973413</p>	

Gandhi Minocha & Co.
Chartered Accountants,
B-6, Shakti Nagar Extension,
New Delhi – 110 052
Ph: 011 - 27303078, 42273690
E-mail: gandhica@yahoo.com

Dass Gupta & Associates
Chartered Accountants,
B-4, Gulmohar Park,
New Delhi – 110 049
Ph: 011-4611 1000
E-mail: admin@dassgupta.com

Independent Auditor's Review Report on Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended 31st December 2019 of the Company Pursuant to the Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended

To the Board of Director of
Power Finance Corporation Limited

1. We have reviewed the accompanying Statement of Consolidated Unaudited Financial Results of Power Finance Corporation Limited (the 'Parent') and its subsidiaries (the Parent and its subsidiaries together referred to as the 'Group'), and its share of the net profit / (loss) after tax and total comprehensive income / (loss) of its associates and joint venture for the quarter and nine months ended 31.12.2019 (the 'Statement') attached herewith, being submitted by the Parent pursuant to the requirement of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended (the "Listing Regulations"). Attention is drawn to the fact that the consolidated figures for the corresponding quarter and nine months ended 31.12.2018, as reported in these financial results have been approved by the Parent's Board of Directors, but have not been subjected to review.
2. This Statement, which is the responsibility of the Parent's management and approved by the Parent's Board of Directors in its meeting held on 12.02.2020, has been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standard 34 "Interim Financial Reporting" ('Ind AS 34'), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013, as amended read with relevant rules issued thereunder, and other accounting principles generally accepted in India. Our responsibility is to express a conclusion on the Statement based on our review.
3. We conducted our review of the Statement in accordance with the Standard on Review Engagements (SRE) 2410, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity", issued by the Institute of Chartered Accountants of India. A review of interim financial information consists of making inquiries, primarily of persons responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with Standards on Auditing and consequently does not enable us to obtain assurance that we would become aware of all significant matters that might be identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion.

We also performed procedures in accordance with the circular issued by the SEBI under Regulation 33 (8) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, to the extent applicable.

4. The Statement includes the results of the following entities:
- 5.

Parent	
1.	Power Finance Corporation Limited
Subsidiaries:	
1.	REC Limited ^a
2.	PFC Consulting Limited ^a
3.	Power Equity Capital Advisors Private Limited (under process of striking off)
Joint Venture Entity:	
1.	Energy Efficiency Services Limited



Associates:	
1.	Coastal Maharashtra Mega Power Limited
2.	Orissa Integrated Power Limited
3.	Coastal Karnataka Power Limited
4.	Coastal Tamil Nadu Power Limited
5.	Chhattisgarh Surguja Power Limited
6.	Deoghar Infra Limited
7.	Bihar Infrapower Limited
8.	Sakhigopal Integrated Power Company Limited
9.	Ghogarpalli Integrated Power Company Limited
10.	Tatiya Andhra Mega Power Limited
11.	Deoghar Mega Power Limited
12.	Cheyyur Infra Limited
13.	Odisha Infrapower Limited
14.	Bihar Mega Power Limited
15.	Jharkhand Infrapower Limited

^a consolidated financial results considered for consolidation

6. Based on our review conducted and procedures performed as stated in paragraph 3 above and based on the consideration of the review reports of other auditors referred to in paragraph 6 below, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying Statement, prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in the aforesaid Indian Accounting Standard and other accounting principles generally accepted in India, has not disclosed the information required to be disclosed in terms of the Listing Regulations as amended, including the manner in which it is to be disclosed, or that it contains any material misstatement.

Other Matters

7. We did not review the unaudited financial results of one subsidiary included in the consolidated unaudited financial results, whose financial results reflect total revenues of ₹ 7,716.72 crore and ₹ 22,195.61 crore, total net profit after tax of ₹ 1,666.81 crore and ₹ 4,498.28 crore and total comprehensive income (net of tax) of ₹ 1,723.34 crore and ₹ 4,473.48 crore for the quarter and nine months ended 31.12.2019 respectively, as considered suitably in the consolidated unaudited financial results. These unaudited financial results have been reviewed by other auditors whose report has been furnished to us by the Management and our conclusion on the Statement, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of this subsidiary, is based solely on the report of the other auditors and the procedures performed by us as stated in paragraph 3 above. The financial results of the subsidiary also includes share of net profit after tax of ₹ 3.05 crore and ₹ 7.36 crore and total comprehensive income (net of tax) of ₹ 3.05 crore and ₹ 4.12 crore for the quarter and nine months ended 31.12.2019 respectively in respect of one joint venture (JV) which has not been reviewed. Since said JV is common JV in group accordingly these numbers are forming part of numbers mentioned in para 7 below.
8. The consolidated unaudited financial results includes the financial results of two other subsidiaries which have not been reviewed by their auditors, whose financial results reflect total revenues of ₹ 59.19 crore and ₹ 101.11 crore, total net profit after tax of ₹ 38.70 crore and ₹ 56.90 crore and total comprehensive income of ₹ 38.70 crore and ₹ 56.90 crore for the quarter and nine months ended 31.12.2019 respectively, as considered in the consolidated unaudited financial results. The consolidated unaudited financial results also includes the Group's share of net profit after tax of ₹ 6.56 crore and ₹ 17.98 crore, total comprehensive income of ₹ 6.48 crore and ₹ 14.51 crore for the quarter and nine months ended 31.12.2019 respectively, as considered in the consolidated unaudited financial results, in respect of fifteen associates and one joint venture, based on their financial results which have not been reviewed by their auditors. According to the information and explanations given to us by the Management, these financial results are not material to the Group.



9. The Parent Company and its Subsidiary, REC Ltd., have provided expected credit loss in respect of loan assets and undisbursed letter of comfort as required under Ind AS 109, on the basis of document provided by an independent expert appointed by the Company. Since the calculation parameters require certain technical and professional expertise we have relied upon the expected credit loss calculation so provided by the said independent expert.

Our conclusion on the Statement is not modified in respect of the above matters.

FOR GANDHI MINOCHA & CO.

Chartered Accountants

Firm's Registration No.: 000458N

by the hand of



CA BHUPINDER SINGH

Partner

Membership No. 092867

UDIN: 20092867AAAAAE9869

FOR DASS GUPTA & ASSOCIATES

Chartered Accountants

Firm's Registration No.: 000112N

by the hand of



CA NARESH KUMAR

Partner

Membership No. 082069

UDIN: 20082069AAAAAE7074

Date: 12.02.2020

Place: New Delhi

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड							
ऊर्जा निधि, 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, वेबसाइट: http://www.pfcindia.com							
सीआईएन L65910DL1986GOI024862							
30.09.2019 को समाप्त तिमाही एवं छमाही वर्ष के लिए अनंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण							
(₹ करोड़ में)							
क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त छमाही वर्ष	समाप्त वर्ष			
		30.09.2019 (अनंकेक्षित)	30.06.2019 (अनंकेक्षित)	30.09.2018 (अनंकेक्षित)	30.09.2019 (अनंकेक्षित)	30.09.2018 (अनंकेक्षित)	31.03.2019 (अनंकेक्षित)
	प्रचालनों से राजस्व						
(i)	ब्याजगत आय	15397.11	14510.29	12993.57	29907.4	25360.77	53435.7
(ii)	लाभांश आय	16.03	0.47	20.19	16.5	24.25	76.63
(iii)	शुल्क एवं कमीशन आय	34.62	59.79	215.59	94.41	230.86	374.11
(iv)	अन्य प्रचालनों से आय	81.84	25.93	46.39	107.77	81.17	227.5
I.	कुल प्रचालनों से राजस्व	15529.6	14596.49	13275.74	30126.08	25697.05	54113.94
II.	अन्य आय	7.95	8.64	18.06	16.59	20.90758719	42.89
III.	कुल आय(I+II)	15537.55	14605.13	13293.8	30142.67	25717.96	54156.83
	व्यय						
(i)	वित्तीय लागतें	10152.69	9937.81	8450.35	20090.5	16609.36	34620.96
(ii)	निवल परिवर्तन/लेन-देन विनिमय हानि(+) /अभिलाभ(-)	1191.02	18.05	1430.9	1209.07	2081.24	1041.42
(iii)	शुल्क एवं कमीशन व्यय	5.71	9.21	7.41	14.92	18.59	44.47
(iv)	उचित मूल्य में परिवर्तन पर निवल हानि [हानि(+) /अभिलाभ(-)]	380.2	187.85	1434.47	192.35	2355.86	263.54

(v)	वित्तीय लिखतों पर क्षतिग्रस्तता (इंपेयरमेंट)	699.85	193.34	8.97	893.19	123.51	625.73
(vi)	प्रदान की गई सेवाओं की लागत	14.17	17.25	19.86	31.42	30.54	85.15
(vii)	कार्मिक हितलाभ व्यय	110.46	107.19	76.78	217.65	174.20	362.66
(viii)	मूल्यहास और परिशोधन	5.59	5.12	3.47	10.71	6.82	15.49
(ix)	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	52.68	35.26	40.04	87.94	92.14	206.32
(x)	अन्य व्यय	66.13	42.35	145.86	108.48	188.26	324.77
IV.	कुल व्यय	11918.1	10553.43	8731.23	22471.53	16968.79	36339.05
V.	अपवादिक मदों एवं कर पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)	3619.45	4051.70	4562.57	7671.14	8749.17	17817.78
VI.	अपवादिक मदें	0	0	0	0	0	0
VII.	संयुक्त उद्यम और सहयोगियों से लाभ/ (हानि) का शेयर	0.17	11.25	8.29	11.42	7.48	44.25
VIII.	कर पूर्व लाभ/(हानि)(V- VI)+VII.	3619.62	4062.95	4554.28	7682.56	8741.69	17862.03
	कर व्यय:						
	(1) वर्तमान कर:						
	वर्तमान वर्ष	345.03	1157.02	683.6	1502.05	1459.17	4182.75
	पिछले वर्ष	0	10.3	0	10.3	0.0003	12.75
	(2) आस्थगित कर	777.49	4.11	1361.91	773.38	1909.67	1051.76
IX.	कुल कर व्यय	1122.52	1163.21	2045.51	2285.73	3368.84	5221.76

X.	सतत प्रचालन से वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (VIII-IX)	2497.10	2899.74	2508.77	5396.83	5372.85	12640.27
XI.	बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि) (कर पश्चात)	0	0	0	0	0	0
XII.	वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (सतत एवं बंद प्रचालनों के लिए) (X+XI)	2497.10	2899.74	2508.77	5396.83	5372.85	12640.27
XIII.	अन्य व्यापक आय						
(क)	(i) मर्दे जिनको लाभ या हानि के रूप में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा						
	परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनःमापन	9.32	0.91	8.92	8.41	10.35	23
	इक्विटी लिखतों के उचित मूल्य पर निवल अभिलाभ/(हानि)	222.11	5.47	53.01	227.58	276.06	202.25
	इक्विटी विधि का प्रयोग करके लेखांकित संयुक्त उद्यमों में व्यापक आय/(हानि)	0.32	0	0.19	0.32	0.19	0.13

	(ii) ऐसी मदों में संबंधित आयकर जिनको लाभ या हानि के रूप में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा						
	परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनःमापन	2.74	0.42	0.44	2.32	0.88	8.46
	इक्विटी लिखतों के उचित मूल्य पर निवल अभिलाभ/(हानि)	11.61	0.78	0.99	12.39	1.82	0.68
	इक्विटी विधि का प्रयोग करके लेखांकित संयुक्त उद्यमों में व्यापक आय/(हानि)	0.07	0	0.04	0.07	0.04	0
	उप-जोड़ (क)	204.17	5.18	44.41	209.35	266.42	217.6
(ख)	(i) मदें जिनको लाभ या हानि के रूप में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा						
	नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग लिखतों पर अभिलाभ एवं (हानि) का प्रभावी अंश	24.02	11.07	1.93	12.95	1.93	77.08
	इक्विटी विधि का प्रयोग करके	0	3.94	0	3.94	0	0

	लेखांकित संयुक्त उद्यमों में व्यापक आय/(हानि)						
	(ii) ऐसी मदों में संबंधित आयकर जिनको लाभ या हानि के रूप में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा						
	नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग लिखतों पर अभिलाभ एवं (हानि) का प्रभावी अंश	0.4	3.87	0	4.27	0	26.93
	इक्विटी विधि का प्रयोग करके लेखांकित संयुक्त उद्यमों में व्यापक आय/(हानि)	0.01	0.81	0	0.8	0	0
	उप-जोड़ (ख)	24.43	4.07	1.93	20.36	1.93	50.15
	अन्य व्यापक आय (क+ख)	228.6	1.11	46.34	229.71	268.35	267.75
XIV.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XII+XIII)	2268.50	2898.63	2462.43	5167.12	5104.50	12372.52
	लाभ के कारण:						
	कंपनी का स्वामित्व	1870.71	2185	1688.05	4055.7	3854.93	9920.86
	गैर-नियंत्रित ब्याज	626.39	714.74	820.72	1341.13	1517.92	2719.41
		2497.1	2899.74	2508.77	5396.83	5372.85	12640.27

	अन्य व्यापक आय के कारण :						
	कंपनी का स्वामित्व	202.37	11.19	38.7	191.18	226.48	239.05
	गैर-नियंत्रित ब्याज	26.23	12.3	7.64	38.53	41.87	28.7
		228.6	1.11	46.34	229.71	268.35	267.75
	कुल अन्य व्यापक आय के कारण :						
	कंपनी का स्वामित्व	1668.34	2196.19	1649.35	3864.52	3628.45	9681.81
	गैर-नियंत्रित ब्याज	600.16	702.44	813.08	1302.6	1476.05	2690.71
		2268.50	2898.63	2462.43	5167.120034	5104.5	12372.52
XV.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य ₹ 10/-प्रति)	2640.08	2640.08	2640.08	2640.08	2640.08	2640.08
XVI.	अन्य इक्विटी (31 मार्च को लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	44481.17
XVII.	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (अंकित मूल्य ` 10/- प्रत्येक) (सतत प्रचालनों के लिए):*						
	(1) बुनियादी ईपीएस (₹)	7.08	8.28	6.39	15.36	14.6	37.58
	(2) तनुकृत ईपीएस (₹)	7.08	8.28	6.39	15.36	14.6	37.58
XVIII	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (अंकित मूल्य						

	` 10/- प्रत्येक) (बंद प्रचालनों के लिए):*						
	(1) बुनियादी ईपीएस(₹)	0	0	0	0	0	0
	(2) तनुकृत ईपीएस (₹)	0	0	0	0	0	0
XIX.	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (अंकित मूल्य ` 10/- प्रत्येक) (सतत एवं बंद प्रचालनों के लिए):*						
	(1) बुनियादी ईपीएस (₹)	7.08	8.28	6.39	15.36	14.6	37.58
	(2) तनुकृत ईपीएस S (₹)	7.08	8.28	6.39	15.36	14.6	37.58
	* छमाही वर्ष के लिए ईपीएस वार्षिक नहीं हैं						
	समेकित वित्तीय परिणामों के लिए अनुषंगी टिप्पणियां						

समेकित वित्तीय परिणामों पर टिप्पणियां :

1. परिसंपत्तियों और देयताओं पर समेकित विवरण

(₹ करोड़ में)

--	--	--	--

क्रम सं.	विवरण	30.09.2019 तक	31.03.2019 तक
		की स्थिति के अनुसार (अनंकेक्षित)	की स्थिति के अनुसार अंकेक्षित
	परिसंपत्तियां		
1	वित्तीय परिसंपत्तियां		
(क)	नकदी और नकदी समतुल्य	3432.62	725.03
(ख)	नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल से भिन्न बैंक अधिशेष	870.52	15606.41
(ग)	व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) वित्तीय लिखत	3096.61	2370.56
(घ)	व्यापार स्वीकार योग्य	158	172.13
(ङ)	ऋण	604869.99	573661.28
(च)	निवेश	4517.27	4603.77
(छ)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	23691.02	23761.47
	कुल वित्तीय परिसंपत्तियां (1)	640636.03	620900.65
2	गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां		
(क)	वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	1125.07	795.20
(ख)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	5605.81	6369.74
(ग)	निवेश संपत्ति	0.01	0.01
(घ)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	186.32	186.45
(ङ)	पूँजीगत कार्य प्रगति पर हैं	249.46	196.94
(च)	अमूर्त परिसंपत्तियां अल्प विकसित	1.59	1.59
(छ)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	10.2	9.18
(ज)	उपयुक्त उपयोगी परिसंपत्तियां	42.88	0
(झ)	अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	284.75	393.5
	कुल गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (2)	7506.09	7952.61
3	बिक्री के लिए वर्गीकृत परिसंपत्तियां	13.10	9.56
	कुल परिसंपत्तियां (1+2+3)	648155.22	628862.82
	देयताएं और इक्विटी देयताएं		
	देयताएं		
1	वित्तीय देयताएं		
(क)	व्युत्पन्न वित्तीय लिखत	1118.12	664.99
(ख)	व्यापार देय		
	(i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का कुल बकाया	0	2.65
	(ii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया	58.7	72.26
(ग)	ऋण प्रतिभूतियां	418682.48	398352
(घ)	ऋण (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	120682.34	127007.07
(ङ)	गौण (सबॉर्डिनेटिड) देयताएं	14485.24	14128.46
(च)	अन्य वित्तीय देयताएं	24376.28	24574.28

	कुल वित्तीय देयताएं (1)	579403.16	564801.71
2	गैर-वित्तीय देयताएं		
(क)	प्रावधान	331.96	366.81
(ख)	अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	216.15	209.95
	कुल गैर-वित्तीय देयताएं (2)	548.11	576.76
3	बिक्री के लिए आयोजित परिसंपत्तियों के साथ देयताएं सीधे जुड़ी हुई हैं	-	0.08
	कुल देयताएं (1+2+3)	579951.27	565378.55
4	इक्विटी		
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	2640.08	2640.081408
(ख)	अन्य इक्विटी	47989.30	44481.17
	इक्विटी कंपनी के मालिकों के लिए जिम्मेदार है (क+ख)	50629.38	47121.25
(ग)	गैर-नियंत्रित ब्याज	17574.57	16363.02
	कुल इक्विटी (4)	68203.95	63484.27
	कुल देयताएं एवं इक्विटी (1+2+3+4)	648155.22	628862.82

2. Consolidated Statement of Cash Flows for the Half Year ended 30.09.2019

(₹ in Crores)

Sr. No.	Description	Half Year ended 30.09.2019		Half Year ended 30.09.2018	
I.	Cash Flow from Operating Activities :-				
	Profit before Tax	7,682.56		8,741.69	
	Add / (Less): Adjustments for				
	Loss on derecognition of Property, Plant and Equipment (net)	0.90		0.52	
	Depreciation and Amortisation	10.71		6.82	
	Amortisation of discount on Zero Coupon Bonds and Financial Charges on Commercial Papers	578.82		215.87	
	Unrealised Foreign Exchange Translation Loss / (Gain)	1,022.05		1,659.87	
	Net Change in Fair Value	17.69		(2,353.84)	
	Effective Interest Rate on Loans	39.17		(13.33)	
	Impairment on Financial Instruments	893.19		123.51	
	Income on Investments and Others	(200.46)		(193.94)	
	Income on Interest Subsidy Fund	0.69		2.89	
	Excess Liabilities written back	(0.60)		-	
	Provision for Retirement Benefits etc	27.40		30.02	
	Dividend Income	(16.50)		(24.25)	
	Effective Interest Rate on Borrowings / Debt Securities / Subordinated Liabilities	(78.09)		(16.99)	
	Beneficial on Income Tax Refund	(0.57)		-	
	Interest expenses on Lease Liability	0.39		-	
	Share of Profit/Loss of Joint Venture accounted for using equity method	(11.42)		7.48	
	Operating profit before Working Capital Changes:	9,966.03		8,187.22	
	Increase / Decrease :				
	Loans (Net)	(31,925.17)		(31,794.03)	
	Other Financial and Non-Financial Assets	14,666.65		(7,542.36)	
	Debtors	(358.31)		(861.11)	
	Liabilities and provisions	2,105.97		7,587.02	
	Cash Flow before Exceptional Items	(5,544.83)		(24,393.26)	
	Exceptional items	-		-	
	Cash Flow from Operations Before Tax	(5,544.83)		(24,393.26)	
	Income Tax paid	(1,858.42)		(1,710.52)	
	Income Tax Refund	69.71		14.20	
	Net Cash Flow from Operating Activities		(7,333.54)		(26,089.58)
II.	Cash Flow from Investing Activities :				
	Proceeds from disposal of Property, Plant and Equipment	0.91		0.11	
	Proceeds of Property, Plant and Equipment (including CWIP and capital advance)	(72.61)		(50.05)	
	Interest on investment	154.19		49.35	
	Dividend on investment	16.50		24.25	
	Increase / Decrease in Other Investments	(111.02)		100.81	
	Net Cash Used in Investing Activities		(12.03)		124.47
III.	Cash Flow from Financing Activities :				
	Raising of Bonds (including premiums) (Net of Redemptions)	9,806.17		(12,403.98)	
	Issuance of Long term Loans (Net of Repayments)	3,095.04		22,912.00	
	Issuance of Foreign Currency Loans (Net of Repayments)	18,922.03		8,331.40	
	Issuance of Commercial paper (Net of Repayments)	19,315.96		3,906.20	
	Raising of Working Capital Demand Loan / OD / CC / Line of Credit (Net of Repayments)	(12,452.69)		2,680.42	
	Commercial Bonds (Net)	(0.62)		(3.50)	
	Unclaimed Dividend (Net)	(0.01)		0.86	
	Payment of Lease Liability	(0.80)		-	
	Payment of Interim Dividend	-		11.00	
	Payment of Corporate Dividend Tax	-		(10.87)	
	Net Cash in-flow from Financing Activities		10,053.16		25,513.59
	Net Increase / Decrease in Cash and Cash Equivalents		2707.59		(451.53)
	Add: Cash and Cash Equivalents at beginning of the financial year		725.03		825.04
	Cash and Cash Equivalents at the end of the Half Year		3432.62		373.51
	Details of Cash and Cash Equivalents at the end of the Half Year:				
	(i) Balances with banks (of the nature of cash and cash equivalents)				
	(ii) Current accounts	1,018.27		55.64	
	(iii) Term Deposit Accounts	1,866.29	2864.56	317.82	373.46
	(iv) Cheques, Drafts on hand including postage and interest		0.00		0.05
	(v) Investment in Debt Mutual Fund		548.00		0.00
	Total cash and Cash Equivalents at the end of the Half Year		3432.62		373.51



3	<p>उपर्युक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा और सिफारिश लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है और दिनांक 14.11.2019 को आयोजित संगत बैठकों में निदेशक मंडल द्वारा इन्हें अनुमोदित किया गया है। ये संयुक्त सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 और 52 के अनुसार सांविधिक लेखापरीक्षक एम.के.अग्रवाल एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट और गांधी मिनोचा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन हैं। हालांकि, दिनांक 30.09.2018 को समाप्त तुलनात्मक अवधि के लिए समेकित आंकड़ें, जैसा की इस वित्तीय परिणाम में दिए गए हैं, सीमित समीक्षा के लिए नहीं है क्योंकि दिनांक अप्रैल 01, 2019 से तिमाही समेकित वित्तीय परिणामों को प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है।</p>																
4	<p>वित्तीय परिणाम कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक ('इंड एस')- 34 'अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग' में निर्धारित मान्यता और माप सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं।</p>																
5	<p>इंड एस 109 के अनुसार कंपनी द्वारा पोषित क्रेडिट हासित ऋण परिसंपत्तियों एवं हासित हानि छूट का ब्योरा निम्नानुसार है:</p> <p style="text-align: right;">(₹ करोड़ में)</p> <table border="1" data-bbox="193 752 1528 965"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th> <th>विवरण</th> <th>30.09.2019 तक</th> <th>31.03.2019 तक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>क)</td> <td>क्रेडिट हासित ऋण परिसंपत्तियां</td> <td>50,101.80</td> <td>49,888.75</td> </tr> <tr> <td>ख)</td> <td>पोषित हासित हानि छूट</td> <td>25,562.78</td> <td>24,719.96</td> </tr> <tr> <td>ग)</td> <td>हासित हानि छूट कवरेज (%) (बी/ए)</td> <td>51.06%</td> <td>49.55%</td> </tr> </tbody> </table>	क्र. सं.	विवरण	30.09.2019 तक	31.03.2019 तक	क)	क्रेडिट हासित ऋण परिसंपत्तियां	50,101.80	49,888.75	ख)	पोषित हासित हानि छूट	25,562.78	24,719.96	ग)	हासित हानि छूट कवरेज (%) (बी/ए)	51.06%	49.55%
क्र. सं.	विवरण	30.09.2019 तक	31.03.2019 तक														
क)	क्रेडिट हासित ऋण परिसंपत्तियां	50,101.80	49,888.75														
ख)	पोषित हासित हानि छूट	25,562.78	24,719.96														
ग)	हासित हानि छूट कवरेज (%) (बी/ए)	51.06%	49.55%														
6	<p>विवेकपूर्ण तौर पर, हासित साख वाली ऋण परिसंपत्तियों पर आय केवल तभी मान्य है जब प्रत्याशित वसूली बकाया ऋण राशि से अधिक हो।</p>																
7	<p>कंपनी ने दिनांक 30.3.2019 के कंपनी (भारत लेखा मानक) दूसरा संशोधन नियम के माध्यम से कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण का उपयोग करके इंड एस 116- 'लीज' अपनाया है। 01.04.2019 के रूप में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) कंपनियां (भारतीय लेखा मानक) दूसरा संशोधन नियम, 2019 दिनांक 30.03.2019 द्वारा अधिसूचित। इसके परिणामस्वरूप 44.55 करोड़ रुपए का 'राइट टू यूज एसेट' और 14.13 करोड़ का लीज देयता को मान्यता मिली है। तिमाही के लिए लाभ पर प्रभाव भौतिक नहीं है।</p>																
8	<p>कंपनी ने कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीए के अंतर्गत अनुमति दिए गए विकल्प का प्रयोग किया है। तिमाही और छमाही के लिए आयकर प्रावधान (वर्तमान कर) दिनांक 30.09.2019 को समाप्त हो गया है और वार्षिक आधार पर मान्यता दी गई है। इसके अलावा, वार्षिक प्रभावी आयकर दर को संशोधित करके और वित्तीय वर्ष में परिवर्तन के प्रभाव को पहचानने के द्वारा धारा 115बीए के अंतर्गत निर्धारित दर के आधार पर आस्थगित कर आस्तियों / देयता को हटा दिया गया है।</p>																
9	<p>दिनांक 30.09.2019 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए समेकित वित्तीय परिणामों में, कंपनी के परिणाम, एक सहायक कंपनी के समेकित सीमित समीक्षा परिणाम एवं दो सहायक कंपनियों: एक संयुक्त उद्यम एवं 15 एसोसिएट्स के प्रबंधन द्वारा अनुमोदित परिणाम शामिल है। इन सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम एंटीटी एवं एसोसिएट्स के वित्तीय परिणाम इंड एस 110- 'समेकित वित्तीय विवरण', इंड एस 111- 'संयुक्त व्यवस्था' एवं इंड एस 28- 'एसोसिएट्स एवं संयुक्त उद्यम में निवेश' के अनुसार है।</p>																
10	<p>दिनांक 30.09.2019 को समाप्त छमाही के लिए समेकित आधार पर संबंधित पार्टि लेन-देन का प्रकटीकरण अनुलग्नक- "क" में प्रस्तुत है।</p>																

11	इंड एस 108 "ऑपरेंटिंग सेगमेंट्स" के आवश्यकतानुसार बिजनेस / भौगोलिक सेगमेंट के रिपोर्टिंग के संदर्भ में, कंपनी के ऑपरेशंस में केवल एक ही बिजनेस सेगमेंट शामिल है - विद्युत क्षेत्र संस्थाओं को ऋण प्रदान करना। इसलिए, इंड एस 108 के अनुसार कोई रिपोर्ट योग्य सेगमेंट नहीं है।
12	पिछली अवधि के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, क्रमबद्ध किया गया है ताकि उनकी तुलना की जा सके।

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 14.11.2019

राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक
डीआईएन - 00973413

Annexure – 'A'

Transactions with the related parties during the half year ended 30.09.2019 on consolidated basis.

Particulars	(₹ In Crore)
	Amount
Joint Venture	
CSR Expenses	0.63
Others	0.04
Associates	
Advances to associates	(3.08)
Interest income on advances to associates	13.04
Advances received from Associates	56.42
Interest expenses on advances from associates	2.86
Others	25.09
Trusts / Funds/ Foundations of the Group	
Contributions made during the year	7.69
Finance Cost – Interest paid	1.37
CSR Expenses	48.41
Key managerial personnel	
Short term employee benefits	4.23
Post-employment benefits	0.18
Other long term benefits	0.17
Repayment/ Recovery of loans and advances	(0.06)
Directors' Sitting Fees	0.19
Others	0.03



Gandhi Minocha & Co.
Chartered Accountants,
B-6, Shakti Nagar Extension,
New Delhi – 110052
Ph: 011 - 27303078, 42273690
E-mail: gandhica@yahoo.com

Dass Gupta & Associates
Chartered Accountants,
B-4, Gulmohar Park,
New Delhi – 110049
Ph: 011-4611 1000
E-mail: admin@dassgupta.com

Independent Auditor's Review Report on the Quarterly and Year to Date Unaudited Standalone Interim Financial Statements of the Company

To the Board of Directors,
Power Finance Corporation Limited

1. We have reviewed the accompanying unaudited standalone interim financial Statements of Power Finance Corporation Limited (the "Company") which comprise the Balance Sheet as at 30.09.2019, Statement of Profit & Loss, Cash flow statement and Statement of changes in equity for the period then ended and Significant Accounting Policies and Summarized Notes to Accounts thereon.
2. These interim financial statements are the responsibility of the Company's management and have been approved by the Board of Directors, has been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standard 34 "Interim Financial Reporting" ("Ind AS 34"), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013, as amended read with relevant rules issued thereunder, and other accounting principles generally accepted in India. Our responsibility is to issue a report on these interim financial statements based on our review.
3. We conducted our review in accordance with Standard on Review Engagements (SRE) 2410, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity", issued by the Institute of Chartered Accountants of India. This Standard requires that we plan and perform the review to obtain moderate assurance as to whether the interim financial statements are free of material misstatement. A review is limited primarily to inquiries of company personnel and analytical procedures applied to financial data and thus provides less assurance than an audit. We have not performed an audit and accordingly, we do not express an audit opinion.
4. Based on our review conducted as above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying unaudited standalone interim financial statements prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in aforesaid Indian Accounting Standard and other recognised accounting practices and policies has not disclosed the information required to be disclosed in terms of Standard on Review Engagements (SRE) 2410, including the manner in which it is to be disclosed, or that it contains any material misstatements.


Other Matter

5. The Company has provided Expected Credit Loss (ECL) in respect of loan assets and undisbursed letter of comfort as required under Ind AS 109, on the basis of document provided by an independent expert appointed by the Company. Since the calculation parameters require certain technical and professional expertise we have relied ECL calculations so provided by the said independent expert.

Our opinion on the statement is not modified in respect of above matter.

This report has been issued at the request of the company for the purpose of ongoing Global Medium Term notes (GMTN) programme.

FOR GANDHI MINOCHA & CO.
Chartered Accountants
Firm's Registration No.: 000458N
by the hand of


CA BHUPINDER SINGH
Partner
Membership No. 092867
UDIN: 19092867AAAAEM2256

Date: 14.11.2019
Place: New Delhi

FOR DASS GUPTA & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Firm's Registration No.: 000112N
by the hand of


CA NARESH KUMAR
Partner
Membership No. 082069
UDIN: 19082069AAAAAM3081

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय परिणामों के लिए टिप्पणियां :			
1. परिसंपत्तियां और देयताओं पर एकल (स्टैंडअलोन) विवरण			
(₹ करोड़ में)			
क्रम सं.	विवरण	30.09.2019 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
		(अनंकेक्षित)	अंकेक्षित
	परिसंपत्तियां		
1	वित्तीय परिसंपत्तियां		
(क)	नकदी और नकदी समतुल्य	10.57	308.48
(ख)	नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल से भिन्न बैंक अधिशेष	12.61	13846.53
(ग)	व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) वित्तीय लिखत	882.23	567.98
(घ)	ऋण	314884.26	303210.36
(इ)	निवेश	16504.57	16586.2
(च)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	5354.45	5376.4
	कुल वित्तीय परिसंपत्तियां (1)	337648.69	339895.95
2	गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां		
(क)	वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	814.46	497.89
(ख)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	3596.15	4060.73
(ग)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	29.3	27.74
(घ)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	0.47	0.59
(इ)	उपयुक्त उपयोगी परिसंपत्तियां	35.98	0
(च)	अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	154.75	242.09
	कुल गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (2)	4631.11	4829.04
	कुल परिसंपत्तियां (1+2)	342279.8	344724.99
	देयताएं और इक्विटी देयताएं		
	देयताएं		
1	वित्तीय देयताएं		
(क)	व्युत्पन्न वित्तीय लिखत	527.39	505.59
(ख)	ऋण प्रतिभूतियां	212525.33	205584.49
(ग)	ऋण (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	68325.57	80344.53
(घ)	गौण (सबॉर्डिनेटिड) देयताएं	9670	9309.7
(इ)	अन्य वित्तीय देयताएं	5427.78	5327.84
	कुल वित्तीय देयताएं (1)	296476.07	301072.15
2	गैर-वित्तीय देयताएं		
(क)	प्रावधान	249.06	264
(ख)	अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	109.52	100.85
	कुल गैर-वित्तीय देयताएं (2)	358.58	364.85
	कुल देयताएं (1+2)	296834.65	301437
3	इक्विटी		
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	2640.08	2640.081408
(ख)	अन्य इक्विटी	42805.07	40647.91
	कुल इक्विटी (3)	45445.15	43287.99141
	कुल देयताएं एवं इक्विटी (1+2+3)	342279.8	344724.9914
एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय परिणामों पर अनुषंगी टिप्पणियां			

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड				
सीआईएन L65910DL1986GOI024862				
30 सितंबर, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का एकल (स्टैंडअलोन) विवरण				
(` करोड़ में)				
क्रम सं.	विवरण	नोट सं.	30.09.2019 को समाप्त छमाही	30.09.2018 को समाप्त छमाही
	प्रचालनों से राजस्व			
(i)	ब्याजगत आय	19	15,521.70	13,550.04
(ii)	लाभांश आय		1.24	23.01
(iii)	शुल्क एवं कमीशन आय	20	77.49	102.10
I.	कुल प्रचालनों से राजस्व		15,600.43	13,675.15
II.	अन्य आय	22	6.43	6.67
III.	कुल आय (I+II)		15,606.86	13,681.82
	व्यय			
(i)	वित्तीय लागतें	23	10,805.62	9,211.76
(ii)	निवल परिवर्तन/लेन-देन विनिमय हानि(+)/अभिलाभ(-)		536.94	966.01
(iii)	शुल्क एवं कमीशन व्यय	24	4.08	4.27
(iv)	उचित मूल्य में परिवर्तन पर निवल हानि [हानि(+)/अभिलाभ(-)]	21	(207.38)	(729.66)
(v)	वित्तीय लिखतों पर क्षतिग्रस्तता (इंपेयरमेंट)	25	611.87	(72.00)
(vi)	कार्मिक हितलाभ व्यय	26	109.10	88.51
(vii)	मूल्यहास और परिशोधन	8	3.74	2.55
(viii)	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय		36.28	32.27
(ix)	अन्य व्यय	27	37.33	51.14
IV.	कुल व्यय		11,937.58	9,554.85
V.	अपवादिक मदों एवं कर पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)		3,669.28	4,126.97
VI.	अपवादिक मदें		-	-
VII.	कर पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)		3,669.28	4,126.97
	कर व्यय :			
	(1) वर्तमान कर:			
	वर्तमान कर		669.27	795.60
	पिछले वर्ष		-	-
	(2) आस्थगित कर		459.99	580.38
VIII.	कुल कर व्यय		1,129.26	1,375.98
IX.	सतत प्रचालन से वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (VII-VIII)		2,540.02	2,750.99
X.	बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि) (कर पश्चात)		-	-
XI.	वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (सतत एवं बंद प्रचालनों के लिए) (IX+X)		2,540.02	2,750.99

XII.	अन्य व्यापक आय		
(क)	(i) मर्दे जिनको लाभ या हानि के रूप में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
	- परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनःमापन	0.45	2.89
	- इक्विटी लिखतों के उचित मूल्य पर निवल अभिलाभ/(हानि)	(131.14)	(181.98)
	(ii) ऐसी मर्दों से संबंधित आयकर जिनको लाभ या हानि के रूप में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
	- परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनःमापन	(0.32)	0.88
	उप-कुल (क)	(131.01)	(178.21)
(ख)	(i) मर्दे जिनको लाभ या हानि के रूप में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा		
	-नकदी प्रवाह हेजिंग में हेजिंग लिखतों पर अभिलाभ एवं (हानि) का प्रभावी अंश	(12.95)	(1.93)
	(ii) ऐसी मर्दों से संबंधित आयकर जिनको लाभ या हानि के रूप में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा		
	-नकदी प्रवाह हेजिंग में हेजिंग लिखतों पर अभिलाभ एवं (हानि) का प्रभावी अंश	(4.27)	-
	उप-कुल (ख)	(17.22)	(1.93)
	अन्य व्यापक आय (क+ख)	(148.23)	(180.14)
XIII.	अवधि के कुल व्यापक आय (XI+XII)	2,391.79	2,570.85
XIV.	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (अंकित मूल्य ` 10/- प्रत्येक) (सतत प्रचालनों के लिए):		
	(1) बेसिक ईपीएस (°)	9.62	10.42
	(2) तनुकृत ईपीएस (°)	9.62	10.42
XV.	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (अंकित मूल्य ` 10/- प्रत्येक) (बंद प्रचालनों के लिए):		
	(1) बेसिक ईपीएस (°)	-	-
	(2) तनुकृत ईपीएस (°)	-	-
XVI.	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (अंकित मूल्य ` 10/- प्रत्येक) (सतत एवं बंद प्रचालनों के लिए):		
	(1) बेसिक ईपीएस (°)	9.62	10.42
	(2) तनुकृत ईपीएस (°)	9.62	10.42
	*छमाही के लिए ईपीएस वार्षिक नहीं है।		
		(राजीव शर्मा)	
	स्थान : नई दिल्ली	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	
	तिथि : 14.11.2019	डीआईएन - 00973413	

Power Finance Corporation Limited
CIN (L28240) (M2010) (99) 26182
Statement of Changes in Equity for the Half Year ended September 30, 2019
(In crore)

A. Equity Share Capital

Particulars	Amount
Balance as at 01.04.2019	2,600.00
Change during the period	-
Balance as at 30.09.2019	2,600.00
Balance as at 01.04.2018	2,600.00
Change during the period	-
Balance as at 30.09.2018	2,600.00

B. Other Equity

Particulars	Reserves and surplus										Other Comprehensive		Total
	Special Reserve (Sec. 101) of Reserve Bank of India Act, 1934	Reserve for Bad & Doubtful Debts (Sec. 102) of Reserve Bank of India Act, 1934	Special Reserve created in accordance with Sec. 103 of Reserve Bank of India Act, 1934	Special Reserve created and maintained in accordance with Sec. 103 of Reserve Bank of India Act, 1934	Debitum Reserve	Securities Premium	Foreign Currency Monetary Translation Difference Account	Interst Differential Reserve - NFW Loan	General Reserve	Retained Earnings	Equity Instruments Issued through Other Comprehensive Income in Cash Flow Hedge	Effective Portion of Cash / Loans Instruments Issued through Other Comprehensive Income in Cash Flow Hedge	
Balance as at 01.04.2019	1,61,524	3,71,623	899,829	17,929,27	2,811,18	2,78,54	(798,72)	48,89	5,138,68	6,362,52	(278,48)	(38,17)	88,47,91
Re-measurement of Defined Benefit Plan (Expense)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,368,97	-	812	2,14,271
Transfer of Contribution Income for the period	908,10	1,63,83	-	299,93	51,34	-	-	-	2,87,44	2,048,18	(13,14)	(12,72)	(18,78)
Transfer to / from General Reserve	-	(81,07)	-	-	(2,46,49)	-	-	-	-	(1,471,70)	4	(12,22)	2,89,79
Reclassification of debt / loss on sale of equity instruments measured at OCI	-	-	-	-	-	-	(174,63)	6,51	-	(254,12)	194,12	-	-
Additional / (Decrease) during the period (net)	-	-	-	-	-	2,78,54	(1,94,63)	6,51	18,136,11	7,613,89	(15,61)	89,27	42,68,87
Balance as at 30.09.2019	1,61,524	3,71,623	899,829	18,227,48	2,811,18	2,78,54	(1,94,63)	55,40	18,136,11	14,016,41	(15,61)	90,27	1,34,65,71

Particulars	Reserves and surplus										Other Comprehensive		Total
	Special Reserve (Sec. 101) of Reserve Bank of India Act, 1934	Reserve for Bad & Doubtful Debts (Sec. 102) of Reserve Bank of India Act, 1934	Special Reserve created in accordance with Sec. 103 of Reserve Bank of India Act, 1934	Special Reserve created and maintained in accordance with Sec. 103 of Reserve Bank of India Act, 1934	Debitum Reserve	Securities Premium	Foreign Currency Monetary Translation Difference Account	Interst Differential Reserve - NFW Loan	General Reserve	Retained Earnings	Equity Instruments Issued through Other Comprehensive Income in Cash Flow Hedge	Effective Portion of Cash / Loans Instruments Issued through Other Comprehensive Income in Cash Flow Hedge	
Balance as at 01.04.2018	1,13,38	2,08,79	826,45	15,328,35	1,728,82	2,78,54	(1,06,77)	-57,08	6,418,48	3,648,48	(188,25)	-	24,11,67
Re-measurement of Defined Benefit Plan (loss of cost)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,726,99	-	3,27	1,79,28
Transfer of Contribution Income for the period	917,48	1,18,76	-	92,27	48,52	-	-	-	2,784,29	2,784,29	(181,96)	(1,91)	(18,71)
Transfer to / from General Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,471,70)	4	(12,22)	2,79,85
Additional / (Decrease) during the period (net)	917,48	1,18,76	-	92,27	48,52	-	(1,11,96)	6,51	2,784,29	2,784,29	(181,96)	(1,91)	(1,11,96)
Balance as at 30.09.2018	1,13,38	2,08,79	826,45	15,419,62	1,777,34	2,78,54	(1,17,73)	6,51	9,202,77	6,428,77	(200,21)	(1,91)	25,71,81

Place: New Delhi
 Date: 14.11.2019



(Signature)
 CHARTERED ACCOUNTANT
 DIN - (007241)

Power Finance Corporation Limited
CIN L65918DL1986GOI924882
Standalone Statement of Cash Flows for the Half Year ended September 30, 2019

(₹ in crore)

Sr. No.	Description	Half Year ended 30.09.2019	Half Year ended 30.09.2018
I.	Cash Flow from Operating Activities :-	3,669.28	4,126.97
	Profit before Tax		
	Add / (Less): Adjustments for		
	Loss on derecognition of Property, Plant and Equipment (net)	0.28	0.19
	Depreciation and Amortisation	3.74	2.55
	Amortization of discount on Zero Coupon Bonds and Financial Charges on Commercial Papers	212.27	44.96
	Unrealised Foreign Exchange Translation Loss / (Gain)	524.66	965.91
	Net Change in Fair Value	-	(729.66)
	Effective Interest Rate on Loans	4.54	1.19
	Impairment on Financial Instruments	611.87	(72.00)
	Interest on Investments	(106.49)	(73.97)
	Interest on Interest Subsidy Fund	0.69	2.89
	Provision for Retirement Benefits etc.	27.40	30.02
	Dividend Income	(1.24)	(23.01)
	Effective Interest Rate on Borrowings / Debt Securities / Subordinated Liabilities	(70.45)	(9.18)
	Interest on Income Tax Refund	(0.57)	-
	Interest expenses on Lease Liability	0.39	-
	Operating profit before Working Capital Changes:	4,876.47	4,266.86
	Increase / Decrease :		
	Loans (Net)	(12,306.74)	(14,245.10)
	Other Financial and Non-Financial Assets	13,816.92	(1,550.04)
	Derivative	(292.45)	(151.13)
	Liabilities and provisions	1,570.40	553.64
	Cash Flow before Exceptional Items	7,664.60	(11,125.77)
	Exceptional Items	-	-
	Cash Flow from Operations Before Tax	7,664.60	(11,125.77)
	Income Tax paid	(987.33)	(891.98)
	Income Tax Refund	56.84	14.20
	Net Cash flow from Operating Activities	6,734.11	(12,003.55)
II.	Cash Flow From Investing Activities :		
	Proceeds from disposal of Property, Plant and Equipment	0.07	0.02
	Purchase of Property, Plant and Equipment	(5.31)	(1.95)
	Interest on investment	168.13	28.92
	Dividend on investment	1.24	23.01
	Increase / Decrease in Other Investments	3.03	(99.08)
	Net Cash Used in Investing Activities	107.16	(49.08)
III.	Cash Flow From Financing Activities :		
	Raising of Bonds (including premium) (Net of Redemptions)	80.80	(12,919.68)
	Raising of Long Term Loans (Net of Repayments)	495.43	16,779.00
	Raising of Foreign Currency Loans (Net of Repayments)	11,738.29	5,911.21
	Raising of Subordinated Liabilities (Net of Redemptions)	0.00	(9.00)
	Raising of Commercial paper (Net of Repayments)	(7,000.00)	(630.00)
	Raising of Working Capital Demand Loan / OD / CC / Line of Credit (Net of Repayments)	(12,452.68)	2,680.42
	Unclaimed Bonds (Net)	(0.62)	(3.50)
	Unclaimed Dividend (Net)	(0.01)	0.86
	Payment of Lease Liability	(0.39)	-
	Net Cash in-flow from Financing Activities	(7,139.18)	11,818.31
	Net Increase / Decrease in Cash and Cash Equivalents	(297.91)	(234.32)
	Add: Cash and Cash Equivalents at beginning of the financial year	308.48	537.71
	Cash and Cash Equivalents at the end of the Half Year	10.57	303.39
	Details of Cash and Cash Equivalents at the end of the Half Year:		
	i) Balances with Banks (of the nature of cash and cash equivalents)		
	In current accounts	10.57	3.39
	In Term Deposit Accounts	-	300.00
	ii) Cheques, Drafts on hand including postage and interest	-	-
	Total Cash and Cash Equivalents at the end of the Half Year	10.57	303.39

Place : New Delhi
Date : 14.11.2019



Rakesh Sharma
RAKESH SHARMA
Chartered & Managing Director
DEN - 00973413

1			
नकदी और नकदी समतुल्य			
		(` करोड़ में)	
क्रम सं.	विवरण	30.09.2019 को	31.03.2019 को
(i)	बैंकों में शेष (नकदी एवं नकदी समतुल्य की प्रकृति का)		
	चालू खातों में	10.57	8.48
	सावधि जमा खातों में	-	300.00
(ii)	डाक व्यय एवं अग्रदाय सहित हाथ में चेक, ड्राफ्ट	0.00	0.00
	कुल नकदी और नकदी समतुल्य	10.57	308.48
2			
नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल से भिन्न बैंक शेष			
		(` करोड़ में)	
क्रम सं.	विवरण	30.09.2019 को	31.03.2019 को
(i)	बैंकों में उद्दिष्ट शेष		
	सावधि जमा खाते	-	13,833.64
	अदत्त लाभांश	3.15	3.16
	अदत्त - बॉण्ड, बॉण्डों पर ब्याज आदि	9.46	9.73
	आईपीडीएस/आर-एपीडीआरपी योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि	0.00	-
	नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल से भिन्न कुल बैंक शेष	12.61	13,846.53

3	डेरिवेटिव वित्तीय लिखत						
							(` करोड़ में)
क्रम सं.	विवरण	30.09.2019 को			31.03.2019 को		
		अनुमानिक राशि	उचित मूल्य की परिसंपत्तियां	उचित मूल्य की देयताएं	अनुमानिक राशि	उचित मूल्य की परिसंपत्तियां	उचित मूल्य की देयताएं
(i)	मुद्रा डेरिवेटिव						
	- स्पॉट और फॉरवर्ड	19,983.21	634.43	195.65	15,290.12	295.95	335.46
	- प्रचालन	-	-	-	2,766.20	78.30	-
	कुल मुद्रा डेरिवेटिव	19,983.21	634.43	195.65	18,056.32	374.25	335.46
(ii)	ब्याज दर डेरिवेटिव						
	- वायदा दर करार और ब्याज दर स्वैप	17,183.35	247.80	331.74	18,428.28	193.73	170.13
	कुल ब्याज दर डेरिवेटिव	17,183.35	247.80	331.74	18,428.28	193.73	170.13
	कुल डेरिवेटिव वित्तीय लिखत (i+ii)	37,166.56	882.23	527.39	36,484.60	567.98	505.59
भाग - II							
	उपर्युक्त (भाग I) में शामिल निम्नानुसार हेजिंग एवं जोखिम प्रबंधन के प्रयोजनार्थ धारित डेरिवेटिव है :						
(i)	नकदी प्रवाह हेजिंग (निर्दिष्ट)						
	- मुद्रा डेरिवेटिव	5,670.00	13.95	25.10	1,728.88	-	100.03
	- ब्याज दर डेरिवेटिव	3,543.75	-	119.68	1,728.88	-	64.84
	कुल नकदी प्रवाह हेजिंग (निर्दिष्ट)	9,213.75	13.95	144.78	3,457.76	-	164.87
(ii)	अनामित डेरिवेटिव						
		27,952.81	868.28	382.61	33,026.84	567.98	340.72
	कुल डेरिवेटिव वित्तीय लिखत (i+ii)	37,166.56	882.23	527.39	36,484.60	567.98	505.59

4	ऋण		
	कंपनी इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुसरण में परिशोधित लागत पर सभी ऋणों को वर्गीकृत किया गया है।		
			(' करोड़ में)
क्रम सं.	विवरण	30.09.2019 को	31.03.2019 को
(क)	ऋणकर्ताओं को ऋण		
(i)	- रुपया सावधि ऋण (आरटीएल)	3,13,695.82	2,99,463.59
(ii)	- विदेशी मुद्रा ऋण	240.99	240.99
(iii)	- क्रेता लाइन ऑफ क्रेडिट	1,682.08	1,759.67
(iv)	- कार्यशील पूंजी ऋण	9,170.61	12,582.27
(v)	- पट्टा	223.77	223.77
(vi)	- इन्वॉक किए गए डिफॉल्ट भुगतान गारंटी के लिए प्राप्य	420.83	396.64
(vii)	- ऋण पर प्रोद्भूत परंतु अदेय ब्याज	4,877.26	4,630.80
(viii)	- ऋणों पर प्रोद्भूत एवं देय ब्याज	766.19	182.08
(ix)	ऋणों पर अपरिशोधित ऋण	(98.57)	(88.41)
	ऋणकर्ताओं का सकल ऋण	3,30,978.98	3,19,391.40
	घटाएं : क्षतिग्रस्तता हानि छूट	(16,094.72)	(16,181.04)
	निवल ऋण ऋणकर्ताओं	3,14,884.26	3,03,210.36
(ख)	प्रतिभूतिवार वर्गीकरण		
(i)	मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत	2,08,189.96	2,01,490.39
(ii)	अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत	-	-
(iii)	बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा आवृत	67,010.97	59,474.29
(iv)	अप्रतिभूत	55,778.05	58,426.72
	सकल प्रतिभूतिवार वर्गीकरण	3,30,978.98	3,19,391.40
	घटाएं : क्षतिग्रस्तता हानि छूट	(16,094.72)	(16,181.04)
	निवल प्रतिभूतिवार वर्गीकरण	3,14,884.26	3,03,210.36
(ग) I	भारत में ऋण		
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र	2,74,009.14	2,65,465.58
(ii)	निजी क्षेत्र	56,969.84	53,925.82
	भारत में सकल ऋण	3,30,978.98	3,19,391.40
	घटाएं : क्षतिग्रस्तता हानि छूट	(16,094.72)	(16,181.04)
	भारत में निवल ऋण	3,14,884.26	3,03,210.36
(ग) II	भारत के बाहर ऋण	-	-
	घटाएं : क्षतिग्रस्तता हानि छूट	-	-
	भारत के बाहर निवल ऋण	-	-
	भारत में और भारत के बाहर निवल ऋण	3,14,884.26	3,03,210.36

5	निवेश									
										(` करोड़ में)
क्रम सं.	विवरण	30.09.2019 की स्थिति के अनुसार								
		प्रतिभूतियों की संख्या	अंकित मूल्य (राशि में)	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य पर			अन्य*	कुल	
अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ या हानि के माध्यम से				उप जोड़					
(क)	निवेश									
(i)	ऋण प्रतिभूतियां									
	- आंध्रा बैंक के बॉण्ड्स	8,000	10,00,000			853.64	853.64			853.64
(ii)	इक्विटी लिखत									
	सहायक कंपनियां									
	- आरईसी लिमिटेड	10394,95,247	10					14,500.50		14,500.50
	- पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	52,246	10					0.15		0.15
	- पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड	50,000	10					0.05		0.05
	संयुक्त उद्यम									
	- एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड	2455,00,000	10					245.50		245.50
	सहयोगी कंपनी									
	- अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स	7,50,000	10					0.75		0.75
	अन्य									
	- पीटीसी इंडिया लिमिटेड	120,00,000	10			67.56	67.56			67.56
	- कोल इंडिया लिमिटेड	139,64,530	10			279.08	279.08			279.08
	- एनएचपीसी लिमिटेड	2432,60,606	10			542.47	542.47			542.47
	- पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड	32,20,000	10			0.00	0.00			0.00
	- जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी लिमिटेड	-	-			-	-			-

	- श्री महेश्वर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	1318,46,77 9	10		0.00		0.00		0.00
(iii)	अधिमान शेयर								
	- रायपुर एनर्जिन लिमिटेड	59,82,371	100	8.79					8.79
	- रत्नागिरि गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड	5222,70,00 0	10	0.00					0.00
(iv)	अन्य								
	- "स्माल इज ब्यूटीफुल" फंड की यूनिटें	61,52,200	10		6.13	-	6.13		6.13
	कुल निवेश			8.79	895.24	853.6 4	1,748.8 8	14,746. 95	16,504. 62
(B)	भूगोलवार निवेश								
(i)	भारत के बाहर निवेश			-	-	-	-	-	-
(ii)	भारत में निवेश			8.79	895.24	853.64	1,748.8 8	14,746. 95	16,504. 62
	सकल भूगोलवार निवेश			8.79	895.24	853.6 4	1,748.8 8	14,746. 95	16,504. 62
	घटाएं : क्षतिग्रस्तता हानि छूट			-	-	-	-	(0.05)	(0.05)
	निवल भूगोलवार निवेश			8.79	895.24	853.6 4	1,748.8 8	14,746. 90	16,504. 57
	*लागत पर मापित								

क्रम सं.	विवरण	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार							
		प्रतिभूतियों की संख्या	अंकित मूल्य (राशि में)	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य पर			Others*	Total
					अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ या हानि के माध्यम से	उप जोड़		
(क)	निवेश								
(i)	ऋण प्रतिभूतियां								
	- आंध्रा बैंक के बॉण्ड्स	8,000	10,00,000			809.84	809.84		809.84
(ii)	इक्विटी लिखत								
	सहायक कंपनियां			-					
	- आरईसी लिमिटेड	10394,95,247	10					14,500.50	14,500.50
	- पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	52,246	10					0.15	0.15
	- पावर इक्विटी कैपिटल एडवायजर्स प्राइवेट लिमिटेड	50,000	10					0.05	0.05
	संयुक्त उद्यम								
	- एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	2455,00,000	10					245.50	245.50
	सहयोगी कंपनी								
	- अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स	7,50,000	10					0.75	0.75
	अन्य								
	- पीटीसी इंडिया लिमिटेड	120,00,000	10			88.14	88.14		88.14
	- कोल इंडिया लिमिटेड	139,64,530	10			331.24	331.24		331.24
	- एनएचपीसी लिमिटेड	2444,73,240	10			603.85	603.85		603.85

	- जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी लिमिटेड	2750,00,000	10		0.00		0.00		0.00
	- श्री महेश्वर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	1318,46,779	10		0.00		0.00		0.00
(ii i)	अन्य								
	- "स्माल इज ब्यूटीफुल" फंड की यूनिटें	61,52,200	10		6.18	-	6.18		6.18
	कुल निवेश				1,029.41	809.84	1,839.25	14,746.95	16,586.20
(ख)	भूगोलवार निवेश								
(i)	भारत के बाहर निवेश			-	-	-	-	-	-
(ii)	भारत में निवेश			-	1,029.41	809.84	1,839.25	14,746.95	16,586.20
	सकल भूगोलवार निवेश			-	1,029.41	809.84	1,839.25	14,746.95	16,586.20
	घटाएं : क्षतिग्रस्तता हानि छूट			-	-	-	-	-	-
	निवल भूगोलवार निवेश			-	1,029.41	809.84	1,839.25	14,746.95	16,586.20
	*लागत पर मापित								

6	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां \		
	कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुसरण में परिशोधित लागत पर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को वर्गीकृत किया है।		
			(` करोड़ में)
क्रम सं.	विवरण	30.09.2019 की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार
(i)	भारत सरकार द्वारा पूर्णतः चुकता किए गए बाँण्डों के कारण वसूली योग्य राशि	5,038.98	5,038.21
(ii)	अग्रिम - सहायक कंपनियों एवं सहयोगी कंपनियों को*	204.09	196.22
(iii)	अग्रिम - कार्मिकों को	0.51	0.77
(iv)	कार्मिकों को ऋण	52.21	48.98
(v)	कार्मिक ऋणों पर प्रोद्भूत परंतु अदेय ब्याज	29.50	27.70
(vi)	अन्य	43.77	74.82
	घटाएं: अन्य पर क्षतिग्रस्तता हानि छूट	(14.61)	(10.30)
	कुल अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	5,354.45	5,376.40
	* नकदी में वसूली योग्य		

वर्तमान कर परिसंपत्तियां/देयताएं (निवल)			
			(` करोड़ में)
	विवरण	30.09.2019 की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार
	अग्रिम आयकर एवं टीडीएस (निवल प्रावधान)	743.89	433.33
	विवाद के अधीन आयकर मांग पर जमा किया गया कर (निवल प्रावधान)	70.57	64.56
	वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	814.46	497.89

8	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) तथा अमूर्त परिसंपत्तियां								
			(` करोड़ में)						
	निवल वहन राशि	30.09 .2019 की स्थिति के अनुसार	As at 31.03 .2019						
	फ्रीहोल्ड भूमि	3.38	3.38						
	बिल्डिंग	12.81	13.13						
	ईडीपी उपकरण	3.55	3.36						
	कार्यालय उपकरण	4.89	4.53						
	फर्नीचर और फिक्सचर	4.63	3.32						
	वाहन	0.04	0.02						
	कुल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	29.30	27.74						
	अमूर्त परिसंपत्तियां	0.47	0.59						
	कुल अमूर्त परिसंपत्तियां	0.47	0.59						
									(` करोड़ में)
	सकल वहन राशि	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण							अमूर्त परिसंपत्तियां
		फ्रीहोल्ड भूमि	बिल्डिंग	ईडीपी उपकरण	कार्यालय उपकरण	फर्नीचर और फिक्सचर	वाहन	कुल	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर
	01.04.2018 के प्रारंभिक शेष	3.38	24.92	17.07	16.32	9.27	0.20	71.16	9.46
	बढ़ोतरी/समायोजन	-	-	2.24	3.64	2.04	-	7.92	0.01

	निपटान/समायोजन	-	-	2.96	2.36	0.16	0.10	5.58	-
	31.03.2019 को अंतिम शेष	3.38	24.92	16.35	17.60	11.15	0.10	73.50	9.47
	बढ़ोतरी/समायोजन	-	-	1.55	1.77	1.96	0.03	5.31	-
	निपटान/समायोजन	-	-	0.80	0.53	0.15	-	1.48	-
	30.09.2019 को अंतिम शेष	3.38	24.92	17.10	18.84	12.96	0.13	77.33	9.47
									(` करोड़ में)
	संचित मूल्यहास/परिशोधन	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण							अमूर्त परिसंपत्तियां
		फ्रीहोल्ड भूमि	बिल्डिंग	ईडीपी उपकरण	कार्यालय उपकरण	फर्नीचर और फिक्सचर	वाहन	कुल	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर
	01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	-	11.12	13.93	12.65	7.22	0.16	45.08	8.57
	अवधि के लिए मूल्यहास	-	0.67	1.90	2.59	0.70	0.01	5.87	0.31
	बेची गई/बही से बट्टे खाते डाली गई परिसंपत्तियों पर रिवर्सल	-	-	2.84	2.17	0.09	0.09	5.19	-
	31.03.2019 को अंतिम शेष	-	11.79	12.99	13.07	7.83	0.08	45.76	8.88
	अवधि के लिए	-	0.32	1.24	1.28	0.54	0.01	3.39	0.12
	बेची गई/बही से बट्टे खाते डाली गई परिसंपत्तियों पर रिवर्सल	-	-	0.68	0.40	0.04	-	1.12	-
	30.09.2019 को अंतिम शेष	-	12.11	13.55	13.95	8.33	0.09	48.03	9.00
									(` करोड़ में)
	सकल भार राशि	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण							अमूर्त परिसंपत्तियां

		फ्रीहो लड भूमि	बिल्डिंग	ईडीपी उपकरण	कार्यालय उपकरण	फर्नीचर और फिक्स चर	वाहन	कुल	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर
	01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	3.38	24.92	17.07	16.32	9.27	0.20	71.16	9.46
	बढ़ोतरी/समायोजन	-	-	0.20	1.15	0.58	-	1.93	0.01
	निपटान/समायोजन	-	-	2.73	0.92	0.08	-	3.73	-
	30.09.2018 को अंतिम शेष	3.38	24.92	14.54	16.55	9.77	0.20	69.36	9.47
									(` करोड़ में)
	संचित मूल्यहास/परिशोधन	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण							अमूर्त परिसंपत्तियां
		फ्रीहो लड भूमि	बिल्डिंग	ईडीपी उपकरण	कार्यालय उपकरण	फर्नीचर और फिक्स चर	वाहन	कुल	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर
	01.04.2018 प्रारंभिक शेष	-	11.12	13.93	12.65	7.22	0.16	45.08	8.57
	01.04.2018 से 30.09.2018 की अवधि के लिए	-	0.34	0.85	0.95	0.25	0.01	2.40	0.15
	बेची गई/बही से बट्टे खाते डाली गई परिसंपत्तियों पर रिवर्सल	-	-	2.65	0.82	0.05	-	3.52	-
	30.09.2018 को अंतिम शेष	-	11.46	12.13	12.78	7.42	0.17	43.96	8.72

9	उपयुक्त उपयोगी परिसंपत्तियां		
(` करोड़ में)			
विवरण		30.09.2019 की स्थिति के अनुसर	31.03.2019 की स्थिति के अनुसर
लीजहोल्ड भूमि का प्रारंभिक शेष		-	-
अतिरिक्त ⁵		36.20	
घटाएं : अवधि के दौरान मूल्यहास*		0.22	-
लीजहोल्ड भूमि का अंतिम शेष		35.98	-
⁵ Ind AS 116, applicable from 01.04.2019, requires recognition of Right of Use Assets on long term non-cancellable lease contracts.			
*Depreciation expense on ROU assets is included under Depreciation and Amortization expenses in the Standalone Statement of Profit and Loss.			

9 Right-of-use Assets

(₹ in crore)

Particulars	As at 30.09.2019	As at 31.03.2019
Opening Balance of Leasehold Land	-	-
Additions ³	36.20	-
Less: Depreciation during the Period*	0.22	-
Closing Balance of Leasehold Land	35.98	-

³Ind AS 116, applicable from 01.04.2019, requires recognition of Right of Use Assets on long term non-cancellable lease contracts.

*Depreciation expense on ROU assets is included under Depreciation and Amortization expenses in the Standalone Statement of Profit and Loss.



10 Other Non-Financial Assets

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	As at 30.09.2019	As at 31.03.2019
(i)	Prepaid Expenses	5.29	29.31
(ii)	Deferred Employee Costs	43.63	40.67
(iii)	Others	105.83	172.11
	Total Other Non-Financial Assets	154.75	242.09



11 Debt Securities

The Company has categorised Debt Securities at amortised cost in accordance with the requirements of Ind AS 109.
(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	As at 30.09.2019	As at 31.03.2019
(i)	Bonds / Debenture		
	- Infrastructure Bonds	278.63	278.63
	- Tax Free Bonds	12,275.11	12,275.11
	- 54EC Capital Gain Tax Exemption Bonds	1,312.51	784.10
	- Taxable Bonds	1,67,349.65	1,67,774.95
	- Foreign Currency Notes	20,908.13	8,298.60
(ii)	Commercial Paper	2,905.98	9,715.92
(iii)	Interest accrued but not due on above	7,697.10	6,588.16
(iv)	Unamortised Transaction Cost on above	(201.78)	(130.98)
	Total Debt Securities	2,12,525.33	2,05,584.49
	Geography wise Debt Securities		
(i)	Debt Securities in India	1,91,531.70	1,97,222.82
(ii)	Debt Securities outside India	20,993.63	8,361.67
	Total Geography wise Debt Securities	2,12,525.33	2,05,584.49



12 Borrowings (other than Debt Securities)

The Company has categorised Borrowings (other than Debt Securities) at amortised cost in accordance with the requirements of Ind AS 109.

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	As at 30.09.2019	As at 31.03.2019
(A)	Term Loans		
(i)	From Banks and Financial Institutions		
	- Foreign Currency Loans	1,943.83	4,676.17
	- Syndicated Foreign Currency Loans	18,472.48	15,852.09
	- Rupee Term Loan	39,198.98	38,703.55
(ii)	From other Parties		
	- Rupee Term Loan - Govt	7,500.00	7,500.00
(B)	Other Loans from Banks		
(i)	Loan against Term Deposits	-	12,737.18
(ii)	Working Capital Demand Loan / Overdraft / Cash Credit / Line of Credit	904.50	620.00
(C)	Interest accrued but not due on above	452.91	402.77
(D)	Unamortised Transaction Cost on above	(147.13)	(147.23)
	Total Borrowings (other than Debt Securities)	68,325.57	80,344.53
	Geography wise Borrowings		
(i)	Borrowings in India	47,977.66	59,899.50
(ii)	Borrowings outside India	20,347.91	20,445.03
	Total Geography wise Borrowings	68,325.57	80,344.53



13 Subordinated Liabilities

The Company has categorised Subordinated Liabilities at amortised cost in accordance with the requirements of Ind AS 109.

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	As at 30.09.2019	As at 31.03.2019
(A)	Subordinated Liabilities		
(i)	Subordinated Bonds	9,211.50	9,211.50
(ii)	Interest accrued but not due on above	462.35	102.30
(iii)	Unamortised Transaction Cost on above	(3.85)	(4.10)
	Total Subordinated Liabilities	9,670.00	9,309.70
(B)	Geography wise Subordinated Liabilities		
(i)	Subordinated Bonds in India	9,670.00	9,309.70
(ii)	Subordinated Bonds outside India	-	-
	Total Geography wise Subordinated Liabilities	9,670.00	9,309.70



14 Other Financial Liabilities

The Company has categorised Other Financial Liabilities at amortised cost in accordance with the requirements of Ind AS 109.

(**₹ in crore**)

Sr. No.	Particulars	As at 30.09.2019	As at 31.03.2019
(i)	Payable for Government of India Serviced Bonds	5,038.98	5,038.21
(ii)	Advance received from Subsidiaries and Associates*	247.17	189.11
(iii)	Unpaid Dividends - Unclaimed Dividends	3.15	3.16
(iv)	Unpaid - Bonds and Interest Accrued thereon - Unclaimed Bonds - Unclaimed Interest on Bonds	0.53 11.99	1.15 13.95
(v)	Others - Application Money Refundable on Bonds and interest accrued thereon - Interest Subsidy Fund - Payable under APDRP/IPDS scheme - Lease Liability - Other liabilities	0.78 16.65 1.20 8.81 98.52	0.77 15.96 - - 65.53
	Total Other Financial Liabilities	5,427.78	5,327.84

*Payable in cash



15 Provisions

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	As at 30.09.2019	As at 31.03.2019
(i)	For Employee Benefits:		
	- Gratuity	0.58	0.75
	- Leave Encashment	30.47	27.31
	- Economic Rehabilitation of Employees	1.71	1.69
	- Provision for Bonus / Incentive	25.60	33.74
	- Provision for Staff Welfare Expenses	10.36	13.80
(ii)	Impairment Loss Allowance - Letter of Comfort	180.34	186.71
	Total Provisions	249.06	264.00



16 Other Non-Financial Liabilities

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	As at 30.09.2019	As at 31.03.2019
(i)	Unamortised Fee - Undisbursed Loan Assets	100.97	96.36
(ii)	Statutory dues payable	8.55	4.49
	Total Other Non-Financial Liabilities	109.52	100.85



17 - Equity Share Capital

Sr. No.	Particulars	As at 30.09.2019		As at 31.03.2019	
		Number	Amount (₹ in crore)	Number	Amount (₹ in crore)
(A)	Authorised Capital				
	Equity Share Capital (Par Value per share ₹ 10)	11,00,00,00,000	11,000.00	11,00,00,00,000	11,000.00
	Preference Share Capital (Par Value per share ₹ 10)	20,00,00,000	200.00	20,00,00,000	200.00
(B)	Issued, Subscribed and Fully Paid-up Capital				
	Equity Share Capital (Par Value per share ₹ 10)	2,64,00,81,408	2,640.08	2,64,00,81,408	2,640.08
(C)	Reconciliation of Equity Share Capital				
	Opening Equity Share outstanding	2,64,00,81,408	2,640.08	2,64,00,81,408	2,640.08
	Changes during the year	-	-	-	-
	Closing Equity Share capital	2,64,00,81,408	2,640.08	2,64,00,81,408	2,640.08



18 Other Equity*

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	As at 30.09.2019	As at 31.03.2019
(i)	Debenture Redemption Reserve	-	2,014.25
(ii)	Securities Premium	2,776.54	2,776.54
(iii)	Foreign Currency Monetary Item Translation Difference Account	(1,004.35)	(769.72)
(iv)	Special Reserve created u/s 45-IC(1) of Reserve Bank of India Act, 1934	1,921.94	1,413.94
(v)	Reserve for Bad & doubtful debts u/s 36(1)(viii)(c) of Income-Tax Act, 1961	3,093.11	3,740.21
(vi)	Special Reserve created u/s 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961 up to Financial Year 1996-97	599.85	599.85
(vii)	Special Reserve created and maintained u/s 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961 from Financial Year 1997-98	18,227.88	17,498.27
(viii)	Interest Differential Reserve - KFW Loan	61.01	60.00
(ix)	General Reserve	10,336.12	7,438.68
(x)	Retained Earnings	7,013.85	6,202.53
(xi)	Reserve for Equity Instruments through Other Comprehensive Income	(153.51)	(276.49)
(xii)	Reserve for Effective portion of gains and loss on hedging instruments in a Cash Flow Hedge through Other Comprehensive Income	(67.37)	(50.15)
	Total Other Equity*	42,805.07	40,647.91

*For movements during the period refer Standalone Statement of Changes in Equity.



19 Interest Income

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	Half Year ended 30.09.2019		Half Year ended 30.09.2018	
		On Financial Assets measured at Amortised Cost	Interest Income on Financial Assets classified at fair value through profit or loss	On Financial Assets measured at Amortised Cost	Interest Income on Financial Assets classified at fair value through profit or loss
(i)	Interest on Loans	15,594.03	-	13,693.52	-
	Less : Rebate for Timely Payment to Borrowers	(196.71)	-	(233.10)	-
(ii)	Interest on Investment in Bonds	-	43.80	-	43.92
(iii)	Interest on Deposits with Banks	62.69	-	30.05	-
(iv)	Other Interest Income	17.89	-	15.65	-
	Total Interest Income	15,477.90	43.80	13,506.12	43.92



20 Fees and Commission Income

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	Half Year ended 30.09.2019	Half Year ended 30.09.2018
(i)	Prepayment Premium on Loans	45.78	89.83
(ii)	Fee based Income on Loans	31.71	4.26
(iii)	Fee for implementation of Gov Schemes	-	8.01
	Total Fees and Commission Income	77.49	102.10

21 Net Gain (-) / Loss (+) on Fair Value Changes

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	Half Year ended 30.09.2019	Half Year ended 30.09.2018
(i)	On financial instruments designated at Fair value through Profit or Loss:		
	- Change in Fair Value of Derivatives	(207.38)	(729.66)
	Total Net Gain (-) / Loss (+) on Fair Value Changes	(207.38)	(729.66)
	Fair value changes:		
(i)	- Realised	51.05	157.61
(ii)	- Unrealised	(258.43)	(887.27)
	Total Net Gain (-) / Loss (+) on Fair Value Changes	(207.38)	(729.66)

22 Other Income

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	Half Year ended 30.09.2019	Half Year ended 30.09.2018
(i)	Miscellaneous Income	6.43	6.67
	Total Other Income	6.43	6.67



23 Finance Costs

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	Half Year ended 30.09.2019		Half Year ended 30.09.2018	
		On financial liabilities measured at amortised cost	On Financial Liabilities classified at fair value through profit or loss	On financial liabilities measured at amortised cost	On Financial Liabilities classified at fair value through profit or loss
(i)	Interest on Borrowings				
	- Term Loans and Others	2,190.46	-	809.89	-
(ii)	Interest on Debt Securities				
	- Bonds / Debentures	7,781.17	-	7,992.58	-
	- Commercial Papers	338.52	-	223.55	-
(iii)	Interest on Subordinated Liabilities	425.82	-	178.56	-
(iv)	Other Interest Expense				
	- Interest on Interest Subsidy Fund	0.69	-	2.89	-
	- Interest on Application Money - Bonds	-	-	0.02	-
	- Interest on advances received from Subsidiaries	2.86	-	3.09	-
	- Swap Premium (Net)	-	65.71	-	1.18
	- Interest on Lease Liability	0.39	-	-	-
	Total Finance Costs	10,739.91	65.71	9,210.58	1.18



24 Fees and Commission Expense

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	Half Year ended 30.09.2019	Half Year ended 30.09.2018
(i)	Agency Fees	0.47	0.35
(ii)	Guarantee, Listing and Trusteeship fees	0.80	1.14
(iii)	Credit Rating Fees	2.62	2.65
(iv)	Other Finance Charges	0.19	0.13
	Total Fees and Commission Expense	4.08	4.27

25 Impairment on Financial Instruments

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	Half Year ended 30.09.2019	Half Year ended 30.09.2018
		On Financial Instruments measured at Amortised Cost	On Financial Instruments measured at Amortised Cost
(i)	Loans	(86.33)	(74.60)
(ii)	Write Offs	700.21	-
(iii)	Other Financial Instruments	4.36	5.15
(iv)	Letter of Comfort	(6.37)	(2.55)
	Total Impairment on Financial Instruments	611.87	(72.00)

26 Employee Benefit Expenses

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	Half Year ended 30.09.2019	Half Year ended 30.09.2018
(i)	Salaries and Wages	70.68	64.53
(ii)	Contribution to Provident and other Funds	9.80	11.35
(iii)	Staff Welfare Expenses	26.24	10.31
(iv)	Rent for Residential Accommodation of Employees	2.38	2.32
	Total Employee Benefit Expenses	109.10	88.51

27 Other Expenses

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	Half Year ended 30.09.2019	Half Year ended 30.09.2018
(i)	Rent, Taxes and Energy Cost	7.55	12.48
(ii)	Repairs and Maintenance	2.32	2.06
(iii)	Communication Costs	0.17	0.18
(iv)	Printing and Stationery	0.42	1.22
(v)	Advertisement and Publicity	4.58	5.90
(vi)	Directors Fees, Allowance and Expenses	0.09	0.05
(vii)	Auditor's fees and expenses	0.17	0.14
(viii)	Legal & Professional charges	3.12	4.01
(ix)	Insurance	0.05	0.05
(x)	Travelling and Conveyance	7.11	5.93
(xi)	Net Loss / (Gain) on derecognition of Property, Plant and Equipment	0.28	0.19
(xii)	Other Expenditure	17.33	18.93
	Total Other Expenses	67.33	51.14



लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियां

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां नीचे दी गई हैं :

1 तैयारी और मापन का आधार

ये एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का प्रयोग करके सतत सरोकार आधार पर तैयार किए गए हैं। परिसंपत्तियों एवं देयताओं का मापन प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ऐतिहासिक लागत पर या परिशोधित लागत पर या उचित मूल्य पर किया गया है।

उचित कीमत वह कीमत होती है जो मापन की तिथि को बाजार के प्रतिभागियों के बीच किसी क्रमबद्ध लेन-देन में किसी परिसंपत्ति की बिक्री पर प्राप्त होगा या किसी देयता के अंतरण पर भुगतान की जाएगी, इस बात पर ध्यान दिए बगैर कि वह कीमत मूल्यांकन की दूसरी तकनीक का प्रयोग करके सीधे पालनीय या अनुमानित है।

उचित मूल्य के मापों को इंड एएस की आवश्यकता के अनुसार लेवल 1, 2 या 3 में श्रेणीकृत किया गया है, जिसका वर्णन नीचे किया गया है:

- लेवल 1 के इनपुट समान परिसंपत्तियों या देयताओं जिनका मूल्यांकन संस्था मापन की तारीख को कर सकती है, के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतें (गैर समायोजित) हैं;
- लेवल 2 के इनपुट लेवल 1 में शामिल उद्धृत कीमतों से भिन्न हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिसंपत्ति या देयता के लिए पालनीय हैं; और
- लेवल 3 के इनपुट परिसंपत्ति या देयता के लिए अपालनीय इनपुट हैं।

2. नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी में हाथ में नकदी और मांग जमा शामिल है। कंपनी सभी अल्पावधि अधिशेषों (जिनकी मूल परिपक्वता अवधि अधिग्रहण की तिथि से तीन माह या कम है), उच्च तरल निवेश, जो नकदी की ज्ञात राशियों में शीघ्रता से परिवर्तित किए जा सकते हैं, और जो मूल्य में परिवर्तनों के नगण्य जोखिम के अधीन हैं।

3. डेरिवेटिव वित्तीय लिखत

3.1 ब्याज दर तथा विदेशी विनिमय दर के जोखिमों पर अपने एक्सपोजर के प्रबंधन के लिए कंपनी कई प्रकार के डेरिवेटिव वित्तीय लिखत जैसे कि केवल स्वैप के रूप में मूलधन, ब्याज दर स्वैप, ऑप्शन तथा वायदा संविदाएं करती है।

3.2 कंपनी नकदी प्रवाह हेज़ या उचित मूल्य हेज़ के रूप में हेज़ संबंध के अंतर्गत कुछ डेरिवेटिव संविदाएं नामित करती है।

नकदी प्रवाह हेज़

डेरिवेटिव के उचित कीमत में परिवर्तनों के प्रभावी अंश जो नकदी प्रवाह हेज़ के रूप में नामित किए जाते हैं और अर्हक हैं, को अन्य व्यापक आय में मान्य किया जाता है। निष्प्रभावी अंश से संबंधित अभिलाभ या हानि को तत्काल लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है। अन्य व्यापक आय में मान्य राशियां (जो प्रभावी अंश हैं) ऐसी अवधियों में लाभ और हानि विवरण में पुनः वर्गीकृत की जाती हैं जब रक्षित मद लाभ या हानि को प्रभावित करती है।

उचित मूल्य हेज़

डेरिवेटिव के नामित अंश के उचित मूल्य में परिवर्तन जो उचित मूल्य हेज़ के रूप में अर्हक होते हैं, लाभ और हानि विवरण में हेज़ मद जो हेज़ जोखिम पर आरोप्य होती है, के उचित मूल्य में किसी परिवर्तन के साथ तत्काल मान्य किए जाते हैं। हेज़ लिखत के नामित अंश के मूल्य में परिवर्तन तथा हेज़ जोखिम पर आरोप्य हेज़ मद में परिवर्तन हेज़ मद से संबंधित लाइन मद में लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किए जाते हैं।

जब हेज़ लिखत की अवधि समाप्त हो जाती है या कालातीत हो जाती है या प्रयुक्त हो जाती है या जब यह हेज़ लेखांकन के लिए अर्हक नहीं होती है, तो हेज़ लेखांकन बंद हो जाता है।

3.3 डेरिवेटिव लिखतों, हेज़ संबंध के अंतर्गत नामित डेरिवेटिव लिखतों को छोड़कर, को शुरू में तारीख जब डेरिवेटिव लिखत के करार किए जाते हैं, को उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है और इसके बाद प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उनके उचित मूल्य पर पुनः मापा जाता है। परिणामी अभिलाभ या हानि को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

4. वित्तीय लिखत

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को तब मान्य किया जाता है, जब कंपनी वित्तीय लिखतों के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बन जाती है।

शुरूआती मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को उचित मूल्य प्लस/माइनस लेन-देन लागत पर मान्य किया जाता है जो वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण या निर्गम पर आरोप्य है। ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं के मामले में जो लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर मान्य की जाती हैं, उसकी लेन-देन लागत लाभ एवं हानि विवरण में मान्य की जाती है।

4.1 वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों की सभी नियमित बिक्री या क्रय को निपटान की तारीख के आधार पर मान्य एवं विमान्य किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों का नियमित क्रय या बिक्री ऐसी बिक्री या क्रय है जिसके लिए बाजार स्थल में विनियम या अभिसमय (कन्वेंशन) द्वारा स्थापित समय सीमा के अंदर परिसंपत्तियों की डिलीवरी करने की आवश्यकता होती है।

शुरूआती मान्यता के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के आधार पर परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में पूर्णतः मापा जाता है।

(I) वित्तीय परिसंपत्तियों (इक्विटी लिखतों से भिन्न) का वर्गीकरण एवं मापन

(क) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां :

निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर विधि (ईआईआर) का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है :

- परिसंपत्ति किसी व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत धारित की जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए परिसंपत्तियों का धारण करना है; और
- परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्धारित तारीखों को नकदी प्रवाहों को जन्म देती हैं जो बकाया मूलधन पर मूलधन एवं ब्याज के अनन्य भुगतान (एसपीपीआई) हैं।

प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि

प्रभावी ब्याज दर विधि वित्तीय परिसंपत्ति की परिशोधित लागत की गणना करने तथा अपेक्षित जीवनकाल में ब्याज आय आबंटित करने की विधि है। ईआईआर विधि का प्रयोग करते समय कंपनी सामान्यतया किसी शुल्क, प्राप्त या संदत्त प्वाइंट, लेन-देन लागत तथा अन्य प्रीमियम या डिस्काउंट जो किसी वित्तीय लिखत की प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न अंग है, परिशोधित करती है।

एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत वित्तीय परिसंपत्तियों को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रभावी ब्याज दर आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में आय को मान्य किया जाता है।

ईआईआर का निर्धारण वित्तीय परिसंपत्ति की शुरूआती मान्यता पर किया जाता है। इसके बाद संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसरण में प्रत्येक रीसेट पर ईआईआर को अपडेट किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की शर्तों पर पुनः वार्ता होने पर बाजार संचालित से भिन्न ब्याज दर मूवमेंट, संशोधन से पूर्व परिगणित पिछले ईआईआर का प्रयोग करके मापे गए किसी अभिलाभ/हानि को उस अवधि में लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है जिसके दौरान ऐसी पुनः वार्ता होती है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर वित्तीय परिसंपत्तियां

यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्ति का मापन किया जाता है :

- व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रहण तथा वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री दोनों द्वारा प्राप्त किया जाता है; और
- परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्धारित तारीखों को नकदी प्रवाहों को जन्म देती हैं जो बकाया मूलधन पर मूलधन एवं ब्याज के अनन्य भुगतान (एसपीपीआई) हैं।

उचित मूल्य में सभी परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्य किया जाता है और आरक्षित निधि में संचित किया जाता है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को एफवीटीपीएल पर मापा जाता है, जब तक कि उसे लाभ एवं हानि विवरण में मान्य उचित मूल्य में सभी परिवर्तनों के साथ परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई पर मापा न गया हो।

(ii) इक्विटी लिखतों का वर्गीकरण एवं मापन

सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों में इक्विटी निवेश से भिन्न सभी इक्विटी निवेश उचित मूल्य पर मापे जाते हैं। ट्रेडिंग के लिए धारित किए गए इक्विटी लिखतों को एफवीटीपीएल पर वर्गीकृत किया जाता है। सभी अन्य इक्विटी लिखतों के लिए कंपनी शुरुआती मान्यता पर उसे एफवीटीओसीआई या एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत करने के लिए अप्रतिसंहार्य चुनाव करती है। कंपनी लिखत दर लिखत आधार पर ऐसा चुनाव करती है।

एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत इक्विटी निवेश को शुरु में उचित मूल्य प्लस लेन-देन लागत पर मापा जाता है। उसके बाद उसे उचित मूल्य पर मापा जाता है और उचित मूल्य में सभी परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्य किया जाता है और आरक्षित निधि में संचित किया जाता है। निवेश की बिक्री पर भी ओसीआई से लाभ एवं हानि विवरण में राशियों की कोई रिसाइविलिंग नहीं होती है। तथापि, कंपनी इक्विटी के अंदर उसका अंतरण करती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी लिखतों को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

(iii) वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्तता

(क) शुरुआती मान्यता के बाद, कंपनी इंड एस 109 'वित्तीय लिखत' के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) को मान्य करती है। ऋण परिसंपत्तियों से भिन्न ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों पर ईसीएल को आजीवन प्रत्याशित क्षतियों के बराबर राशि पर मापा जाता है। कंपनी 'वित्तीय लिखतों पर क्षतिग्रस्तता' के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में ईसीएल प्रभार या रिवर्सल (जहां निवल राशि विशिष्ट अवधि के लिए ऋणात्मक अधिशेष है) दर्शाती है।

ईसीएल की मान्यता एवं मापन के लिए क्षतिग्रस्तता की अपेक्षाओं को एफवीटीओसीआई पर ऋण परिसंपत्ति पर समान रूप से प्रयुक्त किया जाता है, सिवाय इसके कि ईसीएल को अन्य व्यापक आय में मान्य किया जाता है और तुलन-पत्र में वहन राशि से कटौती नहीं की जाती है।

(ख) चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) के अंतर्गत ऋण परिसंपत्तियों एवं प्रतिबद्धताओं की क्षतिग्रस्तता :

कंपनी आजीवन ईसीएल के समान राशि पर ऋण परिसंपत्तियों पर ईसीएल का मापन करती है, यदि क्रेडिट क्षतिग्रस्तता होती है या शुरुआती मान्यता के बाद क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि (एसआईसीआर) हुई है। यदि शुरुआती मान्यता की तुलना में कोई एसआईसीआर नहीं होता है तो कंपनी 12 माह के ईसीएल के बराबर राशि पर ईसीएल मापती है। इस बात का मूल्यांकन करते समय कि शुरुआती मान्यता के बाद कोई एसआईसीआर है, कंपनी तर्कसंगत एवं समर्थनीय सूचना पर विचार करती है जो अनुचित लागत या प्रयास के बगैर उपलब्ध होती है। यदि कंपनी पिछली अवधि में आजीवन ईसीएल के रूप में हानि छूट का मापन करती है परंतु परवर्ती अवधि में निर्धारित करती है कि क्रेडिट की गुणवत्ता में सुधार के कारण शुरुआती मान्यता के बाद कोई एसआईसीआर नहीं है तो कंपनी 12 माह के ईसीएल के आधार पर हानि छूट का पुनः मापन करती है।

ईसीएल क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋण परिसंपत्तियों के लिए व्यक्तिगत आधार पर मापा जाता है तथा अन्य ऋण परिसंपत्तियों पर यह सामान्यतया सजातीय समूहों का प्रयोग करके सामूहिक आधार पर मापा जाता है।

कंपनी ऋण परिसंपत्तियों की तरह समान आधार पर एलओसी के अंतर्गत प्रतिबद्धताओं पर क्षतिग्रस्तता का मापन करती है।

(ग) परिणामी हानियों एवं रिवर्सल को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

(iv) वित्तीय परिसंपत्तियों की विमान्यता

कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति को तब विमान्य करती है जब संपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या जब यह किसी दूसरे पक्षकार को वित्तीय परिसंपत्ति तथा परिसंपत्ति के स्वामित्व के सारवान रूप से सभी जोखिमों एवं पुरस्कारों को अंतरित कर देती है।

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की पूर्णतः विमान्यता पर, परिसंपत्ति की वहन राशि एवं प्राप्त और प्राप्य प्रतिफल की रकम तथा संचयी अभिलाभ या हानि जिसे अन्य व्यापक आय में मान्य किया गया था और इक्विटी में संचित किया गया था, के बीच अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है यदि ऐसे अभिलाभ या हानि को उस वित्तीय परिसंपत्ति के निपटान पर लाभ एवं हानि विवरण में अन्यथा मान्य किया गया है।

4.2 वित्तीय देयताएं

(i) डेरिवेटिव तथा वित्तीय गारंटी संविदाओं से भिन्न सभी वित्तीय देयताओं को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआइआर) विधि का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

वित्तीय देयता की शुरुआती मान्यता पर ईआइआर का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसरण में रीसेट की संबंधित तारीख को परिवर्तनशील ब्याज दर वाली वित्तीय देयताओं के लिए ईआइआर को अपडेट किया जाता है।

(ii) वित्तीय गारंटी

कंपनी द्वारा जारी की गई वित्तीय गारंटी को शुरु में उचित मूल्य पर मापा जाता है और यदि एफवीटीपीएल पर नामित नहीं है, तो बाद में निम्नलिखित के उच्चतर स्तर पर मापा जाता है :

- गारंटी के फलस्वरूप उत्पन्न किसी वित्तीय बाध्यता के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय का सर्वोत्तम अनुमानय और
- उपयुक्त होने पर लाभ एवं हानि विवरण में मान्य आय की संचयी राशि को घटाकर शुरु में मान्य की गई राशि।

(iii) वित्तीय परिसंपत्तियों की विमान्यता

कंपनी वित्तीय देयताओं को तब और केवल तभी विमान्य करती है जब कंपनी की बाध्यताएं उन्मुक्त, रद्द या कालातीत हो जाती हैं। विमान्य वित्तीय देयता की वहन राशि और संदत्त एवं संदेय प्रतिफल के बीच अंतर को लाभ और हानि विवरण में मान्य किया

जाता है।

5. सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों में निवेश

सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों में निवेश के इक्विटी शेयरों में निवेश को लागत पर लेखांकित किया जाता है।

6. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) तथा मूल्यदास

(i) शुरु में पीपीई की मदों को लागत पर मान्य किया जाता है। इसके बाद फ्रीहोल्ड भूमि जिसके लिए मूल्यदास नहीं किया जाता है, को छोड़कर, संचित मूल्यदास एवं संचित क्षतिग्रस्तता हानि को घटाकर लागत पर मापन किया जाता है। सक्रिय प्रयोग से निवृत्त तथा निपटान के लिए धारित पीपीई की मद को उसके बही मूल्य या निवल वसूली योग्य मूल्य के निचले स्तर पर व्यक्त किया जाता है।

(ii) प्रयोग के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के मामले में, अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन अनुमोदित बिलों या संविदाओं के अनुसार किए गए कार्य के अनुमानित मूल्य जहां अंतिम बिल (बिल्स) अभी तक प्राप्त/अनुमोदित नहीं हुए हैं, के आधार पर पूंजीकरण किया जाता है।

(iii) पीपीई की किसी मद के प्रतिस्थापित पार्ट की लागत को मद की वहन राशि में मान्य किया जाता है यदि ऐसी संभावना होती है कि पार्ट में शामिल भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे तथा उसकी लागत का मापन विश्वसनीय ढंग से किया जा सकता है। प्रतिस्थापित पार्ट की वहन राशि विमान्य की जाती है। पीपीई की अनुरक्षण या सर्विसिंग लागत को व्यय के अनुसार लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

(iv) निर्माणाधीन पीपीई को लागत पर अग्रेनीत किया जाता है तथा कोई मान्य क्षतिग्रस्तता हानि घटाई जाती है। पीपीई की ऐसी मदों को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की उपयुक्त श्रेणियों में तब वर्गीकृत किया जाता है जब वे पूर्ण और

आशयित प्रयोग के लिए तैयार हो जाती हैं। अन्य परिसंपत्तियों की तरह इन परिसंपत्तियों का मूल्य ढास तब शुरू होता है जब परिसंपत्तियां अपने आशयित प्रयोग के लिए तैयार हो जाती हैं।

(v) सेलफोन को छोड़कर, जहां कंपनी द्वारा उपयोगी काल 2 वर्ष के रूप में निर्धारित किया गया है अनुमानित उपयोगी जीवनकाल में ह्रासित मूल्य विधि के अनुसार उनके अवशिष्ट मूल्य को घटाकर परिसंपत्ति की लागत को बट्टे खाते में डालने के लिए मूल्यढास मान्य किया जाता है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची.प में निर्धारित जीवनकाल के समान है। पीपीई की मूल लागत के 5: के रूप में अवशिष्ट मूल्य निर्धारित किया जाता है।

(vi) वर्ष के दौरान पीपीई में वृद्धि/कटौती पर मूल्यढास को उस माह से/तक यथा अनुपात आधार पर प्रभारित किया जाता है जिसमें प्रयोग के लिए परिसंपत्ति उपलब्ध है/उसका निपटान किया गया है।

(vii) निपटान पर या परिसंपत्ति का प्रयोग जारी रखने से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ प्राप्त होने की उम्मीद न होने पर पीपीई की किसी मद को विमान्य किया जाता है। पीपीई की किसी मद की विमान्यता पर उत्पन्न किसी अभिलाभ या हानि का निर्धारण बिक्री की निवल आय तथा परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में किया जाता है और उसे लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

(viii) क्रय के वर्ष में 5000६ तक की लागत वाले पीपीई की प्रत्येक मद का पूर्णतः मूल्यढास किया जाता है।

7. अमूर्त परिसंपत्तियां एवं परिशोधन

(I) निश्चित उपयोगी जीवनकाल वाली अमूर्त परिसंपत्तियों जिनकी अलग से खरीद की जाती है, को लागत पर मान्य किया जाता है। लागत में परिसंपत्ति के आशयित प्रयोग के लिए उसे तैयार करने के लिए कोई सीधे आरोप्य आवश्यक आनुषंगिक व्यय शामिल होता है। परवर्ती मापन लागत पर किया जाता है जिसमें से संचित परिशोधन एवं संचित क्षतिग्रस्तता क्षति, यदि कोई हो, घटाई जाती है। परिशोधन को उनके अनुमानित उपयोगी जीवनकाल में सीधी रेखा आधार पर मान्य किया जाता है।

(II) किए गए व्यय जो अमूर्त परिसंपत्तियों के अंतर्गत पूंजीकरण के लिए पात्र हैं, को उनके आशयित प्रयोग के लिए तैयार रहने तक विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में अग्रणीत किया जाता है।

(III) निश्चित उपयोगी जीवनकाल वाली अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल कंपनी द्वारा 5 वर्ष के रूप में निर्धारित किया गया है।

(iv) यदि निपटान पर या जब प्रयोग अथवा निपटान से किसी भावी आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है, तो अमूर्त परिसंपत्तियों को विमान्य किया जाता है। किसी अमूर्त परिसंपत्ति की विमान्यता से उत्पन्न किसी अभिलाभ या हानि का निर्धारण निपटान की निवल आय तथा परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में किया जाता है और उसे लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

8. प्रावधान एवं आकस्मिक देयताएं

(I) प्रावधानों को तब मान्य किया जाता है जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी की कोई मौजूदा कानूनी या निर्माणकारी (कंस्ट्रक्टिव) बाध्यता होती है, यदि इस बात की संभावना होती है कि कंपनी से बाध्यता का निपटान करने की अपेक्षा होगी और बाध्यता की राशि के लिए विश्वसनीय ढंग से अनुमान लगाया जा सकता है।

(ii) प्रावधान के रूप में स्वीकृत राशि बाध्यता से जुड़े जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौजूदा बाध्यता के निपटान के लिए अपेक्षित प्रतिफल का सर्वोत्तम अनुमान होती है।

(iii) जब कुछ या सभी आर्थिक लाभों का निपटान करने की आवश्यकता होती है, तो तीसरे पक्ष से प्रावधान प्राप्त होने की उम्मीद होती है, प्राप्य प्रावधान को परिसंपत्ति के रूप में मान्य किया जाता है यदि आभासिक रूप में निश्चित होता है कि प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी तथा प्राप्य प्रावधान की राशि को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकता है।

(iv) जहां यह संभावना होती है कि आर्थिक लाभों का बहिर्प्रवाह अपेक्षित होगा अथवा विश्वसनीय ढंग से राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेखाओं पर टिप्पणियों में आकस्मिक देयता के रूप में बाध्यता का प्रकटीकरण किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्प्रवाह की संभावना कम न हो।

9. आय एवं व्यय की मान्यता

(I) बाद में परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का प्रयोग करके मान्य किया जाता है। प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) ऐसी दर है जो शुरुआती मान्यता पर उस परिसंपत्ति

की निवल वहन राशि के अनुसार वित्तीय परिसंपत्ति के प्रत्याशित जीवनकाल में अनुमानित भावी नकदी प्राप्तियों को सटीक रूप में डिस्काउंट करती है।

(II) इसके बाद वित्तीय परिसंपत्तियों पर लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए ब्याज को संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसरण में प्रोद्भवन आधार पर मान्य किया जाता है।

(III) ऋणकर्ताओं द्वारा ब्याज के समय से भुगतान के लिए रिबेट को समय से संपूर्ण देय ब्याज राशि की प्राप्ति पर संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसरण में मान्य किया जाता है और समतुल्य ब्याज आय के निमित्त डाला जाता है।

(iv) प्रदान की गई सेवाओं से आय को रिपोर्टिंग तारीख को संविदा की समाप्ति के चरण के संदर्भ में करारों/व्यवस्थाओं की शर्तों के आधार पर मान्य किया जाता है।

(v) निवेश से लाभांश आय को लाभ एवं हानि विवरण में उस समय मान्य किया जाता है जब लाभांश प्राप्त करने के लिए कंपनी का अधिकार स्थापित हो जाता है जो उद्धृत प्रतिभूतियों के मामले में पूर्व लाभांश तारीख है।

(vi) बाद में परिशोधित लागत पर मापे गए ऋणों पर ब्याज व्यय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का प्रयोग करके मान्य किया जाता है।

(vii) अन्य आय एवं व्यय को संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसरण में प्रोद्भवन आधार पर लेखांकित किया जाता है।

(viii) 1,00,000₹ तक के पूर्वदत्त व्यय को शुरूआती मान्यता पर व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

10. शेयरों के निर्गम पर व्यय

शेयरों के निर्गम पर व्यय को प्रतिभूति प्रीमियम खाते में प्रभारित किया जाता है।

11. कार्मिक हितलाभ

(i) परिभाषित अंशदान योजना

भविष्य निधि एवं पेंशन के लिए रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कंपनी के प्रदत्त/देय अंशदान को लाभ एवं हानि विवरण में उस समय मान्य किया जाता है जब कार्मिक ऐसी सेवा प्रदान कर चुके होते हैं जिसके आधार पर वे अंशदान के लिए हकदार बनते हैं।

(ii) परिभाषित हितलाभ योजना

कार्मिकों को उपदान तथा सेवानिवृत्ति पश्चात हितलाभों जैसे कि सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा हितलाभ, आर्थिक पुनर्वास हितलाभ तथा स्थापन भत्ता के लिए कंपनी की बाध्यता का निर्धारण प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए जा रहे बीमांकक मूल्यांकन के साथ प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग करके किया जाता है। उपदान तथा अन्य सेवानिवृत्ति पश्चात परिभाषित हितलाभ योजनाओं के पुनः मापन पर बीमांकक अभिलाभ/हानि को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्य किया जाता है। पिछली सेवा लागत को लाभ एवं हानि विवरण में योजना संशोधन की अवधि में मान्य किया जाता है।

(iii) अन्य दीर्घावधि कार्मिक हितलाभ

छुट्टी नकदीकरण, सेवा पुरस्कार योजना के लिए कंपनी की बाध्यता का निर्धारण प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए जा रहे बीमांकक मूल्यांकन के साथ प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग करके किया जाता है। इन बाध्यताओं को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

(iv) अल्पावधि कार्मिक हितलाभ

अल्पावधि कार्मिक हितलाभों जैसे कि वेतन एवं मजदूरी को लाभ एवं हानि विवरण में उस सेवा के बदले में भुगतान किए जाने के लिए प्रत्याशित हितलाभों की गैर बट्टाकृत राशि पर उस अवधि में मान्य किया जाता है जिसमें संबंधित सेवा प्रदान की जाती है।

(v) कार्मिकों को रियायती दर पर ऋण

कार्मिकों को रियायती दर पर प्रदान किए गए ऋणों को शुरु – में उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है और इसके बाद परिशोधित लागत पर मापा जाता है। ऐसे ऋणों के आरंभिक उचित मूल्य तथा लेनदेन मूल्य में अंतर को ऋण के निर्गम पर आस्थगित कार्मिक लागत के रूप में मान्य किया जाता है, जिसे ऋण की प्रत्याशित शेष अवधि में सीधी रेखा के आधार

पर परिशोधित किया जाता है। ऋण की प्रत्याशित शेष अवधि में परिवर्तन के मामले में परिवर्तन की तारीख को अपरिशोधित आस्थगित कार्मिक लागत को संभावित आधार पर ऋण की अद्यतन अपेक्षित शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

12. आयकर

आयकर व्यय में वर्तमान एवं आस्थगित कर शामिल होते हैं। इसे लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है, सिवाय इसके कि जब यह ऐसी मद से संबंधित होता है जो ओसीआई में या सीधे इक्विटी में मान्य की जाती है तथा ऐसे मामले में कर को भी ओसीआई में या सीधे इक्विटी में मान्य किया जाता है।

(i) वर्तमान कर

वर्तमान कर लागू की गई या सारवान रूप से लागू की गई तथा रिपोर्टिंग तारीख को यथालागू कर दरों और पिछले वर्षों के संबंध में देय कर में किसी समायोजन का प्रयोग करके वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय प्रत्याशित कर है।

वर्तमान कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं का उस समय प्रतितुलन ,वर्गिजद्ध किया जाता है जब मान्य राशि के प्रतितुलन के लिए कानूनी तौर पर प्रवर्तनीय कोई अधिकार होता है और निवल आधार पर परिसंपत्ति एवं देयता का निपटान करने का इरादा होता है।

(ii) आस्थगित कर

वित्तीय विवरणों में आस्थगित कर को परिसंपत्तियों एवं देयताओं की वहन राशियों तथा कराधेय आय की गणना में प्रयुक्त समतुल्य कर आधारों के बीच अस्थाई अंतरों पर मान्य किया जाता है। परिसंपत्तियों/देयताओं की वहन राशि की वसूली या निपटान की अपेक्षित विधि के आधार पर रिपोर्टिंग तारीख तक अधिनियमित या सारवान रूप से अधिनियमित कानूनों के आधार पर कर दरों पर आस्थगित कर मापा जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं का उस समय प्रतितुलन किया जाता है जब देयताओं के निमित्त वर्तमान कर परिसंपत्तियों को अलग करने के लिए कानूनी तौर पर प्रवर्तनीय अधिकार होता है तथा वे समान कर प्राधिकारी द्वारा लगाए गए आयकरों से संबंधित होती हैं।

आस्थगित कर देयता को सभी कर योग्य अस्थाई अंतरों के लिए मान्य किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्ति को सभी कटौती योग्य अस्थाई अंतरों के लिए उस सीमा तक मान्य किया जाता है जहां तक इस बात की संभावना होती है कि कराधेय लाभ उपलब्ध होंगे जिनके निमित्त उन कटौती योग्य अस्थाई अंतरों का प्रयोग किया जा सकता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को आस्थगित परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है तथा उस सीमा तक घटाया जाता है जहां तक अब ऐसी संभावना नहीं रहती है कि संबंधित कर लाभ वसूल किए जाएंगे।

(iii) लाभांश के वितरण से उत्पन्न अतिरिक्त आयकर को उसी समय मान्य किया जाता है जब लाभांश का भुगतान करने की देयता को मान्य किया जाता है।

13. पट्टा

लीज अनुबंधों की मान्यता, मापन और प्रस्तुति के लिए, कंपनी 116 'पट्टों के रूप में इंडस्ट्रीज़ के सिद्धांतों को लागू करती है।

कंपनी एक पट्टेदार के रूप में

अनुबंध की स्थापना के समय, कंपनी अनुबंध का आकलन करती है, या एक पट्टा होता है। एक अनुबंध है, या शामिल है, एक पट्टा अगर अनुबंध विचार के बदले में समय की अवधि के लिए किसी पहचाने गए परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या कोई अनुबंध किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, कंपनी यह आकलन करती है कि क्या (ए) कंपनी को पट्टे की अवधि के माध्यम से परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ हैं, और (बी) कंपनी के पास यह अधिकार है कि वह पहचान की गई संपत्ति के उपयोग का निर्देश दे सकती है।

लीज अनुबंध की शुरुआत में कंपनी लागत पर एक राइट-ऑफ-यूज (आरओयू) परिसंपत्ति और एक समान लीज देयता को पहचानती है, केवल बारह महीने से कम अवधि (अल्पावधि) और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के साथ

पट्टों को छोड़कर जो मान्यता प्राप्त हैं पट्टे की अवधि के आधार पर एक सीधी-रेखा के आधार पर परिचालन व्यय के रूप में।

कुछ लीज व्यवस्थाओं में लीज अवधि के अंत से पहले लीज को बढ़ाने या समाप्त करने के विकल्प शामिल हैं। आरओयू एसेट्स और लीज देनदारियों में ये विकल्प शामिल हैं, जब यह निश्चित रूप से निश्चित है कि उनका उपयोग किया जाएगा।

उपयोग की सही संपत्ति (आरओयू) को शुरू में लागत पर मान्यता प्राप्त है, जिसमें पट्टे की देय राशि की प्रारंभिक राशि शामिल है, जो पट्टे की स्थापना से पहले या किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, किसी भी पट्टे प्रोत्साहन से कम या पहले किए गए पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित है। प्राप्त किया। उन्हें बाद में किसी भी संचित मूल्यहास और संचित हानि नुकसान की लागत पर मापा जाता है। राइट-ऑफ-यूज एसेट्स को लीज टर्म या राइट-ऑफ-यूज एसेट्स के उपयोगी जीवन की शुरुआत की तारीख से स्ट्रेट-लाइन मेथड का उपयोग करते हुए अपग्रेड किया जाता है।

पट्टा देयता को शुरू में भविष्य के पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है। पट्टों के अधिवास के देश में कंपनी की वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करते हुए, पट्टे के भुगतान को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है, यदि आसानी से निर्धारित नहीं की जाती है।

लीज देनदारियों को संबंधित राइट-ऑफ-यूज एसेट (आरओयू) के अनुरूप समायोजन के साथ फिर से मापा जाता है, अगर कंपनी अपना आकलन बदलती है कि क्या वह एकसटेशन या टर्मिनेशन विकल्प का उपयोग करेगी।

लीज लायबिलिटी और आरओयू एसेट को अलग-अलग बैलेंस शीट में प्रस्तुत किया गया है। पट्टा देयता पर ब्याज व्यय, लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के एक घटक के रूप में उपयोग परिसंपत्ति के अधिकार पर मूल्यहास से अलग से प्रस्तुत किया गया है। लीज भुगतान को वित्तपोषण गतिविधियों में उपयोग किए जाने वाले नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी एक पट्टेदार के रूप में

पट्टों जिसके लिए कंपनी कम है, को एक वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे अनुबंध जिनमें पट्टे के सभी जोखिम और पुरस्कार पट्टेदार को हस्तांतरित किए जाते हैं, उन्हें वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी पट्टे संचालनशील पट्टों के रूप में वर्गीकृत हैं। परिचालन पट्टों के लिए, किराये की आय को संबंधित पट्टे की अवधि के आधार पर एक सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है।

पट्टों में कंपनी के शुद्ध निवेश के बराबर राशि के रूप में वित्त पट्टों के तहत पट्टेदार से देय राशि के रूप में मान्यता प्राप्त है। लीज पर वित्त आय को लेखा अवधि के लिए आवंटित किया जाता है ताकि रिपोर्टिंग तिथि पर लीज के संबंध में कंपनी के शुद्ध निवेश पर वापसी की निरंतर आवधिक दर को प्रतिबिंबित किया जा सके।

14. विदेशी मुद्रा लेन-देन एवं परिवर्तन

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपया है। विदेशी मुद्रा के लेन-देन को लेन-देन की तारीख को विनिमय दरों का प्रयोग करके व्यावहारिक मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, विदेशी मुद्रा में वर्णित मौद्रिक मदों को रिपोर्टिंग अवधि की अंतिम तारीख को प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग करके रूपांतरित किया जाता है। मौद्रिक मदों पर विनिमय दर में अंतरों को लाभ एवं हानि विवरण में उस अवधि में मान्य किया जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं। तथापि, 1 अप्रैल, 2018 से पूर्व वित्तीय विवरणों में मान्य दीर्घावधि मौद्रिक मदों के लिए विनिमय दर में ऐसे अंतरों को "विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर लेखा" में संचित किया जाता है और ऐसी दीर्घावधि मौद्रिक मद की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

15. सामान्य नियंत्रण के अधीन व्यवसायों का संयोजन

सामान्य नियंत्रण के अधीन संस्थाओं या व्यवसायों वाला व्यवसाय संयोजन ऐसा व्यवसाय संयोजन है जिसमें संयोजन की सभी संस्थाएं या व्यवसाय अंततः उसी पक्षकार या पक्षकारों द्वारा व्यवसाय संयोजन के पहले और बाद में भी नियंत्रित होते हैं तथा यह नियंत्रण अस्थायी नहीं होता है।

ब्याज की पूलिंग विधि का प्रयोग करके सामान्य नियंत्रण के अधीन संस्थाओं या व्यवसायों वाले व्यवसाय संयोजनों को निम्नानुसार लेखांकित किया जाता है :

- संयोजक संस्थाओं की परिसंपत्तियों एवं देयताओं को उनकी वहन राशियों पर दर्शाया जाता है।
- उचित मूल्यों को दर्शाने या नई परिसंपत्तियों अथवा देयताओं को मान्य करने के लिए कोई समायोजन नहीं किया जाता है। केवल लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए समायोजन किए जाते हैं।
- पिछली अवधियों के संबंध में वित्तीय विवरणों में वित्तीय सूचना को ऐसे पुनः वर्णित किया गया है जैसे कि व्यवसाय संयोजन वित्तीय विवरणों में पूर्वगामी अवधि आरंभ होने से पहले हुआ है, संयोजन की वास्तविक तारीख जो भी हो।

अंतरणकर्ता के वित्तीय विवरणों में उल्लिखित अवधारित अर्जन के शेष को अंतरिती के वित्तीय विवरणों में उल्लिखित तदनुसूची शेष के साथ जोड़ा गया है। आरक्षित निधियों की पहचान को कायम रखा जाता है तथा अंतरणकर्ता की रिजर्व अंतरिती के रिजर्व बन जाती हैं।

जारी की गई शेयर पूंजी के रूप में दर्ज राशि प्लस नकदी या अन्य परिसंपत्तियों के रूप में किसी अतिरिक्त प्रतिफल और अंतरणकर्ता की शेयर पूंजी की राशि के बीच अंतर, यदि कोई हो, को आरक्षित पूंजी रिजर्व में अंतरित किया जाता है तथा अन्य पूंजी आरक्षित से अलग प्रस्तुत किया जाता है।

16. पिछली अवधि की सारवान त्रुटियां

पिछली अवधि की सारवान त्रुटियों को प्रस्तुत पिछली अवधियों जिसमें त्रुटि हुई है, के लिए तुलनात्मक राशियों का पुनः वर्णन करके उत्तरभावी प्रभाव से ठीक किया जाता है। यदि त्रुटि प्रस्तुत शीघ्रातिशीघ्र अवधि से पहले हुई है तो प्रस्तुत शीघ्रातिशीघ्र अवधि के लिए प्रारंभिक अधिशेषों का पुनः वर्णन किया जाता है।

17. लाभांश

अंतिम लाभांशों को शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन की तारीख को देयता के रूप में दर्ज किया जाता है तथा अंतरिम लाभांशों को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा घोषणा की तारीख को देयता के रूप में दर्ज किया जाता है।

18. प्रति शेयर अर्जन

कंपनी के इक्विटी शेयर धारकों पर आरोप्य निवल लाभ या हानि में वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर प्रति शेयर बुनियादी अर्जन की गणना की जाती है।

प्रति शेयर तनुकृत अर्जन की गणना करने के लिए इक्विटी शेयर धारकों पर आरोप्य अवधि के लिए निवल लाभ या हानि तथा अवधि के दौरान बकाया शेयरों के भारित औसत को सभी तनुकृत योग्य संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

3	उपर्युक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा और सिफारिश लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है और दिनांक 14.11.2019 को आयोजित संगत बैठकों में निदेशक मंडल द्वारा इन्हें अनुमोदित किया गया है। ये संयुक्त सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 और 52 के अनुसार सांविधिक लेखापरीक्षक एम.के.अग्रवाल एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट और गांधी मिनोचा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन हैं।																
4	वित्तीय परिणाम कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक ('इंड एस')- 34 'अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग' में निर्धारित मान्यता और माप सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं।																
5	<p>इंड एस 109 के अनुसार कंपनी द्वारा पोषित क्रेडिट हासित ऋण परिसंपत्तियों एवं हासित हानि छूट का ब्योरा निम्नानुसार है:</p> <p style="text-align: right;">(₹ in crore)</p> <table border="1" data-bbox="193 607 1528 835"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th> <th>विवरण</th> <th>30.09.2019 तक</th> <th>31.03.2019 तक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>क)</td> <td>क्रेडिट हासित ऋण परिसंपत्तियां</td> <td>29,465.75</td> <td>29,540.31</td> </tr> <tr> <td>ख)</td> <td>पोषित हासित हानि छूट</td> <td>15,368.64</td> <td>15,021.01</td> </tr> <tr> <td>ग)</td> <td>हासित हानि छूट कवरेज (%) (बी/ए)</td> <td>52.16%</td> <td>50.85%</td> </tr> </tbody> </table>	क्र. सं.	विवरण	30.09.2019 तक	31.03.2019 तक	क)	क्रेडिट हासित ऋण परिसंपत्तियां	29,465.75	29,540.31	ख)	पोषित हासित हानि छूट	15,368.64	15,021.01	ग)	हासित हानि छूट कवरेज (%) (बी/ए)	52.16%	50.85%
क्र. सं.	विवरण	30.09.2019 तक	31.03.2019 तक														
क)	क्रेडिट हासित ऋण परिसंपत्तियां	29,465.75	29,540.31														
ख)	पोषित हासित हानि छूट	15,368.64	15,021.01														
ग)	हासित हानि छूट कवरेज (%) (बी/ए)	52.16%	50.85%														
6	विवेकपूर्ण तौर पर, हासित साख वाली ऋण परिसंपत्तियों पर आय केवल तभी मान्य है जब प्रत्याशित वसूली बकाया ऋण राशि से अधिक हो।																
7	कंपनी ने दिनांक 30.3.2019 के कंपनी (भारत लेखा मानक) दूसरा संशोधन नियम के माध्यम से कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण का उपयोग करके इंड एस 116- 'लीज' अपनाया है। 01.04.2019 के रूप में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) दूसरा संशोधन नियम, 2019 दिनांक 30.03.2019 द्वारा अधिसूचित। इसके परिणामस्वरूप 36.20 करोड़ रुपए का 'राइट टू यूज़ एसेट' और 8.82 करोड़ का 'लीज देयता' को मान्यता मिली है। तिमाही के लिए लाभ पर प्रभाव भौतिक नहीं है।																
8	कंपनी ने कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीए के अंतर्गत अनुमति दिए गए विकल्प का प्रयोग किया है। तिमाही और छमाही के लिए आयकर प्रावधान (वर्तमान कर) दिनांक 30.09.2019 को समाप्त हो गया है और वार्षिक आधार पर मान्यता दी गई है। इसके अलावा, वार्षिक प्रभावी आयकर दर को संशोधित करके और वित्तीय वर्ष में परिवर्तन के प्रभाव को पहचानने के द्वारा धारा 115बीए के अंतर्गत निर्धारित दर के आधार पर आस्थगित कर आस्तियों / देयता को हटा दिया गया है।																
9	दिनांक 30.09.2019 तक कंपनी द्वारा जारी किए गए और बकाया सभी सुरक्षित बॉण्ड के लिए, निर्दिष्ट अचल संपत्तियों और / या कंपनी के प्राप्तियों पर प्रभार पर गिरवी (मोर्टगेज) के रूप में 100% सुरक्षा कवर बनाए रखा गया है।																
10	<p>सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के विनियमन 52 (4) के अंतर्गत अपेक्षित ब्योरे इस प्रकार हैं:</p> <table border="1" data-bbox="193 1693 1485 1921"> <thead> <tr> <th>ब्योरे</th> <th>30.09.2019 तक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(i) ऋण इक्विटी अनुपात</td> <td>6.21</td> </tr> <tr> <td>(ii) बकाया प्रतिदेय अधिमानी शेयर</td> <td>शून्य</td> </tr> <tr> <td>(iii) निवल वर्थ (करोड़ रुपए में)</td> <td>45,445.15</td> </tr> </tbody> </table> <p>iv) कंपनी को कंपनी (शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर) नियम, 2014 कंपनियों (शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर) संशोधन नियमों, 2019 के संदर्भ में डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व (डीआरआर) बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के संशोधन के लिए,</p>	ब्योरे	30.09.2019 तक	(i) ऋण इक्विटी अनुपात	6.21	(ii) बकाया प्रतिदेय अधिमानी शेयर	शून्य	(iii) निवल वर्थ (करोड़ रुपए में)	45,445.15								
ब्योरे	30.09.2019 तक																
(i) ऋण इक्विटी अनुपात	6.21																
(ii) बकाया प्रतिदेय अधिमानी शेयर	शून्य																
(iii) निवल वर्थ (करोड़ रुपए में)	45,445.15																

	<p>डीआरआर का पूरा संतुलन 30.06.2019 को कंपनी के खातों की किताबों में मौजूद 2,086.49 करोड़ रुपए 30.09.2019 को समाप्त तिमाही के दौरान जनरल रिजर्व में स्थानांतरित कर दिए गए हैं।</p> <p>(v) कंपनी के दीर्घावधि घरेलू ऋण कार्यक्रम (बैंक ऋण सहित) के लिए घरेलू रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग क्रिसिल, आईसीआरए और सीएआरई द्वारा क्रमशः क्रिसिल एएए, आईसीआरए एएए और सीएआरई एएए की सर्वोच्च रेटिंग बनी रहेगी। कंपनी के अल्पावधि घरेलू ऋण कार्यक्रम (बैंक ऋण सहित) में क्रिसिल, आईसीआरए और सीएआरई द्वारा क्रमशः क्रिसिल ए1+, आईसीआरए ए1+ और सीएआरई ए1+ की सर्वोच्च रेटिंग बनी रहेगी।</p> <p>अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों मूडीज, फिच और स्टैंडर्ड एंड पूअर द्वारा कंपनी को दी गई विदेशी मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग क्रमशः बीएए3, बीबीबी- और बीबीबी- बनी रहेगी।</p> <p>(vi) कंपनी गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड निर्गमों (इश्यू) सहित विभिन्न लिखतों के माध्यम से निधियां जुटाती रही है। 30.09.2019 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड की सर्विसिंग में चूक नहीं की है। गैर-परिवर्तनीय रुपए मूल्यवर्ग बॉण्ड के संबंध में मूलधन और ब्याज का भुगतान करने की निर्धारित तारीख क्रमशः 17.09.2019 और 30.09.2019 थी।</p>
11	<p>मौजूदा तिमाही के दौरान, भारत सरकार ने फॉलो-ऑन फंड ऑफर के संबंध में क्रमशः भारत 22 ईटीएफ और सीपीएसई ईटीएफ की परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (एएमसी) को कंपनी में धारित 7,63,13,829 इक्विटी शेयर हस्तांतरित किए हैं। तदनुसार, कंपनी की प्रदत्त इक्विटी पूंजी में भारत सरकार की हिस्सेदारी दिनांक 30.6.2019 को 59.05% से घटकर दिनांक 30.09.2019 तक 56.16% हो गई है।</p>
12	<p>इंड एस 108 "ऑपरेटिंग सेगमेंट्स" के आवश्यकतानुसार बिजनेस / भौगोलिक सेगमेंट के रिपोर्टिंग के संदर्भ में, कंपनी के ऑपरेशंस में केवल एक ही बिजनेस सेगमेंट शामिल है - विद्युत क्षेत्र संस्थाओं को ऋण प्रदान करना। इसलिए, इंड एस 108 के अनुसार कोई रिपोर्ट योग्य सेगमेंट नहीं है।</p>
13	<p>दिनांक 07.02.2019 के एमसीए आदेश (समामेलन के आदेश के अनुसार नियत तारीख) द्वारा दिनांक 01.04.2017 से कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के कंपनी से समामेलन के अनुसरण में, इस समामेलन को प्रभाव देने के लिए तुलनात्मक अवधि के वित्तीय परिणामों को समायोजित किया गया है।</p>
14	<p>पिछली अवधि के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, क्रमबद्ध किया गया है ताकि उनकी तुलना की जा सके।</p>
<p>स्थान: नई दिल्ली तारीख: 14.11.2019</p> <p style="text-align: right;">राजीव शर्मा अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक डीआईएन - 00973413</p>	

समेकित वित्तीय परिणामों पर टिप्पणियां :

1. परिसंपत्तियों और देयताओं पर समेकित विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र म सं.	विवरण	30.09.2019 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार
		(अनंकेक्षित)	अंकेक्षित
	परिसंपत्तियां		
1	वित्तीय परिसंपत्तियां		
(क)	नकदी और नकदी समतुल्य	3432.62	725.03
(ख)	नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल से भिन्न बैंक अधिशेष	870.52	15606.41
(ग)	व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) वित्तीय लिखत	3096.61	2370.56
(घ)	व्यापार स्वीकार योग्य	158	172.13
(इ)	ऋण	604869.99	573661.28
(च)	निवेश	4517.27	4603.77
(छ)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	23691.02	23761.47
	कुल वित्तीय परिसंपत्तियां (1)	640636.03	620900.65
2	गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां		
(क)	वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	1125.0664	795.2
(ख)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	5605.81	6369.74
(ग)	निवेश संपत्ति	0.01	0.01
(घ)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	186.32	186.45
(इ)	पूँजीगत कार्य प्रगति पर है	249.46	196.94
(च)	अमूर्त परिसंपत्तियां अल्प विकसित	1.59	1.59
(छ)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	10.2	9.18

(ज)	उपयुक्त उपयोगी परिसंपत्तियां	42.88	0
(झ)	अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	284.75	393.5
	कुल गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (2)	7506.09	7952.61
3	बिक्री के लिए वर्गीकृत परिसंपत्तियां	13.1	9.56
	कुल परिसंपत्तियां (1+2+3)	648155.22	628862.82
	देयताएं और इक्विटी देयताएं		
	देयताएं		
1	वित्तीय देयताएं		
(क)	व्युत्पन्न वित्तीय लिखत	1118.12	664.99
(ख)	व्यापार देय		
	(i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का कुल बकाया	0	2.65
	(ii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया	58.7	72.26
(ग)	ऋण प्रतिभूतियां	418682.48	398352
(घ)	ऋण (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	120682.34	127007.07
(ङ)	गौण (सबॉर्डिनेटिड) देयताएं	14485.24	14128.46
(च)	अन्य वित्तीय देयताएं	24376.28	24574.28
	कुल वित्तीय देयताएं (1)	579403.16	564801.71
2	गैर-वित्तीय देयताएं		
(क)	प्रावधान	331.96	366.81
(ख)	अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	216.15	209.95
	कुल गैर-वित्तीय देयताएं (2)	548.11	576.76

3	बिक्री के लिए आयोजित परिसंपत्तियों के साथ देयताएं सीधे जुड़ी हुई हैं	0	0.08
	कुल देयताएं (1+2+3)	579951.27	565378.55
4	इक्विटी		
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	2640.08	2640.08
(ख)	अन्य इक्विटी	47989.30	44481.17
	इक्विटी कंपनी के मालिकों के लिए जिम्मेदार है (क+ख)	50629.38	47121.25
(ग)	गैर-नियंत्रित ब्याज	17574.57	16363.02
	कुल इक्विटी (4)	68203.95	63484.27
	कुल देयताएं एवं इक्विटी (1+2+3+4)	648155.22	628862.82

Power Finance Corporation Limited
CIN L65910DL1986GO1024862

Consolidated Statement of Profit and Loss for the Half Year ended September 30, 2019

Sr. No.	Particulars	Note No.	(₹ in crore)	
			Half Year ended 30.09.2019	Half Year ended 30.09.2018
	Revenue from Operations			
(i)	Interest Income	24	29,907.40	25,360.77
(ii)	Dividend Income		16.50	24.25
(iii)	Fees and Commission Income	25	94.41	230.86
(iv)	Other Operating Income	27	107.77	81.17
I.	Total Revenue from Operations		30,126.08	25,697.05
II.	Other Income	28	16.59	20.91
III.	Total Income (I+II)		30,142.67	25,717.96
	Expenses			
(i)	Finance Costs	29	20,090.50	16,609.36
(ii)	Net Translation / Transaction Exchange Loss (+) / Gain (-)		1,209.07	2,081.24
(iii)	Fees and Commission Expense	30	14.92	18.59
(iv)	Net Loss on Fair Value changes [Loss (+) / Gain (-)]	26	(192.35)	(2,355.86)
(v)	Impairment on Financial Instruments	31	893.19	123.51
(vi)	Cost of services rendered		31.42	30.54
(vii)	Employee Benefit Expenses	32	217.65	174.20
(viii)	Depreciation and Amortisation	10	10.71	6.82
(ix)	Corporate Social Responsibility Expenses		87.94	92.14
(x)	Other Expenses	33	108.48	188.26
IV.	Total Expenses		22,471.53	16,968.79
V.	Profit/(Loss) Before Exceptional Items and Tax (III-IV)		7,671.14	8,749.17
VI.	Exceptional Items		-	-
VII.	Share of Profit / (Loss) in Joint Venture and Associates		11.42	(7.48)
VIII.	Profit/(Loss) Before Tax (V-VI+VII)		7,682.56	8,741.69
	Tax Expense:			
	(1) Current Tax			
	Current Year		1,502.05	1,459.17
	Earlier Years		10.30	0.00
	(2) Deferred Tax		773.38	1,909.67
IX.	Total Tax Expense		2,285.73	3,368.84
X.	Profit/(Loss) for the year from Continuing Operations (VIII-IX)		5,396.83	5,372.85
XI.	Profit/(Loss) From Discontinued Operations (After Tax)		-	-
XII.	Profit/(Loss) for the year (for continuing and discontinued operations) (X+XI)		5,396.83	5,372.85
XIII.	Other Comprehensive Income			
(A)	(i) Items that will not be reclassified to Profit or Loss			
	- Re-measurement of Defined Benefit Plans		8.41	10.35
	- Net Gain / (Loss) on Fair Value of Equity Instruments		(227.58)	(276.06)
	- Share of other Comprehensive Income / (Loss) in Joint Venture accounted for using equity method		(0.32)	0.19
	(ii) Income Tax relating to items that will not be reclassified to Profit or Loss			
	- Re-measurement of Defined Benefit Plans		(2.32)	0.88
	- Net Gain / (Loss) on Fair Value of Equity Instruments		12.39	(1.82)
	- Share of Other Comprehensive Income/ (loss) of Joint Venture accounted for using equity method		0.07	0.04
	Sub-Total (A)		(209.35)	(266.42)



(B)	(i) Items that will be reclassified to Profit or Loss		
	- Effective Portion of Gains and (Loss) on Hedging Instruments in Cash Flow	(12.95)	(1.93)
	- Share of Other Comprehensive Income/ (loss) of Joint Venture accounted for using equity method	(3.94)	-
	(ii) Income Tax relating to items that will be reclassified to Profit or Loss		
	- Effective Portion of Gains and (Loss) on Hedging Instruments in Cash Flow	(4.27)	-
	- Share of Other Comprehensive Income/ (loss) of Joint Venture accounted for using equity method	0.80	-
	Sub-Total (B)	(20.36)	(1.93)
	Other Comprehensive Income (A+B)	(229.71)	(268.35)
XIV.	Total Comprehensive Income for the Half Year (XII+XIII)	5,167.12	5,104.50
	Profit for the half year attributable to:		
	- Owners of the Company	4,055.70	3,854.93
	- Non-Controlling Interest	1,341.13	1,517.92
		5,396.83	5,372.85
	Other Comprehensive Income for the Half Year		
	- Owners of the Company	(191.18)	(226.48)
	- Non-Controlling Interest	(38.53)	(41.87)
		(229.71)	(268.35)
	Total other comprehensive income for the Half Year		
	- Owners of the Company	3,864.52	3,628.45
	- Non-Controlling Interest	1,302.60	1,476.05
		5,167.12	5,104.50
XV.	Earnings Per Equity Share (Face Value ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations):		
	(1) Basic EPS (₹)	15.36	14.60
	(2) Diluted EPS (₹)	15.36	14.60

* EPS for the Half Year(s) is not annualised.

Place : New Delhi
Date : 14.11.2019




(RAJEEV SHARMA)
Chairman & Managing Director
DIN – 00973413

Power Finance Corporation Limited
CIN 149910DL1960G0002482

Consolidated Statement of Changes in Equity for the Half Year ended September 30, 2019

A. Equity Share Capital

Particulars	(₹ in crores)
Balance at the 01.04.2019	2,440.08
Changes during the period	-
Balance at the 30.09.2019	2,440.08
Balance at the 01.04.2018	2,440.08
Changes during the period	(0.00)
Balance at the 30.09.2018	2,440.08

B. Other Equity

Particulars	Reserves and surplus											Other Comprehensive Income		Attributable to owners of the parent	Non-Controlling Interest	Total	
	Capital Reserves - Common Control	Capital Reserves - Change in shareholding in Joint Venture	Special Reserve - created as per 45-C(1) of Reserve Bank of India Act, 1934	Reserve for Bad & doubtful debts as per 36(1)(v)(c) of Income Tax Act, 1961	Special Reserve - created as per 20(1)(d) of Income Tax Act, 1961	Special Reserve - created and maintained as per 20(1)(d) of Income Tax Act, 1961 from Financial Year 1996-97	Social Reserves created and maintained as per 20(1)(d) of Income Tax Act, 1961 from Financial Year 1997-98	Securities Premium	Foreign Currency Monetary Item Translation Difference Account	Interest Differential Reserve - A/P/W Loan	General Reserve	Retained Earnings	Equity Instruments through Other comprehensive income or Income				Effective portion of Gain (Loss) on Hedging Instruments in Cash Flow Hedges
Balance as at 01.04.2019	(13,461.00)	-	2,070.83	5,237.53	595.83	35,467.49	2,308.07	3,903.74	(1,172.29)	60.00	18,191.77	3,028.54	(204.45)	(96.14)	44,481.17	16,363.02	60,844.19
Profit for the period	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,053.70	-	-	-	4,053.70	1,341.13	5,394.83
Re-assignment of Defined Benefit Plans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.27	-	-	-	2.27	2.82	6.09
Other Comprehensive Income / (Expense) / Other Adjustments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.20)	(175.38)	(175.38)	(17.22)	(184.80)	(41.37)	(236.99)
Total Comprehensive Income for the period	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,055.77	(175.38)	(175.38)	(17.22)	3,883.95	1,392.60	5,276.55
Transfer to / from Retained Earnings	-	-	-	-	-	1,336.35	88.11	-	-	-	-	(4,008.20)	(175.38)	(17.22)	3,883.95	1,392.60	5,276.55
Transfer to / from General Reserve	-	-	-	-	-	-	(2,806.18)	-	-	-	3,676.43	-	-	-	(6.00)	-	(6.00)
Additions / Deletion during the year (net)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(337.76)	(52.83)	(390.62)
Gain on increase in share in EESL	-	1.97	-	-	-	-	-	-	(317.79)	1.01	-	-	-	-	1.97	1.78	3.75
Reclassification of gain / loss on sale of equity instrument measured at OCI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290.40	-	-	-	-	290.40
Additions / Deletion during the period (net)	-	1.97	2,824.63	4,721.68	595.85	26,621.24	0.00	3,053.74	(1,216.08)	61.01	13,868.28	(183.54)	(183.54)	(67.58)	47,985.38	6.57	48,051.95
Balance as at 30.09.2019	(13,461.00)	1.97	2,824.63	4,721.68	595.85	26,621.24	0.00	3,053.74	(1,216.08)	61.01	13,868.28	(183.54)	(183.54)	(67.58)	47,985.38	6.57	48,051.95



Particulars	Reserves and surplus											Other Comprehensive Income		Attributable to owners of the parent		Non-Controlling Interest	Total
	Capital Reserve - Change in shareholding in Joint Venture	Special Reserve created as per Section 44-TC(1) of Income Tax Act, 1961	Reserve for dividend as per Section 205(1)(b) of Income Tax Act, 1961	Special Reserve created as per Section 205(1)(c) of Income Tax Act, 1961	Special Reserve created as per Section 205(1)(d) of Income Tax Act, 1961	Debitum Reserves	Securities Premium	Foreign Currency Translation Difference Account	Interest Differential Reserve - KFW Loan	General Reserve	Retained Earnings	Equity Instruments through Other comprehensive income	Effective portion of Gain / (Loss) on Hedging Instruments in Cash Flow Hedges	Share of other Comprehensive Income or because of Joint Venture and associated accounting using equity method			
Balance as at 01.04.2011	(13,461,000)	-	33,36	4,348,09	599,85	21,198,51	2,317,10	3,852,74	(401,82)	57,90	5,191,77	(6,32)	-	2,22	37,134,45	15,415,22	52,649,67
Profit for the period	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,854,93	-	-	-	-	2,854,93	1,117,97	5,372,85
Re-measurement of Defined Benefit Plans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,70	-	-	-	-	7,70	3,53	11,23
Other Comprehensive Income / (Expenses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,27	(232,40)	(1,93)	-	-	(234,13)	(15,40)	(379,26)
Total Comprehensive Income for the period	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,862,84	(232,40)	(1,93)	-	-	3,628,45	1,676,05	5,104,50
Dividends	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(152,10)	-	-	-	-	(152,10)	(161,70)	(313,80)
Transfer to / from retained earnings	-	-	80,25	(70,8)	-	752,40	197,55	-	-	(14,60)	-	-	-	-	(28,66)	(33,36)	(72,22)
Additional / Debitum during the period (net)	-	-	-	-	-	-	(2,14)	-	-	(2,017,01)	-	-	-	-	-	-	(2,019,05)
Balance as at 30.03.2012	(13,461,000)	-	989,29	5,018,52	599,85	22,952,31	2,512,57	3,853,74	(2,303,30)	88,52	9,191,77	(230,28)	(1,93)	2,22	36,205,49	15,448,97	51,654,46

Ajay Sharma
AJAY SHARMA
 Chairman & Managing Director
 PIN - 697243



Place : New Delhi
 Date : 14.11.2019

Power Finance Corporation Limited
CIN L65910DL1986GR2462
Consolidated Statement of Cash Flows for the Half Year ended September 30, 2019

		(₹ in Crores)	
Sr. No.	Description	Half Year ended 30.09.2019	Half Year ended 30.09.2018
I.	Cash Flow from Operating Activities :-		
	Profit before Tax	7,682.56	8,741.69
	Add / (Less): Adjustments for		
	Loss on derecognition of Property, Plant and Equipment (net)	0.90	0.52
	Depreciation and Amortisation	10.71	6.82
	Amortization of discount on Zero Coupon Bonds and Financial Charges on Commercial Papers	578.92	215.87
	Unrealised Foreign Exchange Translation Loss / (Gain)	1,022.05	1,059.87
	Net Change in Fair Value	17.69	(2,353.84)
	Effective Interest Rate on Loans	39.17	(13.53)
	Impairment on Financial Instruments	895.19	123.51
	Interest on Investments and Others	(200.66)	(193.94)
	Interest on Interest Subsidy Fund	0.69	2.89
	Excess Liabilities written back	(0.60)	-
	Provision for Retirement Benefits etc.	27.40	30.02
	Dividend Income	(16.50)	(24.25)
	Effective Interest Rate on Borrowings / Debt Securities / Subordinated Liabilities	(78.09)	(16.09)
	Interest on Income Tax Refund	(0.57)	-
	Interest expenses on Lease Liability	0.39	-
	Share of Profit/Loss of Joint Ventures accounted for using equity method	(11.42)	7.48
	Operating profit before Working Capital Changes:	9,966.03	8,187.22
	Increase / Decrease :		
	Loans (Net)	(31,925.17)	(31,704.03)
	Other Financial and Non-Financial Assets	14,066.65	(7,542.36)
	Derivative	(358.31)	(861.11)
	Liabilities and provisions	2,108.97	7,587.02
	Cash Flow before Exceptional Items	(5,544.83)	(24,993.26)
	Exceptional Items	-	-
	Cash Flow from Operations Before Tax	(5,544.83)	(24,993.26)
	Income Tax paid	(1,858.82)	(1,710.53)
	Income Tax Refund	69.71	14.20
	Net Cash flow from Operating Activities	(7,333.94)	(26,689.59)
II.	Cash Flow From Investing Activities :		
	Proceeds from disposal of Property, Plant and Equipment	0.91	0.11
	Purchase of Property, Plant and Equipment (including CWIP and capital advance)	(72.61)	(50.05)
	Interest on investment	154.19	49.35
	Dividend on investment	16.30	24.25
	Increase / Decrease in Other Investments	(111.02)	100.81
	Net Cash Used in Investing Activities	(12.03)	124.47
III.	Cash Flow From Financing Activities :		
	Raising of Bonds (including premium) (Net of Redemptions)	9,806.17	(12,403.98)
	Raising of Long Term Loans (Net of Repayments)	2,095.04	22,912.00
	Raising of Foreign Currency Loans (Net of Repayments)	18,922.03	8,531.40
	Raising of Commercial paper (Net of Repayments)	(9,313.96)	3,996.20
	Raising of Working Capital Demand Loan / OD / CC / Line of Credit (Net of Repayments)	(12,452.69)	2,680.42
	Unclaimed Bonds (Net)	(0.62)	(3.59)
	Unclaimed Dividend (Net)	(0.01)	0.86
	Payment of Lease Liability	(0.80)	-
	Payment of Interest Dividend	-	11.06
	Payment of Corporate Dividend Tax	-	(10.87)
	Net Cash In-flow from Financing Activities	10,052.16	25,513.59
	Net Increase / Decrease in Cash and Cash Equivalents	2707.59	(481.53)
	Add: Cash and Cash Equivalents at beginning of the financial year	725.03	825.04
	Cash and Cash Equivalents at the end of the Half Year	3432.62	373.51
	Details of Cash and Cash Equivalents at the end of the Half Year:		
	i) Balances with Banks (of the nature of cash and cash equivalents)		
	in current accounts	1,018.27	55.64
	in Term Deposit Accounts	1,866.29	217.82
	ii) Cheques, Drafts on hand including postage and interest	0.06	0.05
	iii) Investment in Debt Mutual Fund	548.00	0.00
	Total Cash and Cash Equivalents at the end of the Half Year	3432.62	373.51

Place: New Delhi
Date: 14.11.2019




(R. B. SHARMA)
Chairman & Managing Director
DIN - 00973413

1 Cash and Cash Equivalents

Sr. No.	Particulars	(₹ in crore)	
		As at 30.09.2019	As at 31.03.2019
(i)	Balances with Banks (of the nature of cash and cash equivalents)		
	- In Current Accounts	1,018.27	369.41
	- In Term Deposit Accounts	1,866.29	355.61
(ii)	Cash, Cheques, Drafts on hand including postage & Imprest	0.06	0.01
(iii)	Investment in Debt Mutual Funds	548.00	-
	Total Cash and Cash Equivalents	3,432.62	725.03

2 Bank Balance other than included in Cash and Cash Equivalents

Sr. No.	Particulars	(₹ in crore)	
		As at 30.09.2019	As at 31.03.2019
(i)	Earmarked Balances and Term Deposits with Banks		
	- Term Deposits	-	13,833.64
	- Unpaid Dividend	8.24	7.31
	- Unpaid - Bonds / Interest on Bonds etc.	9.46	9.73
	- Govt. funds for further Disbursement	797.18	990.46
(ii)	Deposit in compliance of Court	2.53	2.47
(iii)	Balance with Bank not available for use pending allotment of securities	12.21	722.04
(iv)	Term Deposits with Banks- More than 3 months but less than 12 months	39.65	26.80
(v)	Other Term Deposits	1.25	13.96
	Total Bank Balance other than included in Cash and Cash Equivalents	870.52	15,606.41



3 Derivative Financial Instruments

Part - I

Sr. No.	Particulars	As at 30.09.2019			As at 31.03.2019		
		Notional amounts	Fair value Assets	Fair value Liabilities	Notional amounts	Fair value Assets	Fair value Liabilities
(i)	Currency Derivatives:						
	- Spot and Forwards	20,517.27	634.43	197.29	15,808.90	295.95	345.72
	- Currency Swaps	7,049.67	238.61	342.04	5,701.69	419.05	0.41
	- Options	21,357.76	1,811.01	2.53	20,912.19	1,301.36	18.57
	Total Currency Derivatives:	48,924.69	2,684.05	541.86	42,422.78	2,016.36	364.70
(ii)	Interest Rate Derivatives						
	- Forward Rate Agreements and Interest Rate Swaps	44,410.07	412.56	576.26	39,864.98	354.20	300.29
	Total Interest Rate Derivatives	44,410.07	412.56	576.26	39,864.98	354.20	300.29
	Total Derivative Financial Instruments [(i) + (ii)]	93,334.77	3,096.61	1,118.12	82,287.76	2,370.56	664.99
Part - II							
	Included in above (Part I) are Derivatives held for hedging and risk management purposes as follows:						
(i)	Cash Flow Hedging (Designated):						
	- Currency Derivatives	5,670.00	13.95	25.10	1,728.88	-	100.03
	- Interest Rate Derivatives	3,543.75	-	119.68	1,728.88	-	64.84
	Total Cash Flow Hedging (Designated)	9,213.75	13.95	144.78	3,457.76	-	164.87
(ii)	Undesignated Derivatives	84,121.02	3,082.66	973.34	78,830.00	2,370.56	500.12
	Total Derivative Financial Instruments [(i) + (ii)]	93,334.77	3,096.61	1,118.12	82,287.76	2,370.56	664.99



5 Loans

The Company and its Subsidiary REC Ltd., have categorised all loans at amortised cost in accordance with the requirements of Ind AS 109.

Sr. No.	Particulars	(₹ in crore)	
		As at 30.09.2019	As at 31.03.2019
(A) Loans to Borrowers			
(i)	- Rupee Term Loans (RTLs)	6,12,524.50	5,78,485.27
(ii)	- Foreign Currency Loans	240.99	240.99
(iii)	- Buyer's Line of Credit	1,682.08	1,759.67
(iv)	- Working Capital Loans	11,058.36	14,770.27
(v)	- Leasing	223.77	223.77
(vi)	- Receivable for invoked Default Payment Guarantee	420.83	396.64
(vii)	- Interest accrued but not due on Loans	5,224.58	4,971.81
(viii)	- Interest accrued & due on Loans	1,396.65	627.13
(ix)	- Unamortised Fee on Loans	(150.74)	(135.30)
	Gross Loans to Borrowers	6,32,621.02	6,01,340.25
	Less: Impairment loss allowance	(27,751.03)	(27,678.97)
	Net Loans to Borrowers	6,04,869.99	5,73,661.28
(B) Security-wise classification			
(i)	Secured by Tangible Assets	4,39,186.18	4,08,335.85
(ii)	Secured by Intangible Assets	-	-
(iii)	Covered by Bank/Government Guarantees	1,18,581.33	1,12,226.15
(iv)	Unsecured	74,853.51	80,778.25
	Gross Security-wise classification	6,32,621.02	6,01,340.25
	Less: Impairment loss allowance	(27,751.03)	(27,678.97)
	Net Security-wise classification	6,04,869.99	5,73,661.28
(C) I Loans in India			
(i)	Public Sector	5,39,485.65	5,13,929.13
(ii)	Private Sector	93,135.37	87,411.12
	Gross Loans in India	6,32,621.02	6,01,340.25
	Less: Impairment loss allowance	(27,751.03)	(27,678.97)
	Net Loans in India	6,04,869.99	5,73,661.28
(C) II Loans Outside India			
	Less: Impairment loss allowance	-	-
	Net Loans Outside India	-	-
	Net Loans in India and Outside India	6,04,869.99	5,73,661.28



6 Investments

Sl. No.	Particulars	As at 30.09.2019							Total
		No. of securities	Face Value (Amount in ₹)	Amortised Cost	At Fair Value			Others*	
					Through Other Comprehensive Income	Through Profit or Loss	Subtotal		
(A)	Investments								
	Government Securities								
	- Govt. of MP Power Bonds - II	1	47,16,00,000	49.05					49.05
(i)	Debt securities								
	- Bonds of Andhra Bank	8,000	10,00,000			853.64	853.64		853.64
	- 11.15 % perpetual bonds of Indian Bank	5,000	10,00,000			528.22	528.22		528.22
	- 11.25 % perpetual bonds of Vijaya Bank	5,000	10,00,000			527.97	527.97		527.97
	- 11.25 % perpetual bonds of Syndicate Bank	5,000	10,00,000			528.47	528.47		528.47
	- 7.39% Tax Free 15 years Secured Redeemable Non Convertible Bonds of Housing and Urban Development Corporation(HUDCO)	86,800	1,000	9.14					9.14
	- 7.35% Tax Free 15 years Secured Redeemable Non Convertible Bonds of National Highway Authority of India Ltd. (NHAI)	46,000	1,000	4.44					4.44
	- 7.39% Tax Free 15 years Secured Redeemable Non Convertible Bonds of National Highway Authority of India Ltd. (NHAI)	56,800	1,000	3.81					3.81
	- 7.49% Tax Free 15 years Secured Redeemable Non Convertible Bonds of Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA)	61,300	1,000	6.45					6.45
	- 7.33% Tax Free 15 years Secured Redeemable Non Convertible Bonds of Indian Railway Finance Corporation (IRFC)	22,300	1,000	2.39					2.39
	- 7.35% Tax Free 15 years Secured Redeemable Non Convertible Bonds of National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)	14,000	1,000	1.46					1.46
	- 8.76% Tax Free 20 years Secured Redeemable Bonds of Housing and Urban Development Corporation(HUDCO)	50,000	1,000	5.31					5.31
(ii)	Equity instruments :								
	Joint Venture								
	- Energy Efficiency Services Limited	46,56,10,000	10					545.84	545.84
	Associates								
	- Ultraraaj Power Projects / Independent Transmission Projects	10,50,000	10					0.80	0.80
	Others								
	- PTC India Limited	1,20,00,000	10		67.56		67.56		67.56
	- Coal India Limited	1,39,64,530	10		279.08		279.08		279.08
	- NHPC Limited	41,85,62,812	10		933.39		933.39		933.39
	- Power Exchange India Limited	32,20,000	10						
	- GMR Chhattisgarh Energy Limited	-	-						
	- Shree Maheshwar Hydro Power Projects Limited	13,18,46,779	10						
	- Housing and Urban Development Corporation, Ltd.	3,47,429	10						
	- Indian Energy Exchange Ltd.	1,22,71,211	1		1.21		1.21		1.21
	- Universal Commodity Exchange Ltd.	1,60,00,000	10		148.05		148.05		148.05
(iii)	Preference Shares								
	- Rajpur Energy Limited	59,82,371	100.00	8.79					8.79
	- Retnagiri Gas and Power Private Limited	52,22,70,000	10.00						
(iv)	Others								
	- Units of " Small & Beautiful " Fund	1,23,04,400	10		12.26		12.26		12.26
	Total Investments			90.84	1,441.55	2,438.30	3,879.85	546.64	4,517.33
(B)	Geography wise investment								
(i)	Investments Outside India								
(ii)	Investments in India			90.84	1,441.55	2,438.30	3,879.85	546.64	4,517.33
	Gross Geography wise investment			90.84	1,441.55	2,438.30	3,879.85	546.64	4,517.33
	Less: Impairment loss allowance							(0.06)	(0.06)
	Net Geography wise investment			90.84	1,441.55	2,438.30	3,879.85	546.58	4,517.27

*Carrying value arrived at by using equity method as per Ind-AS 28



Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2019							(₹ in crore)
		No. of securities	Face Value (Amount in ₹)	Amortised Cost	At Fair Value			Others*	Total
					Through Other Comprehensive Income	Through Profit or Loss	Subtotal		
(A)	Investments								
	Government Securities								
	- Govt. of MP Power Bonds - II	1	47,16,00,000	47.16	-	-	-	-	47.16
(B)	Debt securities								
	- Bonds of Andhra Bank	8,000	10,00,000	-	-	809.84	809.84	-	809.84
	- Bonds from State Power Corporations	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 11.15 % perpetual bonds of Indian Bank	5,000	10,00,000	-	-	500.31	500.31	-	500.31
	- 11.25 % perpetual bonds of Vijaya Bank	5,000	10,00,000	-	-	556.25	556.25	-	556.25
	- 11.25 % perpetual bonds of Syndicate Bank	5,000	10,00,000	-	-	500.31	500.31	-	500.31
	- 7.39% Tax Free 15 years Secured Redeemable Non Convertible Bonds of Housing and Urban Development Corporation(HUDCO)	86,800	1,000	8.81	-	-	-	-	8.81
	- 7.55% Tax Free 15 years Secured Redeemable Non Convertible Bonds of National Highway Authority of India Ltd. (NHAI)	46,000	1,000	4.60	-	-	-	-	4.60
	- 7.39% Tax Free 15 years Secured Redeemable Non Convertible Bonds of National Highway Authority of India Ltd. (NHAI)	36,800	1,000	3.68	-	-	-	-	3.68
	- 7.49% Tax Free 15 years Secured Redeemable Non Convertible Bonds of Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA)	61,300	1,000	6.22	-	-	-	-	6.22
	- 7.25% Tax Free 15 years Secured Redeemable Non Convertible Bonds of Indian Railway Finance Corporation (IRFC)	22,300	1,000	2.31	-	-	-	-	2.31
	- 7.35% Tax Free 15 years Secured Redeemable Non Convertible Bonds of National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)	14,000	1,000	1.40	-	-	-	-	1.40
	- 8.76% Tax Free 20 years Secured Redeemable Bonds of Housing and Urban Development Corporation(HUDCO)	50,000	1,000	5.09	-	-	-	-	5.09
(C)	Equity instruments :								
	Joint Venture								
	- Energy Efficiency Services Limited	39,20,00,000	10	-	-	-	-	480.65	480.65
	Associates								
	- Ultraraaj Power Projects / Independent Transmission Projects	7,50,000	10	-	-	-	-	0.74	0.74
	Others								
	- PTC India Limited	1,20,00,000	10	-	88.14	-	88.14	-	88.14
	- Power Grid Corporation of India Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Coal India Limited	1,39,64,530	10	-	331.24	-	331.24	-	331.24
	- NHPC Limited	41,97,75,446	10	-	1,036.85	-	1,036.85	-	1,036.85
	- GMR Chhattisgarh Energy Private Limited	27,50,00,000	10	-	-	-	-	-	-
	- Shree Maheshwar Hydro Power Projects Limited	13,18,46,779	10	-	-	-	-	-	-
	- Housing and Urban Development Corporation, Ltd	3,47,429	10	-	1.56	-	1.56	-	1.56
	- Indian Energy Exchange Ltd	12,50,000	10	-	206.25	-	206.25	-	206.25
	- Universal Commodity Exchange Ltd	1,60,00,000	10	-	-	-	-	-	-
	- Lanco Torna Hydro Power Pvt. Ltd.	10,20,00,000	10	-	-	-	-	-	-
(D)	Others								
	- Units of " Small is Beautiful " Fund	1,23,04,400	10	-	12.56	-	12.56	-	12.56
	Total			79.27	1,676.40	2,366.71	4,043.11	481.39	4,603.77
(B)	Geography wise investment								
(i)	Investments Outside India			-	-	-	-	-	-
(ii)	Investments in India			79.27	1,676.40	2,366.71	4,043.11	481.39	4,603.77
	Gross Geography wise investment			79.27	1,676.40	2,366.71	4,043.11	481.39	4,603.77
	Less: Impairment loss allowance			-	-	-	-	-	-
	Net Geography wise investment			79.27	1,676.40	2,366.71	4,043.11	481.39	4,603.77

*Carrying value arrived at by using equity method as per Ind-AS 28.



7 **Other Financial Assets**

The Group has categorised other financial assets at amortised cost in accordance with the requirements of Ind AS 109.

(₹ in crore)			
Sr. No.	Particulars	As at 30.09.2019	As at 31.03.2019
(i)	Amount Recoverable on account of Bonds fully serviced by GOI	23,039.51	23,169.32
(ii)	Advances - to Associates*	204.09	196.22
(iii)	Advance to Employees	1.89	1.09
(iv)	Loans to Employees	82.95	78.87
(v)	Others	408.56	356.42
	Less: Impairment loss allowance on Others	(45.98)	(40.45)
	Total Other Financial Assets	23,691.02	23,761.47

*Recoverable in cash.



8 Current Tax Assets / Liabilities (Net)

Sr. No.	Particulars	₹ in crore)	
		As at 30.09.2019	As at 31.03.2019
(i)	Advance income tax and TDS (Net of provisions)	1,054.50	730.64
(ii)	Tax Deposited on income tax demands under contest (Net of provisions)	70.57	64.56
	Total Current Tax Assets (Net)	1,125.07	795.20



Gross Carrying Amount	Property, Plant and Equipment											Capital Work-in-Progress	Intangible assets under development	Other Intangible assets
	Freehold Land	Leasehold Land	Buildings	EDP Equipment	Office Equipment	Furniture and Fixtures	Vehicles	Leasehold Improvements	Total	Immovable Property	Computer Software	Computer Software		
	Opening Balance as at 01.04.2018	86.30	1.59	56.66	36.78	34.77	19.73	0.60	4.02	240.45	137.23	1.46	22.25	
Additions / Adjustments	27.47	-	-	7.39	7.16	3.92	-	0.12	46.06	54.57	0.13	4.88		
Deductions / Adjustments	-	-	-	3.98	3.67	0.26	0.11	-	8.12	(15.14)	-	(0.94)		
Closing Balance as at 31.03.2019	113.77	1.59	56.66	40.19	38.26	23.39	0.49	4.14	278.39	196.64	1.59	27.17		
Additions / Adjustments	-	-	0.01	3.00	2.90	3.13	0.03	-	9.07	44.90	-	2.67		
Borrowing Cost Capitalised	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Deductions / Adjustments	-	-	0.01	1.40	1.73	1.33	-	-	4.47	7.62	-	0.01		
Closing Balance as at 30.09.2019	113.77	1.59	56.66	41.79	39.43	25.09	0.52	4.14	282.99	240.46	1.59	29.83		

Accumulated Depreciation / Amortisation	Property, Plant and Equipment											Capital Work-in-Progress	Intangible assets under development	Other Intangible assets
	Freehold Land	Leasehold Land	Buildings	EDP Equipment	Office Equipment	Furniture and Fixtures	Vehicles	Leasehold Improvements	Total	Immovable Property	Computer Software	Computer Software		
	Opening Balance as at 01.04.2018	-	0.20	19.23	28.29	22.55	13.52	0.42	0.91	85.21	-	-	16.06	
For the period	-	0.02	1.15	4.88	5.22	1.55	0.04	0.80	13.66	-	-	1.83		
Reversal on Assets Sold/Written off from books	-	-	-	3.75	2.91	0.19	0.08	-	6.93	-	-	(0.10)		
Closing Balance as at 31.03.2019	-	0.21	20.38	29.42	24.86	14.88	0.48	1.71	91.94	-	-	17.99		
For the period	-	-	0.57	2.76	2.67	0.97	0.02	0.40	7.39	-	-	1.65		
Reversal on Assets Sold/Written off from books	-	-	0.01	1.09	1.17	0.37	0.01	0.01	2.66	-	-	0.01		
Closing Balance as at 30.09.2019	-	0.21	20.94	31.09	26.36	15.48	0.39	2.10	96.67	-	-	19.63		



12. Other Non-Financial Assets

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	As at 30.09.2019	As at 31.03.2019
(i)	Prepaid Expenses	9.11	36.95
(ii)	Deferred Employee Costs	56.92	54.30
(iii)	Capital Advances	87.43	79.09
(iv)	Other assets	131.29	223.16
	Total Other Non-Financial Assets	284.75	393.50



13 Assets Classified as held for sale

(₹ in Crore)

Sr. No.	Particulars	As at 30.09.2019	As at 31.03.2019
(A)	Assets classified as held for sale		
(i)	Investment	0.45	0.50
(ii)	Loans to associates	12.65	9.06
	Total (A)	13.10	9.56
(B)	Liabilities directly associated with assets classified as held for sale		
(i)	Payable to associates	-	0.08
	Total (B)	-	0.08
	Disposal Group - Net assets (A-B)	13.10	9.48



15 Debt Securities

The Company and its Subsidiary REC Ltd., have categorised Debt Securities at amortised cost in accordance with the requirements of Ind AS 109.

Sr. No.	Particulars	₹ in crore)	
		As at 30.09.2019	As at 31.03.2019
(i)	Bonds / Debenture		
	- Infrastructure Bonds	370.06	370.06
	- Tax Free Bonds	24,853.08	24,853.08
	- 54 EC Capital Gain Tax Exemption Bonds	24,491.03	23,941.98
	- Taxable Bonds	3,08,348.66	2,98,307.82
	- Foreign Currency Notes	38,579.39	21,095.29
(ii)	Commercial Paper	8,755.98	17,690.92
(iii)	Interest accrued but not due on above	14,559.15	12,648.16
(iv)	Unamortised Transaction Cost on above	(1,287.08)	(1,277.35)
(v)	Bond Application Money	12.21	722.04
	Total Debt Securities	4,18,682.48	3,98,352.00
	Geography wise Debt Securities		
(i)	Debt Securities in India	3,80,611.78	3,77,818.26
(ii)	Debt Securities outside India	38,070.70	20,533.74
	Total Geography wise Debt Securities	4,18,682.48	3,98,352.00



16 Borrowings (other than Debt Securities)

The Company and its Subsidiary REC Ltd., have categorised Borrowings (other than Debt Securities) at amortised cost in accordance with the requirements of Ind AS 109.

(₹ in crore)			
Sr. No.	Particulars	As at 30.09.2019	As at 31.03.2019
(A)	Term Loans		
(i)	From Banks and Financial Institutions		
	- Foreign Currency Loans	9,030.67	9,701.51
	- Syndicated Foreign Currency Loans	36,325.90	32,787.57
	- Rupee term Loan	61,173.59	58,453.55
(ii)	From other Parties		
	- Rupee term Loan - Govt	12,500.00	12,500.00
(B)	Other Loans		
(i)	Loan against Term Deposits	-	12,737.18
(ii)	Working Capital Demand Loan / Overdraft / Cash Credit / Line of Credit	1,279.50	620.00
(iii)	Finance Lease Obligation	0.11	0.11
(C)	Interest accrued but not due on above	764.67	609.87
(D)	Unamortised Transaction Cost on above	(392.10)	(402.72)
	Total Borrowings (other than Debt Securities)	1,20,682.34	1,27,007.07
(II)	Geography wise Borrowings		
(i)	Borrowings in India	81,597.01	89,111.58
(ii)	Borrowings outside India	39,085.33	37,895.49
	Total Geography wise Borrowings	1,20,682.34	1,27,007.07



17 Subordinated Liabilities

The Company and its Subsidiary REC Ltd., have categorised Subordinated Liabilities at amortised cost in accordance with the requirements of Ind AS 109.

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	As at	As at
		30.09.2019	31.03.2019
		Amortised Cost	Amortised Cost
(A)	Subordinated Liabilities		
(i)	Subordinated Bonds	13,862.70	13,862.70
(ii)	Interest accrued but not due on above	628.66	272.26
(iii)	Unamortised Transaction Cost on above	(6.12)	(6.50)
	Total Subordinated Liabilities	14,485.24	14,128.46
(B)	Geography wise Subordinated Liabilities		
(i)	Subordinated Bonds in India	14,485.24	14,128.46
(ii)	Subordinated Bonds outside India	-	-
	Total Geography wise Subordinated Liabilities	14,485.24	14,128.46



18 Other Financial Liabilities

The Group has categorised Other Financial Liabilities at amortised cost in accordance with the requirements of Ind AS 109.

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	As at 30.09.2019	As at 31.03.2019
(i)	Payable for Government of India Serviced bonds	23,037.68	23,034.27
(ii)	Advance received from Associates*	247.49	188.11
(iii)	Unpaid Dividends		
	- Unclaimed Dividends	8.24	7.31
(iv)	Unpaid - Bonds and Interest Accrued thereon		
	- Unclaimed Bonds	40.63	40.67
	- Unclaimed Interest on Bonds	25.12	29.86
(v)	Others		
	- Application Money Refundable on Bonds and interest accrued thereon	0.78	0.82
	- Interest Subsidy Fund and other GOI Funds for disbursement as subsidy /	778.67	872.99
	- Payable under APDRP/IPDS scheme	1.20	-
	- Payable towards funded staff benefits	-	31.78
	- Lease Liability	13.45	-
	- Other liabilities	223.02	368.47
	Total Other Financial Liabilities	24,376.28	24,574.28

*Payable in cash



19 Provisions

		(₹ in crore)	
Sr. No.	Particulars	As at 30.09.2019	As at 31.03.2019
(i)	For Employee Benefits		
	- Gratuity	0.58	0.75
	- Leave Encashment	64.13	60.78
	- Economic Rehabilitation of Employees	5.78	5.38
	- Provision for Bonus / Incentive	67.48	83.25
	- Provision for Staff Welfare Expenses	13.60	16.83
	- Proposed Wage Revision	0.05	13.11
(ii)	Impairment Loss Allowance - Letter of Comfort	180.34	186.71
	Total Provisions	331.96	366.81



20 Other Non-Financial Liabilities

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	As at 30.09.2019	As at 31.03.2019
(i)	Unamortised Fee - Undisbursed Loans Assets	156.29	122.12
(ii)	Sundry Liabilities (Interest Capitalisation)	10.59	21.99
(iii)	Statutory dues payable:		
	- Corporate Interim Dividend Tax Payable	-	-
	- Others	34.49	49.64
(iv)	Advance received from Govt. towards Govt. Schemes	14.78	16.20
	Total Other Non-Financial Liabilities	216.15	209.95



21 Equity Share Capital

Sr. No.	Particulars	As at 30.09.2019		As at 31.03.2019	
		Number	Amount (₹ in crore)	Number	Amount (₹ in crore)
(A)	Authorised Capital				
	Equity Share Capital (Par Value per share ₹ 10)	1,10,00,00,00,000	11,000.00	1,10,00,00,00,000	11,000.00
	Preference Share Capital (Par Value per share ₹ 10)	2,00,00,00,000	200.00	2,00,00,00,000	200.00
(B)	Issued, Subscribed and Fully Paid-up Capital				
	Equity Share Capital (Par Value per share ₹ 10)	2,64,00,81,408	2,640.08	2,64,00,81,408	2,640.08
(C)	Reconciliation of Equity Share Capital				
	Opening Equity Share outstanding	2,64,00,81,408	2,640.08	2,64,00,81,408	2,640.08
	Changes during the period	-	-	-	0.00
	Closing Equity Share capital	2,64,00,81,408	2,640.08	2,64,00,81,408	2,640.08



22 Other Equity*

Sr. No.	Particulars	₹ in crore)	
		As at 30.09.2019	As at 31.03.2019
(i)	Capital Reserve - Common Control	(13,461.00)	(13,461.00)
(ii)	Capital Reserve - Change in shareholding in Joint Venture	1.97	
(iii)	Debenture Redemption Reserve	0.00	2,708.07
(iv)	Securities Premium	3,953.74	3,953.74
(v)	Foreign Currency Monetary Item Translation Difference Account	(1,510.08)	(1,172.29)
(vi)	Special Reserve created u/s 45-IC(1) of Reserve Bank of India Act, 1934	2,824.63	2,020.82
(vii)	Reserve for Bad & doubtful debts u/s 36(1)(viii)(c) of Income-Tax Act, 1961	4,721.60	5,337.53
(viii)	Special Reserve created u/s 36(1)(vii) of Income Tax Act, 1961 up to Financial Year 1996-97	599.85	599.85
(ix)	Special Reserve created and maintained u/s 36(1)(vii) of Income Tax Act, 1961 from Financial	26,621.84	25,465.49
(x)	Interest Differential Reserve - KFW Loan	61.01	60.00
(xi)	General Reserve	13,868.20	10,191.77
(xii)	Retained Earnings	10,454.68	9,029.56
(xiii)	Reserve for Equity Instruments through Other Comprehensive Income	(80.34)	(204.45)
(xiv)	Reserve for Effective portion of gains and loss on hedging instruments in a Cash Flow Hedge through other Comprehensive Income	(67.36)	(50.14)
(xv)	Share of Other Comprehensive Income in Joint Venture and Associates	0.57	2.22
	Total Other Equity*	47,989.30	44,481.17

*For movements during the period refer Statement of Changes in Equity.

23 Non-Controlling Interest

S. No.	Particulars	₹ in crore)	
		As at 30.09.2019	As at 31.03.2019
	Balance at the beginning of the period	16,363.02	15,435.22
(i)	Share of Net Profit for the year	1,341.13	2,719.41
(ii)	Re-measurement of Defined Benefit Plans	2.82	(5.97)
(iii)	Share of Other Comprehensive Income / (Expense)	(41.35)	(22.73)
	Share of Total Comprehensive Income	1,302.60	2,690.71
(i)	Dividend (including dividend tax) paid to Non-Controlling Interest	-	(1,192.61)
(ii)	Dividend Distribution tax paid for Non-Controlling Interest	-	(248.91)
(iii)	Others	(91.05)	(321.39)
	Balance at the end of the period	17,574.57	16,363.02



24 Interest Income

(₹ in Crore)

Sr. No.	Particulars	Half Year ended 30.09.2019		Half Year ended 30.09.2018	
		On financial assets measured at Amortised Cost	Interest income on Financial Assets classified at fair value through profit or loss	On financial assets measured at Amortised Cost	Interest income on Financial Assets classified at fair value through profit or loss
(i)	Interest on Loans	29,860.48		25,366.34	
	Less: Rebate for Timely Payment to Borrowers	(196.75)		(238.50)	
(ii)	Interest on Investment in Bonds		128.64		128.92
(iii)	Interest on Deposits with Banks	84.73	2.37	61.75	2.41
(iv)	Other Interest Income	26.75	1.18	39.91	0.04
	Total Interest Income	29,775.21	132.19	25,229.40	131.37



25 Fees and Commission Income

(₹ in Crore)			
Sr. No.	Particulars	Half Year ended 30.09.2019	Half Year ended 30.09.2018
(i)	Prepayment Premium on Loans	46.08	155.28
(ii)	Fee based Income on Loans	32.43	5.84
(iii)	Fee for implementation of Gov Schemes	15.90	69.74
	Total Fees and Commission Income	94.41	230.86

26 Net Gain (-) / Loss (+) on Fair Value Changes

(₹ in Crores)			
Sr. No.	Particulars	Half Year ended 30.09.2019	Half Year ended 30.09.2018
(i)	On financial instruments designated at Fair value through Profit or Loss:		
	Changes on fair value of Derivatives	(192.35)	(2,355.86)
	Total Net Gain (-) / Loss (+) on Fair Value Changes	(192.35)	(2,355.86)

27 Other Operating Income

(₹ in Crore)			
Sr. No.	Particulars	Half Year ended 30.09.2019	Half Year ended 30.09.2018
(i)	Sale of Services	107.76	80.56
(ii)	Other	0.01	0.61
	Total Other Operating Income	107.77	81.17

28 Other Income

(₹ in Crore)			
Sr. No.	Particulars	Half Year ended 30.09.2019	Half Year ended 30.09.2018
(i)	Excess Liabilities written back	0.60	10.37
(ii)	Miscellaneous Income	15.99	10.54
	Total Other Income	16.59	20.91



30 Fees and Commission Expense

		(₹ in Crore)	
Sr. No.	Particulars	Half Year ended 30.09.2019	Half Year ended 30.09.2018
(i)	Agency Fees	1.10	0.81
(ii)	Guarantee, Listing and Trusteeship fees	5.87	8.31
(iii)	Credit Rating Fees	5.01	4.87
(iv)	Other Finance Charges	2.94	4.60
Total Fees and Commission Expense		14.92	18.59

31 Impairment on Financial Instruments

		(₹ in Crore)	
Sr. No.	Particulars	Half Year ended 30.09.2019	Half Year ended 30.09.2018
		On Financial Instruments measured at	On Financial Instruments measured at
(i)	Loans	72.06	105.86
(ii)	Write offs	812.88	-
(iii)	Letter of Comfort	(6.37)	-
(iv)	Others Financial Instruments	14.62	17.65
Total Impairment on Financial Instruments		893.19	123.51

32 Employee Benefit Expenses

		(₹ in Crore)	
Sr. No.	Particulars	Half Year ended 30.09.2019	Half Year ended 30.09.2018
(i)	Salaries and Wages	150.92	126.86
(ii)	Contribution to Provident and other Funds	19.29	19.81
(iii)	Staff Welfare Expenses	44.39	24.76
(iv)	Rent for Residential Accommodation of Employees	3.05	2.77
Total Employee Benefit Expenses		217.65	174.20

33 Other Expenses

		(₹ in Crore)	
Sr. No.	Particulars	Half Year ended 30.09.2019	Half Year ended 30.09.2018
(i)	Rent, Taxes and Energy Cost	16.22	21.76
(ii)	Repairs and Maintenance	9.59	6.44
(iii)	Communication Costs	1.55	1.94
(iv)	Printing and Stationery	2.05	3.60
(v)	Advertisement and Publicity	6.95	87.59
(vi)	Directors Fees, Allowance & Expenses	0.20	0.13
(vii)	Auditor's fees and expenses	0.46	0.54
(viii)	Legal & Professional charges	13.15	10.48
(ix)	Insurance	0.10	0.06
(x)	Travelling and Conveyance	14.74	13.04
(xi)	Net Loss / (Gain) on derecognition of Property, Plant and Equipment	0.81	0.52
(xii)	Other Expenditure	42.66	42.16
Total Other Expenses		108.48	188.26



लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियां

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां नीचे दी गई हैं :

1 तैयारी और मापन का आधार

ये एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का प्रयोग करके सतत सरोकार आधार पर तैयार किए गए हैं। परिसंपत्तियों एवं देयताओं का मापन प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ऐतिहासिक लागत पर या परिशोधित लागत पर या उचित मूल्य पर किया गया है।

उचित कीमत वह कीमत होती है जो मापन की तिथि को बाजार के प्रतिभागियों के बीच किसी क्रमबद्ध लेन-देन में किसी परिसंपत्ति की बिक्री पर प्राप्त होगा या किसी देयता के अंतरण पर भुगतान की जाएगी, इस बात पर ध्यान दिए बगैर कि वह कीमत मूल्यांकन की दूसरी तकनीक का प्रयोग करके सीधे पालनीय या अनुमानित है।

उचित मूल्य के मापों को इंड एएस की आवश्यकता के अनुसार लेवल 1, 2 या 3 में श्रेणीकृत किया गया है, जिसका वर्णन नीचे किया गया है:

- लेवल 1 के इनपुट समान परिसंपत्तियों या देयताओं जिनका मूल्यांकन संस्था मापन की तारीख को कर सकती है, के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतें (गैर समायोजित) हैं;
- लेवल 2 के इनपुट लेवल 1 में शामिल उद्धृत कीमतों से भिन्न हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिसंपत्ति या देयता के लिए पालनीय हैं; और
- लेवल 3 के इनपुट परिसंपत्ति या देयता के लिए अपालनीय इनपुट हैं।

2. नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी में हाथ में नकदी और मांग जमा शामिल है। कंपनी सभी अल्पावधि अधिशेषों (जिनकी मूल परिपक्वता अवधि अधिग्रहण की तिथि से तीन माह या कम है), उच्च तरल निवेश, जो नकदी की ज्ञात राशियों में शीघ्रता से परिवर्तित किए जा सकते हैं, और जो मूल्य में परिवर्तनों के नगण्य जोखिम के अधीन हैं।

3. डेरिवेटिव वित्तीय लिखत

3.1 ब्याज दर तथा विदेशी विनिमय दर के जोखिमों पर अपने एक्सपोजर के प्रबंधन के लिए कंपनी कई प्रकार के डेरिवेटिव वित्तीय लिखत जैसे कि केवल स्वैप के रूप में मूलधन, ब्याज दर स्वैप, ऑप्शन तथा वायदा संविदाएं करती है।

3.2 कंपनी नकदी प्रवाह हेज़ या उचित मूल्य हेज़ के रूप में हेज़ संबंध के अंतर्गत कुछ डेरिवेटिव संविदाएं नामित करती है।

नकदी प्रवाह हेज़

डेरिवेटिव के उचित कीमत में परिवर्तनों के प्रभावी अंश जो नकदी प्रवाह हेज़ के रूप में नामित किए जाते हैं और अर्हक हैं, को अन्य व्यापक आय में मान्य किया जाता है। निष्प्रभावी अंश से संबंधित अभिलाभ या हानि को तत्काल लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है। अन्य व्यापक आय में मान्य राशियां (जो प्रभावी अंश हैं) ऐसी अवधियों में लाभ और हानि विवरण में पुनः वर्गीकृत की जाती हैं जब रक्षित मद लाभ या हानि को प्रभावित करती है।

उचित मूल्य हेज़

डेरिवेटिव के नामित अंश के उचित मूल्य में परिवर्तन जो उचित मूल्य हेज़ के रूप में अर्हक होते हैं, लाभ और हानि विवरण में हेज़ मद जो हेज़ जोखिम पर आरोप्य होती है, के उचित मूल्य में किसी परिवर्तन के साथ तत्काल मान्य किए जाते हैं। हेज़ लिखत के नामित अंश के मूल्य में परिवर्तन तथा हेज़ जोखिम पर आरोप्य हेज़ मद में परिवर्तन हेज़ मद से संबंधित लाइन मद में लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किए जाते हैं।

जब हेज़ लिखत की अवधि समाप्त हो जाती है या कालातीत हो जाती है या प्रयुक्त हो जाती है या जब यह हेज़ लेखांकन के लिए अर्हक नहीं होती है, तो हेज़ लेखांकन बंद हो जाता है।

3.3 डेरिवेटिव लिखतों, हेज़ संबंध के अंतर्गत नामित डेरिवेटिव लिखतों को छोड़कर, को शुरू में तारीख जब डेरिवेटिव लिखत के करार किए जाते हैं, को उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है और इसके बाद प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उनके उचित मूल्य पर पुनः मापा जाता है। परिणामी अभिलाभ या हानि को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

4. वित्तीय लिखत

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को तब मान्य किया जाता है, जब कंपनी वित्तीय लिखतों के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बन जाती है।

शुरूआती मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को उचित मूल्य प्लस/माइनस लेन-देन लागत पर मान्य किया जाता है जो वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण या निर्गम पर आरोप्य है। ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं के मामले में जो लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर मान्य की जाती हैं, उसकी लेन-देन लागत लाभ एवं हानि विवरण में मान्य की जाती है।

4.1 वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों की सभी नियमित बिक्री या क्रय को निपटान की तारीख के आधार पर मान्य एवं विमान्य किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों का नियमित क्रय या बिक्री ऐसी बिक्री या क्रय है जिसके लिए बाजार स्थल में विनियम या अभिसमय (कन्वेंशन) द्वारा स्थापित समय सीमा के अंदर परिसंपत्तियों की डिलीवरी करने की आवश्यकता होती है।

शुरूआती मान्यता के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के आधार पर परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में पूर्णतः मापा जाता है।

(I) वित्तीय परिसंपत्तियों (इक्विटी लिखतों से भिन्न) का वर्गीकरण एवं मापन

(क) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां :

निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर विधि (ईआईआर) का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है :

- परिसंपत्ति किसी व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत धारित की जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए परिसंपत्तियों का धारण करना है; और
- परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्धारित तारीखों को नकदी प्रवाहों को जन्म देती हैं जो बकाया मूलधन पर मूलधन एवं ब्याज के अनन्य भुगतान (एसपीपीआई) हैं।

प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि

प्रभावी ब्याज दर विधि वित्तीय परिसंपत्ति की परिशोधित लागत की गणना करने तथा अपेक्षित जीवनकाल में ब्याज आय आबंटित करने की विधि है। ईआईआर विधि का प्रयोग करते समय कंपनी सामान्यतया किसी शुल्क, प्राप्त या संदत्त प्वाइंट, लेन-देन लागत तथा अन्य प्रीमियम या डिस्काउंट जो किसी वित्तीय लिखत की प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न अंग है, परिशोधित करती है।

एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत वित्तीय परिसंपत्तियों को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रभावी ब्याज दर आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में आय को मान्य किया जाता है।

ईआईआर का निर्धारण वित्तीय परिसंपत्ति की शुरूआती मान्यता पर किया जाता है। इसके बाद संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसरण में प्रत्येक रीसेट पर ईआईआर को अपडेट किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की शर्तों पर पुनः वार्ता होने पर बाजार संचालित से भिन्न ब्याज दर मूवमेंट, संशोधन से पूर्व परिगणित पिछले ईआईआर का प्रयोग करके मापे गए किसी अभिलाभ/हानि को उस अवधि में लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है जिसके दौरान ऐसी पुनः वार्ता होती है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर वित्तीय परिसंपत्तियां

यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्ति का मापन किया जाता है :

- व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रहण तथा वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री दोनों द्वारा प्राप्त किया जाता है; और
- परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्धारित तारीखों को नकदी प्रवाहों को जन्म देती हैं जो बकाया मूलधन पर मूलधन एवं ब्याज के अनन्य भुगतान (एसपीपीआई) हैं।

उचित मूल्य में सभी परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्य किया जाता है और आरक्षित निधि में संचित किया जाता है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को एफवीटीपीएल पर मापा जाता है, जब तक कि उसे लाभ एवं हानि विवरण में मान्य उचित मूल्य में सभी परिवर्तनों के साथ परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई पर मापा न गया हो।

(ii) इक्विटी लिखतों का वर्गीकरण एवं मापन

सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों में इक्विटी निवेश से भिन्न सभी इक्विटी निवेश उचित मूल्य पर मापे जाते हैं। ट्रेडिंग के लिए धारित किए गए इक्विटी लिखतों को एफवीटीपीएल पर वर्गीकृत किया जाता है। सभी अन्य इक्विटी लिखतों के लिए कंपनी शुरुआती मान्यता पर उसे एफवीटीओसीआई या एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत करने के लिए अप्रतिसंहार्य चुनाव करती है। कंपनी लिखत दर लिखत आधार पर ऐसा चुनाव करती है।

एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत इक्विटी निवेश को शुरु में उचित मूल्य प्लस लेन-देन लागत पर मापा जाता है। उसके बाद उसे उचित मूल्य पर मापा जाता है और उचित मूल्य में सभी परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्य किया जाता है और आरक्षित निधि में संचित किया जाता है। निवेश की बिक्री पर भी ओसीआई से लाभ एवं हानि विवरण में राशियों की कोई रिसाइविलिंग नहीं होती है। तथापि, कंपनी इक्विटी के अंदर उसका अंतरण करती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी लिखतों को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

(iii) वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्तता

(क) शुरुआती मान्यता के बाद, कंपनी इंड एस 109 'वित्तीय लिखत' के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) को मान्य करती है। ऋण परिसंपत्तियों से भिन्न ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों पर ईसीएल को आजीवन प्रत्याशित क्षतियों के बराबर राशि पर मापा जाता है। कंपनी 'वित्तीय लिखतों पर क्षतिग्रस्तता' के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में ईसीएल प्रभार या रिवर्सल (जहां निवल राशि विशिष्ट अवधि के लिए ऋणात्मक अधिशेष है) दर्शाती है।

ईसीएल की मान्यता एवं मापन के लिए क्षतिग्रस्तता की अपेक्षाओं को एफवीटीओसीआई पर ऋण परिसंपत्ति पर समान रूप से प्रयुक्त किया जाता है, सिवाय इसके कि ईसीएल को अन्य व्यापक आय में मान्य किया जाता है और तुलन-पत्र में वहन राशि से कटौती नहीं की जाती है।

(ख) चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) के अंतर्गत ऋण परिसंपत्तियों एवं प्रतिबद्धताओं की क्षतिग्रस्तता :

कंपनी आजीवन ईसीएल के समान राशि पर ऋण परिसंपत्तियों पर ईसीएल का मापन करती है, यदि क्रेडिट क्षतिग्रस्तता होती है या शुरुआती मान्यता के बाद क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि (एसआईसीआर) हुई है। यदि शुरुआती मान्यता की तुलना में कोई एसआईसीआर नहीं होता है तो कंपनी 12 माह के ईसीएल के बराबर राशि पर ईसीएल मापती है। इस बात का मूल्यांकन करते समय कि शुरुआती मान्यता के बाद कोई एसआईसीआर है, कंपनी तर्कसंगत एवं समर्थनीय सूचना पर विचार करती है जो अनुचित लागत या प्रयास के बगैर उपलब्ध होती है। यदि कंपनी पिछली अवधि में आजीवन ईसीएल के रूप में हानि छूट का मापन करती है परंतु परवर्ती अवधि में निर्धारित करती है कि क्रेडिट की गुणवत्ता में सुधार के कारण शुरुआती मान्यता के बाद कोई एसआईसीआर नहीं है तो कंपनी 12 माह के ईसीएल के आधार पर हानि छूट का पुनः मापन करती है।

ईसीएल क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋण परिसंपत्तियों के लिए व्यक्तिगत आधार पर मापा जाता है तथा अन्य ऋण परिसंपत्तियों पर यह सामान्यतया सजातीय समूहों का प्रयोग करके सामूहिक आधार पर मापा जाता है।

कंपनी ऋण परिसंपत्तियों की तरह समान आधार पर एलओसी के अंतर्गत प्रतिबद्धताओं पर क्षतिग्रस्तता का मापन करती है।

(ग) परिणामी हानियों एवं रिवर्सल को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

(iv) वित्तीय परिसंपत्तियों की विमान्यता

कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति को तब विमान्य करती है जब संपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या जब यह किसी दूसरे पक्षकार को वित्तीय परिसंपत्ति तथा परिसंपत्ति के स्वामित्व के सारवान रूप से सभी जोखिमों एवं पुरस्कारों को अंतरित कर देती है।

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की पूर्णतः विमान्यता पर, परिसंपत्ति की वहन राशि एवं प्राप्त और प्राप्य प्रतिफल की रकम तथा संचयी अभिलाभ या हानि जिसे अन्य व्यापक आय में मान्य किया गया था और इक्विटी में संचित किया गया था, के बीच अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है यदि ऐसे अभिलाभ या हानि को उस वित्तीय परिसंपत्ति के निपटान पर लाभ एवं हानि विवरण में अन्यथा मान्य किया गया है।

4.2 वित्तीय देयताएं

(i) डेरिवेटिव तथा वित्तीय गारंटी संविदाओं से भिन्न सभी वित्तीय देयताओं को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआइआर) विधि का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

वित्तीय देयता की शुरुआती मान्यता पर ईआइआर का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसरण में रीसेट की संबंधित तारीख को परिवर्तनशील ब्याज दर वाली वित्तीय देयताओं के लिए ईआइआर को अपडेट किया जाता है।

(ii) वित्तीय गारंटी

कंपनी द्वारा जारी की गई वित्तीय गारंटी को शुरु में उचित मूल्य पर मापा जाता है और यदि एफवीटीपीएल पर नामित नहीं है, तो बाद में निम्नलिखित के उच्चतर स्तर पर मापा जाता है :

- गारंटी के फलस्वरूप उत्पन्न किसी वित्तीय बाध्यता के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय का सर्वोत्तम अनुमानय और
- उपयुक्त होने पर लाभ एवं हानि विवरण में मान्य आय की संचयी राशि को घटाकर शुरु में मान्य की गई राशि।

(iii) वित्तीय परिसंपत्तियों की विमान्यता

कंपनी वित्तीय देयताओं को तब और केवल तभी विमान्य करती है जब कंपनी की बाध्यताएं उन्मुक्त, रद्द या कालातीत हो जाती हैं। विमान्य वित्तीय देयता की वहन राशि और संदत्त एवं संदेय प्रतिफल के बीच अंतर को लाभ और हानि विवरण में मान्य किया

जाता है।

5. सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों में निवेश

सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों में निवेश के इक्विटी शेयरों में निवेश को लागत पर लेखांकित किया जाता है।

6. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) तथा मूल्यदास

(i) शुरु में पीपीई की मदों को लागत पर मान्य किया जाता है। इसके बाद फ्रीहोल्ड भूमि जिसके लिए मूल्यदास नहीं किया जाता है, को छोड़कर, संचित मूल्यदास एवं संचित क्षतिग्रस्तता हानि को घटाकर लागत पर मापन किया जाता है। सक्रिय प्रयोग से निवृत्त तथा निपटान के लिए धारित पीपीई की मद को उसके बही मूल्य या निवल वसूली योग्य मूल्य के निचले स्तर पर व्यक्त किया जाता है।

(II) प्रयोग के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के मामले में, अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन अनुमोदित बिलों या संविदाओं के अनुसार किए गए कार्य के अनुमानित मूल्य जहां अंतिम बिल (बिल्स) अभी तक प्राप्त/अनुमोदित नहीं हुए हैं, के आधार पर पूंजीकरण किया जाता है।

(III) पीपीई की किसी मद के प्रतिस्थापित पार्ट की लागत को मद की वहन राशि में मान्य किया जाता है यदि ऐसी संभावना होती है कि पार्ट में शामिल भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे तथा उसकी लागत का मापन विश्वसनीय ढंग से किया जा सकता है। प्रतिस्थापित पार्ट की वहन राशि विमान्य की जाती है। पीपीई की अनुरक्षण या सर्विसिंग लागत को व्यय के अनुसार लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

(iv) निर्माणाधीन पीपीई को लागत पर अग्रेनीत किया जाता है तथा कोई मान्य क्षतिग्रस्तता हानि घटाई जाती है। पीपीई की ऐसी मदों को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की उपयुक्त श्रेणियों में तब वर्गीकृत किया जाता है जब वे पूर्ण और

आशयित प्रयोग के लिए तैयार हो जाती हैं। अन्य परिसंपत्तियों की तरह इन परिसंपत्तियों का मूल्य ढास तब शुरू होता है जब परिसंपत्तियां अपने आशयित प्रयोग के लिए तैयार हो जाती हैं।

(v) सेलफोन को छोड़कर, जहां कंपनी द्वारा उपयोगी काल 2 वर्ष के रूप में निर्धारित किया गया है अनुमानित उपयोगी जीवनकाल में हासित मूल्य विधि के अनुसार उनके अवशिष्ट मूल्य को घटाकर परिसंपत्ति की लागत को बट्टे खाते में डालने के लिए मूल्यढास मान्य किया जाता है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची.प में निर्धारित जीवनकाल के समान है। पीपीई की मूल लागत के 5: के रूप में अवशिष्ट मूल्य निर्धारित किया जाता है।

(vi) वर्ष के दौरान पीपीई में वृद्धि/कटौती पर मूल्यढास को उस माह से/तक यथा अनुपात आधार पर प्रभारित किया जाता है जिसमें प्रयोग के लिए परिसंपत्ति उपलब्ध है/उसका निपटान किया गया है।

(vii) निपटान पर या परिसंपत्ति का प्रयोग जारी रखने से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ प्राप्त होने की उम्मीद न होने पर पीपीई की किसी मद को विमान्य किया जाता है। पीपीई की किसी मद की विमान्यता पर उत्पन्न किसी अभिलाभ या हानि का निर्धारण बिक्री की निवल आय तथा परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में किया जाता है और उसे लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

(viii) क्रय के वर्ष में 5000६ तक की लागत वाले पीपीई की प्रत्येक मद का पूर्णतः मूल्यढास किया जाता है।

7. अमूर्त परिसंपत्तियां एवं परिशोधन

(I) निश्चित उपयोगी जीवनकाल वाली अमूर्त परिसंपत्तियों जिनकी अलग से खरीद की जाती है, को लागत पर मान्य किया जाता है। लागत में परिसंपत्ति के आशयित प्रयोग के लिए उसे तैयार करने के लिए कोई सीधे आरोप्य आवश्यक आनुषंगिक व्यय शामिल होता है। परवर्ती मापन लागत पर किया जाता है जिसमें से संचित परिशोधन एवं संचित क्षतिग्रस्तता क्षति, यदि कोई हो, घटाई जाती है। परिशोधन को उनके अनुमानित उपयोगी जीवनकाल में सीधी रेखा आधार पर मान्य किया जाता है।

(II) किए गए व्यय जो अमूर्त परिसंपत्तियों के अंतर्गत पूंजीकरण के लिए पात्र हैं, को उनके आशयित प्रयोग के लिए तैयार रहने तक विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में अग्रणीत किया जाता है।

(III) निश्चित उपयोगी जीवनकाल वाली अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल कंपनी द्वारा 5 वर्ष के रूप में निर्धारित किया गया है।

(iv) यदि निपटान पर या जब प्रयोग अथवा निपटान से किसी भावी आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है, तो अमूर्त परिसंपत्तियों को विमान्य किया जाता है। किसी अमूर्त परिसंपत्ति की विमान्यता से उत्पन्न किसी अभिलाभ या हानि का निर्धारण निपटान की निवल आय तथा परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में किया जाता है और उसे लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

8. प्रावधान एवं आकस्मिक देयताएं

(I) प्रावधानों को तब मान्य किया जाता है जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी की कोई मौजूदा कानूनी या निर्माणकारी (कंस्ट्रक्टिव) बाध्यता होती है, यदि इस बात की संभावना होती है कि कंपनी से बाध्यता का निपटान करने की अपेक्षा होगी और बाध्यता की राशि के लिए विश्वसनीय ढंग से अनुमान लगाया जा सकता है।

(ii) प्रावधान के रूप में स्वीकृत राशि बाध्यता से जुड़े जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौजूदा बाध्यता के निपटान के लिए अपेक्षित प्रतिफल का सर्वोत्तम अनुमान होती है।

(iii) जब कुछ या सभी आर्थिक लाभों का निपटान करने की आवश्यकता होती है, तो तीसरे पक्ष से प्रावधान प्राप्त होने की उम्मीद होती है, प्राप्य प्रावधान को परिसंपत्ति के रूप में मान्य किया जाता है यदि आभासिक रूप में निश्चित होता है कि प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी तथा प्राप्य प्रावधान की राशि को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकता है।

(iv) जहां यह संभावना होती है कि आर्थिक लाभों का बहिर्प्रवाह अपेक्षित होगा अथवा विश्वसनीय ढंग से राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेखाओं पर टिप्पणियों में आकस्मिक देयता के रूप में बाध्यता का प्रकटीकरण किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्प्रवाह की संभावना कम न हो।

9. आय एवं व्यय की मान्यता

(I) बाद में परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का प्रयोग करके मान्य किया जाता है। प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) ऐसी दर है जो शुरुआती मान्यता पर उस परिसंपत्ति

की निवल वहन राशि के अनुसार वित्तीय परिसंपत्ति के प्रत्याशित जीवनकाल में अनुमानित भावी नकदी प्राप्तियों को सटीक रूप में डिस्काउंट करती है।

(II) इसके बाद वित्तीय परिसंपत्तियों पर लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए ब्याज को संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसरण में प्रोद्भवन आधार पर मान्य किया जाता है।

(III) ऋणकर्ताओं द्वारा ब्याज के समय से भुगतान के लिए रिबेट को समय से संपूर्ण देय ब्याज राशि की प्राप्ति पर संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसरण में मान्य किया जाता है और समतुल्य ब्याज आय के निमित्त डाला जाता है।

(iv) प्रदान की गई सेवाओं से आय को रिपोर्टिंग तारीख को संविदा की समाप्ति के चरण के संदर्भ में करारों/व्यवस्थाओं की शर्तों के आधार पर मान्य किया जाता है।

(v) निवेश से लाभांश आय को लाभ एवं हानि विवरण में उस समय मान्य किया जाता है जब लाभांश प्राप्त करने के लिए कंपनी का अधिकार स्थापित हो जाता है जो उद्धृत प्रतिभूतियों के मामले में पूर्व लाभांश तारीख है।

(vi) बाद में परिशोधित लागत पर मापे गए ऋणों पर ब्याज व्यय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का प्रयोग करके मान्य किया जाता है।

(vii) अन्य आय एवं व्यय को संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसरण में प्रोद्भवन आधार पर लेखांकित किया जाता है।

(viii) 1,00,000₹ तक के पूर्वदत्त व्यय को शुरुआती मान्यता पर व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

10. शेयरों के निर्गम पर व्यय

शेयरों के निर्गम पर व्यय को प्रतिभूति प्रीमियम खाते में प्रभारित किया जाता है।

11. कार्मिक हितलाभ

(i) परिभाषित अंशदान योजना

भविष्य निधि एवं पेंशन के लिए रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कंपनी के प्रदत्त/देय अंशदान को लाभ एवं हानि विवरण में उस समय मान्य किया जाता है जब कार्मिक ऐसी सेवा प्रदान कर चुके होते हैं जिसके आधार पर वे अंशदान के लिए हकदार बनते हैं।

(ii) परिभाषित हितलाभ योजना

कार्मिकों को उपदान तथा सेवानिवृत्ति पश्चात हितलाभों जैसे कि सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा हितलाभ, आर्थिक पुनर्वास हितलाभ तथा स्थापन भत्ता के लिए कंपनी की बाध्यता का निर्धारण प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए जा रहे बीमांकक मूल्यांकन के साथ प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग करके किया जाता है। उपदान तथा अन्य सेवानिवृत्ति पश्चात परिभाषित हितलाभ योजनाओं के पुनः मापन पर बीमांकक अभिलाभ/हानि को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्य किया जाता है। पिछली सेवा लागत को लाभ एवं हानि विवरण में योजना संशोधन की अवधि में मान्य किया जाता है।

(iii) अन्य दीर्घावधि कार्मिक हितलाभ

छुट्टी नकदीकरण, सेवा पुरस्कार योजना के लिए कंपनी की बाध्यता का निर्धारण प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए जा रहे बीमांकक मूल्यांकन के साथ प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग करके किया जाता है। इन बाध्यताओं को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

(iv) अल्पावधि कार्मिक हितलाभ

अल्पावधि कार्मिक हितलाभों जैसे कि वेतन एवं मजदूरी को लाभ एवं हानि विवरण में उस सेवा के बदले में भुगतान किए जाने के लिए प्रत्याशित हितलाभों की गैर बट्टाकृत राशि पर उस अवधि में मान्य किया जाता है जिसमें संबंधित सेवा प्रदान की जाती है।

(v) कार्मिकों को रियायती दर पर ऋण

कार्मिकों को रियायती दर पर प्रदान किए गए ऋणों को शुरु – में उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है और इसके बाद परिशोधित लागत पर मापा जाता है। ऐसे ऋणों के आरंभिक उचित मूल्य तथा लेनदेन मूल्य में अंतर को ऋण के निर्गम पर आस्थगित कार्मिक लागत के रूप में मान्य किया जाता है, जिसे ऋण की प्रत्याशित शेष अवधि में सीधी रेखा के आधार

पर परिशोधित किया जाता है। ऋण की प्रत्याशित शेष अवधि में परिवर्तन के मामले में परिवर्तन की तारीख को अपरिशोधित आस्थगित कार्मिक लागत को संभावित आधार पर ऋण की अद्यतन अपेक्षित शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

12. आयकर

आयकर व्यय में वर्तमान एवं आस्थगित कर शामिल होते हैं। इसे लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है, सिवाय इसके कि जब यह ऐसी मद से संबंधित होता है जो ओसीआई में या सीधे इक्विटी में मान्य की जाती है तथा ऐसे मामले में कर को भी ओसीआई में या सीधे इक्विटी में मान्य किया जाता है।

(i) वर्तमान कर

वर्तमान कर लागू की गई या सारवान रूप से लागू की गई तथा रिपोर्टिंग तारीख को यथालागू कर दरों और पिछले वर्षों के संबंध में देय कर में किसी समायोजन का प्रयोग करके वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय प्रत्याशित कर है।

वर्तमान कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं का उस समय प्रतितुलन ,वर्गिजद्ध किया जाता है जब मान्य राशि के प्रतितुलन के लिए कानूनी तौर पर प्रवर्तनीय कोई अधिकार होता है और निवल आधार पर परिसंपत्ति एवं देयता का निपटान करने का इरादा होता है।

(ii) आस्थगित कर

वित्तीय विवरणों में आस्थगित कर को परिसंपत्तियों एवं देयताओं की वहन राशियों तथा कराधेय आय की गणना में प्रयुक्त समतुल्य कर आधारों के बीच अस्थाई अंतरों पर मान्य किया जाता है। परिसंपत्तियों/देयताओं की वहन राशि की वसूली या निपटान की अपेक्षित विधि के आधार पर रिपोर्टिंग तारीख तक अधिनियमित या सारवान रूप से अधिनियमित कानूनों के आधार पर कर दरों पर आस्थगित कर मापा जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं का उस समय प्रतितुलन किया जाता है जब देयताओं के निमित्त वर्तमान कर परिसंपत्तियों को अलग करने के लिए कानूनी तौर पर प्रवर्तनीय अधिकार होता है तथा वे समान कर प्राधिकारी द्वारा लगाए गए आयकरों से संबंधित होती हैं।

आस्थगित कर देयता को सभी कर योग्य अस्थाई अंतरों के लिए मान्य किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्ति को सभी कटौती योग्य अस्थाई अंतरों के लिए उस सीमा तक मान्य किया जाता है जहां तक इस बात की संभावना होती है कि कराधेय लाभ उपलब्ध होंगे जिनके निमित्त उन कटौती योग्य अस्थाई अंतरों का प्रयोग किया जा सकता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को आस्थगित परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है तथा उस सीमा तक घटाया जाता है जहां तक अब ऐसी संभावना नहीं रहती है कि संबंधित कर लाभ वसूल किए जाएंगे।

(iii) लाभांश के वितरण से उत्पन्न अतिरिक्त आयकर को उसी समय मान्य किया जाता है जब लाभांश का भुगतान करने की देयता को मान्य किया जाता है।

13. ऋण व्यय

ऋण लागत में निधि लागत से संबंधित ग्रुप द्वारा व्यय किए गए ब्याज एवं अन्य लागत शामिल है। ऋण लागत जो कि अर्हक संपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण के लिए सीधे जिम्मेदार हैं, जब तक कि ऐसी अर्हक संपत्ति अपनी इच्छित उपयोग बिक्री के लिए तैयार नहीं हो जाती, पूंजीकृत होती हैं। एक योग्य संपत्ति वह है जो आवश्यक रूप से इसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त अवधि लेती है।

14. विदेशी मुद्रा लेन-देन एवं परिवर्तन

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपया है। विदेशी मुद्रा के लेन-देन को लेन-देन की तारीख को विनिमय दरों का प्रयोग करके व्यावहारिक मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, विदेशी मुद्रा में वर्णित मौद्रिक मदों को रिपोर्टिंग अवधि की अंतिम तारीख को प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग करके रूपांतरित किया जाता है। मौद्रिक मदों पर विनिमय दर में अंतरों को लाभ एवं हानि विवरण में उस अवधि में मान्य किया जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं। तथापि, 1 अप्रैल, 2018 से पूर्व वित्तीय विवरणों में मान्य दीर्घावधि मौद्रिक मदों के लिए विनिमय दर में ऐसे अंतरों को "विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर लेखा" में संचित किया जाता है और ऐसी दीर्घावधि मौद्रिक मद की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

15. सामान्य नियंत्रण के अधीन व्यवसायों का संयोजन

सामान्य नियंत्रण के अधीन संस्थाओं या व्यवसायों वाला व्यवसाय संयोजन ऐसा व्यवसाय संयोजन है जिसमें संयोजन की सभी संस्थाएं या व्यवसाय अंततः उसी पक्षकार या पक्षकारों द्वारा व्यवसाय संयोजन के पहले और बाद में भी नियंत्रित होते हैं तथा यह नियंत्रण अस्थायी नहीं होता है।

ब्याज की पूर्ण विधि का प्रयोग करके सामान्य नियंत्रण के अधीन संस्थाओं या व्यवसायों वाले व्यवसाय संयोजनों को निम्नानुसार लेखांकित किया जाता है :

- संयोजक संस्थाओं की परिसंपत्तियों एवं देयताओं को उनकी वहन राशियों पर दर्शाया जाता है।
- उचित मूल्यों को दर्शाने या नई परिसंपत्तियों अथवा देयताओं को मान्य करने के लिए कोई समायोजन नहीं किया जाता है। केवल लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए समायोजन किए जाते हैं।
- पिछली अवधियों के संबंध में वित्तीय विवरणों में वित्तीय सूचना को ऐसे पुनः वर्णित किया गया है जैसे कि व्यवसाय संयोजन वित्तीय विवरणों में पूर्वगामी अवधि आरंभ होने से पहले हुआ है, संयोजन की वास्तविक तारीख जो भी हो।

अंतरणकर्ता के वित्तीय विवरणों में उल्लिखित अवधारित अर्जन के शेष को अंतरिती के वित्तीय विवरणों में उल्लिखित तदनुसूची शेष के साथ जोड़ा गया है। आरक्षित निधियों की पहचान को कायम रखा जाता है तथा अंतरणकर्ता की रिजर्व अंतरिती के रिजर्व बन जाती हैं।

जारी की गई शेयर पूंजी के रूप में दर्ज राशि प्लस नकदी या अन्य परिसंपत्तियों के रूप में किसी अतिरिक्त प्रतिफल और अंतरणकर्ता की शेयर पूंजी की राशि के बीच अंतर, यदि कोई हो, को आरक्षित पूंजी रिजर्व में अंतरित किया जाता है तथा अन्य पूंजी आरक्षित से अलग प्रस्तुत किया जाता है।

16. पिछली अवधि की सारवान त्रुटियां

पिछली अवधि की सारवान त्रुटियों को प्रस्तुत पिछली अवधियों जिसमें त्रुटि हुई है, के लिए तुलनात्मक राशियों का पुनः वर्णन करके उत्तरभावी प्रभाव से ठीक किया जाता है। यदि त्रुटि प्रस्तुत शीघ्रतिशीघ्र अवधि से पहले हुई है तो प्रस्तुत शीघ्रतिशीघ्र अवधि के लिए प्रारंभिक अधिशेषों का पुनः वर्णन किया जाता है।

17. लाभांश

अंतिम लाभांशों को शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन की तारीख को देयता के रूप में दर्ज किया जाता है तथा अंतरिम लाभांशों को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा घोषणा की तारीख को देयता के रूप में दर्ज किया जाता है।

18. प्रति शेयर अर्जन

कंपनी के इक्विटी शेयर धारकों पर आरोप्य निवल लाभ या हानि में वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर प्रति शेयर बुनियादी अर्जन की गणना की जाती है।

प्रति शेयर तनुकृत अर्जन की गणना करने के लिए इक्विटी शेयर धारकों पर आरोप्य अवधि के लिए निवल लाभ या हानि तथा अवधि के दौरान बकाया शेयरों के भारित औसत को सभी तनुकृत योग्य संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

1	<p>उपर्युक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा और सिफारिश लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है और दिनांक 14.11.2019 को आयोजित संगत बैठकों में निदेशक मंडल द्वारा इन्हें अनुमोदित किया गया है। ये संयुक्त सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 और 52 के अनुसार सांविधिक लेखापरीक्षक एम.के.अग्रवाल एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट और गांधी मिनोचा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन हैं।</p>																
2	<p>वित्तीय परिणाम कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक ('इंड एएस')- 34 'अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग' में निर्धारित मान्यता और माप सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं।</p>																
3	<p>इंड एएस 109 के अनुसार कंपनी द्वारा पोषित क्रेडिट हासित ऋण परिसंपत्तियों एवं हासित हानि छूट का ब्योरा निम्नानुसार है:</p> <p style="text-align: right;">(₹ करोड़ में)</p> <table border="1" data-bbox="193 501 1528 696"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th> <th>विवरण</th> <th>30.09.2019 तक</th> <th>31.03.2019 तक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>क)</td> <td>क्रेडिट हासित ऋण परिसंपत्तियां</td> <td>50,101.80</td> <td>49,888.75</td> </tr> <tr> <td>ख)</td> <td>पोषित हासित हानि छूट</td> <td>25,562.78</td> <td>24,719.96</td> </tr> <tr> <td>ग)</td> <td>हासित हानि छूट कवरेज (%) (बी/ए)</td> <td>51.06%</td> <td>49.55%</td> </tr> </tbody> </table>	क्र. सं.	विवरण	30.09.2019 तक	31.03.2019 तक	क)	क्रेडिट हासित ऋण परिसंपत्तियां	50,101.80	49,888.75	ख)	पोषित हासित हानि छूट	25,562.78	24,719.96	ग)	हासित हानि छूट कवरेज (%) (बी/ए)	51.06%	49.55%
क्र. सं.	विवरण	30.09.2019 तक	31.03.2019 तक														
क)	क्रेडिट हासित ऋण परिसंपत्तियां	50,101.80	49,888.75														
ख)	पोषित हासित हानि छूट	25,562.78	24,719.96														
ग)	हासित हानि छूट कवरेज (%) (बी/ए)	51.06%	49.55%														
4	<p>विवेकपूर्ण तौर पर, हासित साख वाली ऋण परिसंपत्तियों पर आय केवल तभी मान्य है जब प्रत्याशित वसूली बकाया ऋण राशि से अधिक हो।</p>																
5	<p>कंपनी ने दिनांक 30.3.2019 के कंपनी (भारत लेखा मानक) दूसरा संशोधन नियम के माध्यम से कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण का उपयोग करके इंड एएस 116- 'लीज' अपनाया है। 01.04.2019 के रूप में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) कंपनियां (भारतीय लेखा मानक) दूसरा संशोधन नियम, 2019 दिनांक 30.03.2019 द्वारा अधिसूचित। इसके परिणामस्वरूप 44.55 करोड़ रुपए का 'राइट टू यूज एसेट' और 14.13 करोड़ का लीज देयता' को मान्यता मिली है। तिमाही के लिए लाभ पर प्रभाव भौतिक नहीं है।</p>																
6	<p>कंपनी ने कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीए के अंतर्गत अनुमति दिए गए विकल्प का प्रयोग किया है। तिमाही और छमाही के लिए आयकर प्रावधान (वर्तमान कर) दिनांक 30.09.2019 को समाप्त हो गया है और वार्षिक आधार पर मान्यता दी गई है। इसके अलावा, वार्षिक प्रभावी आयकर दर को संशोधित करके और वित्तीय वर्ष में परिवर्तन के प्रभाव को पहचानने के द्वारा धारा 115बीए के अंतर्गत निर्धारित दर के आधार पर आस्थगित कर आस्तियों / देयता को हटा दिया गया है।</p>																
7	<p>दिनांक 30.09.2019 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए समेकित वित्तीय परिणामों में, कंपनी के परिणाम, एक सहायक कंपनी के समेकित सीमित समीक्षा परिणाम एवं दो सहायक कंपनियों: एक संयुक्त उद्यम एवं 15 एसोसिएट्स के प्रबंधन द्वारा अनुमोदित परिणाम शामिल है। इन सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम एंटीटी एवं एसोसिएट्स के वित्तीय परिणाम इंड एएस 110- 'समेकित वित्तीय विवरण', इंड एएस 111- 'संयुक्त व्यवस्था' एवं इंड एएस 28- 'एसोसिएट्स एवं संयुक्त उद्यम में निवेश' के अनुसार है।</p>																
8	<p>दिनांक 30.09.2019 को समाप्त छमाही के लिए समेकित आधार पर संबंधित पार्टी लेन-देन का प्रकटीकरण अनुलग्नक-"क" में प्रस्तुत है।</p>																
9	<p>इंड एएस 108 "ऑपरेटिंग सेगमेंट्स" के आवश्यकतानुसार बिजनेस / भौगोलिक सेगमेंट के रिपोर्टिंग के संदर्भ में, कंपनी के ऑपरेशंस में केवल एक ही बिजनेस सेगमेंट शामिल है - विद्युत क्षेत्र संस्थाओं को ऋण प्रदान करना। इसलिए, इंड एएस 108 के अनुसार कोई रिपोर्ट योग्य सेगमेंट नहीं है।</p>																
10	<p>पिछली अवधि के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, क्रमबद्ध किया गया है ताकि उनकी तुलना की जा सके।</p>																
<p>स्थान: नई दिल्ली तारीख: 14.11.2019</p>	<p style="text-align: right;">राजीव शर्मा अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक डीआईएन - 00973413</p>																

